“MAA” OMWATI COLLEGE OF EDUCATION HASSANPUR (PALWAL)

AFFILIATED CRS UNIVERSITY, JIND

B.ED – 1ST YEAR (2021-22)

NOTES PAPER- II

CONTEMPORARY INDIA & EDUCATION

MAA OMWATI EDUCATION TRUST

DELHI

E-mail: moce.principal@maaomwati.com

शिक्षा से सम्बन्धित धारायें
(Articles Related to Education)

भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण धारायें एवं उपबन्ध हैं, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ये निम्नलिखित हैं—

1. धारा 28 (1)—"राज्य द्वारा पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा-संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।"

2. धारा 29 (1)—"भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को, अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाये रखने का अधिकार होगा।" **धारा 29 (2)**—"राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा-संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा।"

3. धारा 30—"धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा।"

4. धारा 45—"राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सब बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

5. धारा 46—"राज्य जनता के निर्बल विभागों विशेषतया अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।"

6. धारा 343—"देवनागरी लिपि में हिन्दी, संघ की राजभाषा होगी।"

7. धारा 350 (अ)—"प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी, भाषायी अल्प-संख्यक वर्गों (Linguistic Minority Groups) के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

8. धारा 351—"हिन्दी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना तथा उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा, जिससे यह भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।"

संविधान की संघीय, राज्यीय एवं समवर्ती सूचियाँ
(Union (Federal), State and Concurrent Lists)

भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ तैयार की गयी हैं, जिनके अनुसार संघ एवं उनके अधीनस्थ शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि संविधान में वर्ष 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' (Government of India Act) को शब्दश: स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति जवाबदेह (Accountable) ठहराया गया है, किन्तु कुछ कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित किये गये हैं।

Scanned by CamScanner

भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची (VII Schedule) की दूसरी सूची (II List) अर्थात् राज्य सूची के उपबन्ध-11 में उद्धृत किया है—*"शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबन्ध 63, 64, 65 एवं 66 और समवर्ती सूची के उपबन्ध 25 के अतिरिक्त एक राज्यीय विषय है।"*

1. संघ सूची एवं केन्द्र सरकार के शैक्षिक कर्त्तव्य (Union List and Duties of Central Government towards Education)—संघ सूची के विषयों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार कानून निर्मित कर सकती है। इनमें से उपबन्ध 13, 62, 63, 64, 65 एवं 66 शिक्षा से सम्बन्धित हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतन्त्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। इनमें से प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित हैं—

(i) उपबन्ध 63—इस उपबन्ध का राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य विधि सम्मत तरीके से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्चस्व की देख-रेख एवं सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया गया है। संविधान में इसे निम्नलिखित रूप से प्रकट किया गया है—*"संविधान के लागू होने के समय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जाने वाले संस्थान तथा संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ।"*

(ii) उपबन्ध 64—"भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ।"

(iii) उपबन्ध 65—सभी संघीय अभिकरण तथा संस्थाएँ जोकि—(अ) वृत्तिक, व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण जिसमें आरक्षी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, (ब) विशेष अध्ययनों एवं अनुसन्धानों की उन्नति के लिए हैं, (स) अपराध अनुसन्धान एवं उनमें प्राविधिक सहायता के लिए हैं।

(iv) उपबन्ध 66—"शिक्षा-सुविधाओं में समन्वय, उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण।"

2. राज्य सूची (State List)—इस सूची में 66 विषय उद्धृत हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाने का निर्णय लेने को स्वतन्त्र हैं। इस सन्दर्भ में 12वीं प्रविष्टि में व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी है—राज्य नियन्त्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थाएँ, जो संसद द्वारा विधि सम्मत या अधीनस्थ हों तथा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई हों, से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक भवन एवं अभिलेख।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List)—संविधान में इस सूची के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है—

(i) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन (Economic and Social Planning)
(ii) व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण (Professional and Technological Training)
(iii) वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Research)
(iv) प्राविधिक शिक्षा (Technological Education)
(v) हिन्दी भाषा का विकास एवं समुन्नयन (Development and Propagation of Hind)
(vi) राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण (Preservation of National Art and Culture)
(vii) संस्कृत साहित्य का संरक्षण (Preservation of Sanskrit)
(viii) विकलांग शिक्षा का विकास (Education for Disabled Persons)
(ix) शैक्षिक अनुसन्धानों का विकास (Development of Educational Research)
(x) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों की रक्षा (Protection of the Cultural Interests of the Minorities)
(xi) अनुसूचित जातियों, क्षेत्रों एवं वर्गों हेतु शिक्षा का विकास (Educational Development of the Scheduled Castes, Regions and Classes)
(xii) राष्ट्रीय एवं संवेगात्मक एकता (National and Emotional Integration)

Scanned by CamScanner

(xiii) प्रगतिशील छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व्यवस्था (Provision of Scholarships for Brilliant Students)

(xiv) सतत् व्यावसायिक शिक्षा (Continuous Professional Training)

(xv) केन्द्रीय संस्थान एवं अभिकरणों की स्थापना (Establishment of Central Institution and Agencies)

(16) 14 वर्ष तक के बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (Free and Compulsory Education for the Children up to the age of 14 years)

शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप
(Constitutional Nature of Education)

भारत में शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप से सन्दर्भ में शिक्षा-शास्त्रियों में प्रारम्भ से ही मतभेद रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षा-कानूनविद् **डॉ. सिंघवी** ने शिक्षा को समवर्ती सूची में सन्निहित करने का प्रस्ताव रखा था। **एम. सी. छगला** के अनुसार, *"शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है।"*

शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप की विवेचना करते हुए **कोठारी कर्मीशन** ने कहा था, *"हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है। हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती तथा दूसरा राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को सदैव एक रूप में ही समझना चाहिए।"*

डॉ. वी. पी. लुल्ला ने लिखा है— *"सबसे महत्वपूर्ण संकेत संविधान की प्रस्तावना से मिलता है, जिससे नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, कार्य, स्वातन्त्र्य, समानता और भ्रातृत्व प्राप्त होगा। प्रश्न यह है कि पाठशालाओं एवं उच्च शिक्षा संस्थानों ने इस सम्बन्ध मे क्या किया है ? कौन-से परिवर्तन किये हैं, जिनसे उपर्युक्त सूत्रों का प्रचार हो अथवा उनके आधार पर विद्यार्थियों का गठन हो।"*

शिक्षा को केन्द्र एवं समवर्ती सूची में रखकर संविधान निर्माताओं ने एक सन्तुलित एवं तार्किक व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया था, जिससे संघ एवं राज्य के अतिक्रमण से बच सकें तथा संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा सकें, किन्तु विगत 45 वर्षों में व्यावहारिक राजनीति से ये संवैधानिक महत्वाकांक्षाएँ मात्र मजाक बन कर रह गयी हैं। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता से लेकर हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में ढालने तक कोई काम नहीं हुआ। अनुसूचित वर्गों की शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन आदि असफल रहे हैं।

Scanned by CamScanner

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

भारतीय संविधान में निम्नलिखित छह मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है—

1. समानता का अधिकार (Rights of Equality) (अनुच्छेद 14 से 18 तक)
2. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right of Freedom) (अनुच्छेद 19 से 22 तक)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) (अनुच्छेद 23 से 24 तक)
4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25 से 28 तक)
5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights) अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right of Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32)

समानता का अधिकार (Right of Equality)

अनुच्छेद 14 से 18 तक में इस अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के अध्याय में समानता के अधिकार को बहुत महत्त्व दिया गया है।

अनुच्छेद 14 के अनुसार, *"भारत के राज्य-क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा कानून के समान संरक्षण से संचित नहीं करेगा।"*

संविधान में घोषित किया गया है कि भारतीय संघ के सब नागरिक समान होंगे। धर्म, जाति, वर्ण, लिग के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं माना जायेगा। इस अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित समानतायें प्राप्त करने का नागरिकों को अधिकार दिया गया है—

1. विधि के समक्ष समानता—कानून के समक्ष सभी नागरिक समान समझें जायेंगे तथा किसी को भी न्याय प्राप्ति के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा और सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से कानूनों का संरक्षण प्राप्त होता रहेगा।

2. भेद-भाव की समाप्ति—धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। इस समानता के आधार पर देश की सभी वयस्क स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया है। **(अनुच्छेद 15)**

Scanned by CamScanner

3. सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने की समानता—राज्य की नौकरियों का क्षेत्र समान रूप से सबके लिए खुला रहेगा। योग्यता और अनुभव के आधार पर ही व्यक्ति इन नौकरियों में प्रविष्ट हो सकेगा। **(अनुच्छेद 16)**

4. अस्पृश्यता का अन्त—संविधान में अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इस प्रकार समाज के बहुत बड़े भाग पर अनुसूचित जातियों को सामाजिक रूप में उच्च वर्णों के साथ समानता का अधिकार दिया गया हैं। अस्पृश्यता का प्रचलन प्रत्येक रूप से अवैध होगा और दण्डनीय अपराध समझा जायेगा। अस्पृश्यता को अवैध घोषित किये जाने से करोड़ों व्यक्ति अपमानजनक जीवन से मुक्त हो गए हैं। **(अनुच्छेद 17)**

5. उपाधियों का अन्त—संविधान में समानता के आदर्श को अपनाकर सभी प्रकार की पदवियाँ (Titles) को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय सरकार किसी नागरिक को 'रायसाहब' आदि की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी और न कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी सरकार से कोई उपाधि प्राप्त कर सकेगा। केवल शिक्षा सम्बन्धी एवं राजनीतिक सेवाओं सम्बन्धी उपाधियाँ (जैसे—भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि) ही प्राप्त की जा सकेंगी। **(अनुच्छेद 18)**

6. सार्वजनिक स्थानों का सबके लिए उचित प्रयोग—प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का उपयोग स्वतन्त्र रूप में कर सकेगा। उसे इन स्थानों में प्रवेश करने से जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर रोका नहीं जा सकेगा।

यदि उपर्युक्त समानता के अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करेगा या किसी के विरुद्ध कोई बाधा उपस्थित करेगा तो वह दण्ड का भागी होगा। इस प्रकार नागरिकों को पूर्णरूपेण सामाजिक समानता प्रदान की गई है।

आलोचना—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि समानता के अधिकार का उद्देश्य विषमता को दूर करना है, किन्तु कुछ आलोचकों का यह कथन है कि जब तक देश में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जाती तब तक सब प्रकार की समानतायें व्यर्थ हैं। एक निर्धन व्यक्ति के लिए कानून के समक्ष समानता को कोई विशेष महत्त्व नहीं है।

Scanned by CamScanner

सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
(Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए कठोर नियम न बनाकर एक मधुर सामंजस्य स्थापित किया है। इसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति सम्बन्धी हितों को सुरक्षित कर दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृ-भाषा बोलने, उसकी लिपि का सुधार करने, साहित्य का सृजन करने को स्वतन्त्र है। अपनी भाषा, अपना रहन-सहन, रीति-रिवाज और परम्परायें प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता से रख सकता है। अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थायें स्थापित करने का अधिकार भी प्रत्येक नागरिक को होगा। राजकीय अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी विद्यालय में प्रवेश से किसी नागरिक को धर्म, वंश, जाति या भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य को भेद-भाव नहीं करेगा।

44वें संविधान संशोधन के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार होगा।

Scanned by CamScanner

शिक्षा का अधिकार विधेयक (अगस्त, 2009)

86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में खण्ड 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक घोषित किया गया था। इस अधिकार के क्रियान्वयन के लिए अगस्त, 2009 में संसद ने 'शिक्षा का अधिकार विधेयक' पारित किया। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—

1. 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, वह भी निकट के स्कूल में।
2. केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को कम-से-कम 25 % छात्र वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग से लेने चाहिए।

Scanned by CamScanner

3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक छात्र को न तो रोका जा सकता है, न स्कूल से निकाला जा सकता है, न उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत है। दाखिले के दौरान स्कूल, आवेदनों की पड़ताल नहीं कर सकते, न ही कैपीटेशन फीस वसूल कर सकते हैं।
4. अध्यापकों के लिए निजी ट्यूशन पर प्रतिबन्ध रहेगा और जनगणना, आपदा राहत कार्य तथा चुनाव के अलावा वे कोई अन्य गैर-अध्ययन कार्य नहीं करेंगे।

लेकिन आलोचक विधेयक में निम्नांकित कमजोरियाँ बतलाते हैं—

5. यदि अधिकारी बुनियादी शिक्षा अधिकार मुहैया कराने में नाकाम रहते हैं तो विशेष दण्ड या कानूनी समाधान का प्रावधान नहीं है।
6. जिम्मेदारी के बँटवारे को स्पष्ट किया गया है। इससे यह सम्भावना बन सकती है कि न तो राज्य, न ही केन्द्र इसके लिए जवाबदेह बनें।
7. विधेयक स्कूली शिक्षा का अधिकार तो देता है, परन्तु स्तरीय शिक्षा की गारण्टी नहीं देता। सरकार निजी स्कूलों को उतनी ही फीस देगी जितनी अपने स्कूलों पर खर्च करती है।
8. निजी स्कूलों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

Scanned by CamScanner

Provision of Right to Education Act 2009) RTE 2009 प्रावधान

→ प्रत्येक बच्चे को उसके द्वार से एक (Km) के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन कि॰मी॰ के अन्दर माध्यमिक स्कूल होने चाहिए

अगर उस दूरी में स्कूल नहीं उपलब्ध (Provide) होते हैं तो उनके लिए हॉस्टल या आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए।

→ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात, कक्षाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, स्कूल कार्य दिवस की संख्या, शिक्षकों के कार्य के घंटे आदि से संबंधित मानक निर्धारित करना। प्रत्येक माध्यमिक + प्राथमिक स्कूल को इन नियमों का पालन करना होगा।

→ कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देते समय माता-पिता से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेगा, साथ में किसी भी माता-पिता का interview नहीं लिया जाएगा।

→ किसी भी बच्चे को किसी Document की वजह से दाखिला देने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

→ स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की संख्या पर्याप्त रहेगी।

→ विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

→ किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा

→ कोई भी शिक्षक / शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधियां (ट्यूशन)

Scanned by CamScanner

RTE-2009 (Right to education)

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

Introduction:-

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, 86वें (2002) संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित किया। इस अधिनियम के द्वारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य की। संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड है। इस अधिनियम के अर्न्तगत 6-14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख (4.6%) बच्चे विद्यालय नही जा पाते हैं। जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। जिसमें से 25 हजार करोड़ रूपये वित आयोग राज्यों को देगा।

main objective उद्देश्य

- 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिले
- कोई भी स्कूल अगर बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से इनकार कर रहा है तो अभिभावक स्कूलो पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दे सकते हैं।
- बच्चों को दण्ड देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जायेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना।
- बच्चों की शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रित करना
- लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना।
- इन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करना और शिक्षा पहुँचाना

Scanned by CamScanner

नहीं चलाएगा।

RTE 2009 में सभी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म पर भेदभाव, बच्चों के प्रतिग्रहण शुल्क, निजी शिक्षण केन्द्रों और अज्ञात स्कूलों के कार्यकरण की स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक लगाई गई।

→ स्कूलों में पढ़ाई के उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की।

→ विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए हद बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।

→ बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होगी।

→

Scanned by CamScanner

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर शिक्षा आयोग) की सिफारिशें व शिक्षा

मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' की स्थापना की थी, उन्हीं के नाम पर इसे 'मुदालियर कमीशन कहा गया"। आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की।

मुदालियर शिक्षा आयोग के उद्देश्य

→ भारत में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके संबंध में सुझाव देना।
→ आदर्श नागरिक तैयार करना।
→ मानवीय गुणों का विकास।

डॉ० A.N बासु को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। आयोग के कुछ सदस्य ऐसे भी थे देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा-पूरा साथ दिया। आयोग ने देश देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर अध्ययन किया। 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की →

प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के दोष :→

(i) शिक्षा पद्धति पुस्तकों पर आधारित।
(ii) शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ समबन्ध / अन्तक्रिया नहीं
(iii) मूल्यांकन करना कठिन
(iv) एकपक्षीय शिक्षा
(v) व्यवहारिक विषय शामिल नहीं

Scanned by CamScanner

(vi) अंग्रेजी - शिक्षा माध्यम लागू।
(vii) कक्षा में विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या।
(viii) दोषपूर्ण - शिक्षण - विधियां।
(ix) पाठ्यक्रम का बोझिल और नीरस होना

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रारूप

→ माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए। इसका प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक) की कक्षा 5 उत्तीर्ण के बाद होना चाहिए।

→ माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि दो भागों में विभाजित होनी चाहिए
(i) 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा (ii) 4 वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा

→ 11वीं व 12वीं कक्षा के इन्टरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाईस्कूल तथा 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाना चाहिए।

→ स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए और माध्यमिक कॉलेजों से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक वर्ष का पूर्व - विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए।

→ कक्षा 11 तक पास होने वाले छात्रों को विभिन्न व्यवसायिक व प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

→ ग्रामीण विद्यालयों में कृषि - शिक्षा का विशेष प्रबन्ध होना चाहिए और उद्यान कला, पशु पालन -, कुटीर उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए।

→ पर्याप्त संख्या में पॉलीटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

→ माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय स्कूल भी खोले जाएं, जिनमें बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाए।

→ योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जानी चाहिएँ।

Scanned by CamScanner

→ नेत्रहीन व मूक बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी विद्यालयों का प्रबन्ध होना चाहिए।

→ सरकार द्वारा उद्योगों पर उद्योग-शिक्षा कर लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा विस्तार पर व्यय करना चाहिए।

→ बालक-बालिकाओं की शिक्षा में विशेष अन्तर की आवश्यकता न होने पर भी, बालिकाओं (लड़कियों) के लिए 'गृहविज्ञान' के अध्ययन की समुचित व्यवस्था आवश्यक रूप से होनी चाहिए।

भाषाओं के अध्ययन के लिए सुझाव

→ भाषाओं को पढ़ाने के लिए पाँच भिन्न भाषा समूहों पर विचार करना चाहिए। → (i) मातृभाषा (ii) प्रादेशिक भाषा यदि वह मातृभाषा न हो (iii) संघीय भाषा (iv) शास्त्रीय भाषाएँ - संस्कृत अरबी, फारसी, लेटिन। (v) अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा।

→ माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो।

→ विद्यालय पाठ्यक्रम में 'हिन्दी' अनिवार्य विषय होना चाहिए। क्योंकि यह केन्द्र की सरकारी भाषा है।

→ इसके साथ ही आयोग ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान देने का सुझाव दिया।

→ माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है।

पाठ्यक्रम के विषय

* मीडिल अथवा जूनियर हाईस्कूल के विषय →
(i) भाषाएं (ii) समाजिक विज्ञान (iii) सामान्य विज्ञान (iv) गणित (v) कला एवं संगीत (vi) शिल्प (vii) शारीरिक शिक्षा।

* उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय →
(i) भाषाएं (ii) सामान्य विज्ञान (iii) सामाजिक अध्ययन

Scanned by CamScanner

(iv) हस्त शिल्प।

उक्त सभी विषयों के अंतर्गत सात समूह होंगे।
(i) मानव विज्ञान (ii) विज्ञान (iii) प्राविधिक (iv) वाणिज्य
(v) कृषि विज्ञान (vi) ललित कलाएं और (vii) गृह विज्ञान।

परीक्षाओं एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव

→ छात्रों की सर्वांगीण प्रगति व उपलब्धियों को जानने हेतु समय-2 पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के अभिलेखों का भी मूल्यांकन करना चाहिए।

→ अन्तिम मूल्यांकन में आन्तरिक परिक्षाओं और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए।

अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा सुविधाएं

→ सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जाए।

→ समान योग्यता व समान काम करने वाले अध्यापकों के वेतन समान हो।

→ शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

प्रशासन एवं वित संबंधी सुझाव (प्रशासनिय ढांचा)

→ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो समय-समय पर प्रान्तीय शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे।

→ जिन प्रान्तों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन नहीं किया गया है उनमें इनका गठन किया जाए।

→ शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन)
1964-1966

14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉ. D.S कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की **शुरूआत** 2 अक्टूबर 1964 को कि गई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था, "यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। शिक्षा के सभी पहलुओं का पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुँचाएगा।"

उस आयोग के सदस्यों की संख्या 17 थी। 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा मंत्री M.C छगला को सौंपी। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतन्त्रता के बाद विशेष उपलब्धी मानी जाती है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय- शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणामस्वरूप ही 1968 में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" अस्तित्व में आई।

शिक्षा आयोग के उद्देश्य

- शिक्षा को उत्पादीकता से जोड़ना
- राष्ट्रीय हिन्दी भाषा का विकास हो।
- सामाजिक नैतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों का विकास
- शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकरण करना।
- तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असन्तोष के कारणों का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना।
- पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें

→ आयोग की मुख्य सिफारिशों में से देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षिक प्रणाली को मान्यता दे।

→ इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसमें मोंटेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग-2 नाम है, उन्हें पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए।

→ उस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक या हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया।

→ ग्यारहवीं और 12वीं की कक्षा को higher secondary के रूप में वर्गीकृत किया।

→ स्नातक अध्ययन को तीन साल का करने का सुझाव दिया।

→ स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजो के लिए 216 दिन निर्धारित किए जाए।

→ राष्ट्रीय अवकाश करने का सुझाव भी दिया।

→ राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाई जाए।

→ आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया।

→ पाठ्यक्रम के दो सेट निर्धारित किए जाएं, एक राज्य स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर और स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का भी सुझाव दिया।

Scanned by CamScanner

आयोग के सुझाव →

(i) विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी सुझाव :→

→ केन्द्र में 'राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड' और 'भारतीय शिक्षा सेवा' का गठन किया जाए।

→ कक्षा 1 से 8 कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा के दो स्तर बना दिए जाए। पहले भाग में कक्षा 1-5 तक और दूसरा 6-8 तक होना चाहिए।

→ राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए।

(ii) पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुझाव →

आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धान्त निश्चित किया। उसके बाद उन सिद्धान्तों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ में ही आयोग ने "त्रिभाषा सूत्र" को प्रस्तुत किया।

प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या रूपरेखा

* पूर्व प्राथमिक स्तर :→ खाने व पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद।
* प्राथमिक स्तर :→ मातृभाषा, व्यवहारिक गणित,

Scanned by CamScanner

भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रिया स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम।

* उच्च प्राथमिक स्तर (5-8) :→ (i) मातृभाषा (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी (iii) गणित (iv) विज्ञान (v) सामाजिक अध्ययन (vi) कला (vii) समाज सेवा (viii) स्वास्थ्य शिक्षा (ix) धार्मिक शिक्षा

* माध्यमिक स्तर (9-10) :→ (i) मातृभाषा (ii) हिन्दी या अन्य संघीय भाषा (iii) कोई यूरोपीय भाषा (iv) गणित (v) सामान्य विज्ञान (vi) सामाजिक विज्ञान (vii) कला (viii) कार्यानुभव (कृषि कार्य) (ix) समाज सेवा (x) स्वास्थ्य शिक्षा (xi) नैतिक मूल्यों की शिक्षा।

* उच्च माध्यमिक स्तर (11-12) :→ (i) आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई दो भाषाएं (ii) तीसरी भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र, गणित, जीवविज्ञान, भूगर्भशास्त्र (इनमें से कोई भी तीन)।

* त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप →
(i) मातृभाषा (क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा)
(ii) संघ की राज भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी)
(iii) कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा। जो प्रथम में ना दी गई हो।

(iii) विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव →
→ शिक्षण पद्धति में हो रहे निरन्तर परिवर्तनों के अनुसार शिक्षण विधियां भी लचीली, गतिशील, क्रियाप्रधान व रोचक होनी चाहिए।

→ शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना।

Scanned by CamScanner

→ शिक्षकों को शिक्षण सम्बन्धी सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उचित निर्देशन भी मिलना चाहिए। और सहायक सामग्री का प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए

(iv) पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव →

→ आयोग ने पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाये जाने व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के सिद्धान्तों के सिद्धान्तों को अपनाए जाने का सुझाव दिया

(v) व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव →

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण किया जाए और 20 वर्ष के अन्दर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए।

→ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलजों में कृषि व कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की शिक्षा दि जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए।

→ जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल हाईस्कूलों में बदल दिया जाए।

* उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा संबंधी सुझाव →

→ घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कोलेजों को बन्द कर दिया जाए व नए इंजीनियरिंग कॉलजों की स्थापना मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए।

→ ये सभी कालेज तकनीकी शिक्षा संस्थान (Technical Education Institute) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझावों का व्यवस्था पर प्रभाव :

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा निति का निर्माण किया गया। और इसे 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया, जिससे इन सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के प्रयत्न शुरू हो गए और NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधार भूत पाठ्यचर्या तैयार की जिसमें त्रि भाषासूत्र के आधार पर तीन भाषाओं का अध्ययन, देश के आधुनिकिरण के लिए विज्ञान, गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यानुभव को अनिवार्य किया गया। कुछ प्रान्तों में 11+2 पर अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए।

Conclusion निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं को अच्छे से देखा, समझा और उन पर विचार किया। इन्होंने नारी शिक्षा पर भी जोर दिया। ग्रामिण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की बात भी की। NCERT पाठ्यवस्तु लागू कराने पर विचार किए और उनके बहुत सारे सुझावों पर अमल किया गया लागू भी किया गया।

Scanned by CamScanner

राममूर्ति समीक्षा समिति रिपोर्ट 1990

भारत सरकार ने सन 1986 में शिक्षा की संघर्षपूर्ण एवं रचनात्मक भूमिकाओं के लिए व शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाते हुए शिक्षा नीति निर्धारित की थी। नवम्बर 1986 में इसकी कार्ययोजना को प्रकाशित किया। सरकार बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तन की आवाज उठी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की समिति का गठन किया। जिसे राममूर्ति समिति कहा जाता है। सरकार ने इस समिति को तीन कार्य सौंपे;

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना।
(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हेतु सुझाव देना
(iii) संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन 26 दिसम्बर 1990 को 'एक प्रबुद्ध एवं मानवतापूर्ण समाज की ओर शीर्षक में प्रस्तुत किया। इस समिति ने शिक्षा नीति की विभिन्न योजना की समीक्षा के लिए उपसमितियों की नियुक्ति की थी। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पहला संशोधन राममूर्ति समिति के रूप में आया।

राममूर्ति समिति के उद्देश्य

→ ब्लैक बोर्ड योजना
→ व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा बल देना।
→ मानवीय मूल्यों पर ज्यादा बल देना
→ नारी शिक्षा पर बल देना।

Scanned by CamScanner

राममूर्ति समिति के सुझाव →

→ शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी समीक्षा एवं सुझाव :→

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-55) में शिक्षा के लिए 7.86% की व्यवस्था की गई। वही सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह घटकर 3.55% ही रह गई। धन के अभाव के कारण शिक्षा नीति सही तरीके से नहीं चल पाई। इसलिए समिति ने सुझाव दिए →

(i) प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण और निरक्षरता उन्मूलन जैसे लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

(ii) NCERT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की भूमिका समन्वय एवं विशेषज्ञता प्रदान करने तक सीमित होनी चाहिए।

(iii) अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन के स्थान पर राज्यों में राज्य शैक्षिक सलाहकार सेवा गठित की जाए।

→ शिक्षा के संगठन सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव :→

(i) सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को 10 वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जाए।

(ii) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अधिक धनराशि दी जाए तथा उन्हें कम-से-कम दूरी पर स्थापित किया जाए।

(iii) निजी स्कूलों को भी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए।

→ पाठ्यक्रम संबंधी समीक्षा एवं सुझाव :→ समिति ने देखा कि पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक अधिक थी और 10 वर्षीय शिक्षा से त्रिभाषा सूत्र का पालन नहीं किया जा रहा था। उस संदर्भ में समिति ने सुझाव दिए →

(i) लिंग भेद समाप्त कर प्रत्येक स्तर पर लड़के-लड़कियों के लिए समान पाठ्यचर्या होनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

(ii) [illegible] समाज की माँग के अनुसार हो। प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा में [illegible] एवं [illegible] को मुख्य स्थान देना चाहिए और व्यावसायिक शिक्षा को भी सम्मिलित करना चाहिए।

(iii) प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार तीन भाषाओं की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

→ पूर्व प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव →

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिशु देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम पर काफी जोर दिया गया था। समीति ने इस क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए →

(i) शिक्षा वर्ग में आधी संख्या शिक्षिकाओं की होनी चाहिए

(ii) औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों को एकीकृत किया जाए।

(iii) प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ब्लैक बोर्ड की योजना के साथ-साथ शिक्षकों, समुदायों और सामाजिक पर्यावरण में भी सुधार किया जाए।

→ माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव →

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा घोषित 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में लागू नहीं पाई थी जिसके लिए समिति ने सुझाव दिए →

(i) 10+2+3 शिक्षा संरचना को पूरे देश में पूर्ण ईमानदारी से लागू किया जाए।

(ii) माध्यमिक स्तर तक सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को 10 वर्ष के अन्दर लागू किया जाए।

(iii) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। और अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

* उच्चशिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव →

(i) UGC का पुनर्गठन किया जाए। इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच पूर्णकालीन सदस्य और होने चाहिए जो शिक्षा अनुसंधान, विस्तार, प्रबन्ध तथा वित्त विशेषज्ञ हों।

(ii) छात्रों का प्रवेश चयन प्रक्रिया पर आधारित हो।

(iii) प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

* शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा एवं सुझाव →

(i) शिक्षक शिक्षा की अवधि को और अधिक बढ़ाया जाए।

(ii) शिक्षक शिक्षा को शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए

(iii) शिक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए।

* प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी समीक्षा सुझाव :→

(i) प्रौढ़ शिक्षा हेतु अभियान और महिला शिक्षा पर जोर देना चाहिए।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा का प्रमुख आधार उनके विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं होनी चाहिए।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा को सतत शिक्षा के रूप में निरन्तर चलाना चाहिए।

* लैंगिक अवसरों में समानता संबंधी सुझाव →

(i) देश में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है परन्तु उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी तन्त्र स्थापित करना अति आवश्यक है।

(ii) स्त्री साक्षरता हेतु विशेष ध्यान दिया जाए। स्त्रियों के लिए माध्यमिक विद्यालय खोले जाए तथा इनको शिक्षा के लिए आकर्षित भी किया जाए।

Scanned by CamScanner

(iii) विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु सुविधा सम्पन्न विद्यालय खोले जाएं।

* मूल्यांकन प्रणाली:-

(i) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेकों दोष हैं परीक्षा सुधार हेतु एक ठोस प्रक्रिया बनाई जाए।

(ii) परीक्षा प्रणाली में लचीलापन का गुण विद्यमान होना चाहिए।

(iii) परीक्षा प्रणाली में शैक्षिक तकनीकी सहायता अवश्य ली जानी चाहिए।

Conclusion :- इस समीति का गठन (1986) की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए किया गया था, परन्तु यह मात्र एक औपचारिकता मात्र ही थी। कोई ठोस विचार इस समीति ने नहीं दिए।

इस रिपोर्ट का महत्व इस बात में निहित है कि इस रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में व्यापक विचार विचार-विमर्श के साथ-साथ शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए लीक से हटकर चिंतन किया।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
National Education Policy 1986

आजादी के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। 1968 में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। परन्तु शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं सावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका।

जनवरी 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित करके उसे लागू करने की घोषणा की जिसमें शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। इन्होंने देश के नाम अपने प्रभाषण में कहा था, "देश को ऐसी शिक्षा नीति दी जाएगी जो देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से अगली शताब्दी के लिए तैयार करेगी," उन्होंने यह भी कहा था कि " शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा नैतिकता जैसे कार्यों का विकास होना चाहिए"।

मई 1986 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गई जो अब तक चली आ रही है।

इस दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है। →

(1) भूमिका (2) शिक्षा का सार तथा भूमिका (3) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (4) समानता के लिए शिक्षा (5) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन (6) तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा (7) प्रणाली को कार्यशील बनाना (8) विषय सामग्री तथा प्रक्रिया का नवीनीकरण (9) शिक्षक (10) शिक्षा का प्रबन्ध (11) साधन एवं पुर्ननिरीक्षण (12) भविष्य।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य बिन्दु

→ 1986 की नीति ने शिक्षा में आधुनिकीकरण और आईटी की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया।

Scanned by CamScanner

→ शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, अध्यापन की देखभाल, महिला सशक्तीकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया।

→ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्वायत्तता को भी स्वीकार किया गया। जिसका अतीत में विरोध किया गया।

→ अधिकांश सरकारी योजनाएं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना, नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय और शिक्षा के में आईटी का उपयोग 1986 के (NPE) के तहत शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव

→ विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन :→ पांचवे भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा का पाठ्यचर्या में सुधार करने और उसके स्तर को उठाने पर बल दिया गया।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी → इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा।

→ तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा :→ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करने की बात कही गयी है।

→ शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना → इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गम्भीरता के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान

Scanned by CamScanner

में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाने की बात कही गई है।

→ शैक्षिक विचार वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना :→ इस नीति में शिक्षा की विचारवस्तु व प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विचारवस्तु से सम्बन्धित किया जाए।

→ सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो → इस नीति के अनुसार 10वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यक्रम होगा। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। और अन्य बच्चों की रुचि एवं योग्यतानुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण में सहायक होगा।

→ शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाए→ शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनके स्तर को उठाने के लिए वेतनमान बढ़ाए जाए। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धान्त को लागू किया जाए। प्रत्येक जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना की जाए।

→ परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए → मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जाए। बाह्य वातावरण को अधिक महत्व दिया जाए, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाए, प्रश्नपत्रों की रचना पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाए जाए। श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम को लागू किया जाए।

Scanned by CamScanner

→ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए → पौढ़ो को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा के प्रचार व प्रसार में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाए।

→ सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए → सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की व्यवस्था की जाए और जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।

→ महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए → स्त्री-पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाए, महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इनको व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाए।

→ अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था → अ० जाति/जन जाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाए। उन विद्यालयों में इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इन वर्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशी बढ़ाई जाए।

→ अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अतः इन्हें अपनी संस्थाएं चलाने का भी अधिकार दिया जाए।

→ विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए → असमर्थ बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं इनको सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। जो बच्चे बिल्कुल गूंगे, बहरे, अंधे और मन्दबुद्धि बच्चो के लिए अलग से स्कूल खोले जाए।

Scanned by CamScanner

नई शिक्षा नीति (1986) हेतु कार्य योजना :-

संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद मई 1986 में प्रकाशन किया गया था। तथा इसके लगभग 6 महीने बाद नवम्बर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागू करने के लिए कार्य योजना (Plan of Action) के दस्तावेज का प्रकाशन किया गया।

उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 23 कार्यदलों का गठन किया गया था। जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और बाद सभी राज्यों में यह नीति लागू कर दि गई।

Conclusion निष्कर्ष :-

उस शिक्षा नीति द्वारा आर्थिक स्थिति से कमजोर होने पर भी प्रतिभावन बच्चों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास किया गया। इन्होंने 10+2+3 पैटर्न पर जोर दिया। नारी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया। इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा स्तर में बदलाव लेकर आना था। और देश को ऐसी शिक्षा देनी थी जो आधुनिकरण ले कर आए।

Scanned by CamScanner

विषयों से सम्बन्धित सुझाव :-

(i) भाषा शिक्षण :- NCF 2005 के अनुसार बच्चों के पास अपनी स्वयं की भाषिक क्षमताएं होती है। इन्हीं क्षमताओं से परिवार तथा आसपास के लोगों से अन्त क्रियाओं का अनुभव भी प्राप्त करते है। भाषा शिक्षण को केवल भाषा की कक्षा तक सीमित न रखा जाए बल्कि यह प्रयास किया जाए कि विज्ञान व गणित की कक्षाएं भी भाषा की कक्षाएं बन जाए

(ii) गणित :- NCF 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे गणित से डरें नहीं बल्कि उसका आनन्द उठाए गणित में सूत्र व यान्त्रिक क्रियाओं से आगे जाकर महत्वपूर्ण गणित सीखें।

(iii) सामाजिक विज्ञान :- सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, राजनीति - विज्ञान तथा मानव विज्ञान जैसे विषयों कि विषयवस्तु शामिल होती है। NCF 2005 में इस बात पर बल दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य विद्यार्थियों में जानी-पहचानी सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जाँच की दक्षता विकसित करना तथा वे उन सत्य के बारे में प्रश्न कर सकें।

NCF 2005 के मुख्य बिन्दु

(i) शिक्षा बाल केन्द्रित हो
(ii) विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए।
(iii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए अपनाया गया।
(iv) NCF 2005 का निर्माण NCERT ने किया
(v) NCF 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा में होगी।

Scanned by CamScanner

(vi) NCF 2005 के निर्देशक प्रो० कृष्ण कुमार है।
(vii) शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा।
(viii) तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर बच्चों को पढ़ाया जाए

Conclusion :- NCF 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा की एक नई दिशा दि है। इसमें बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देने की बात कही है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात कही है।

Scanned by CamScanner

NCF 2005 (National Curriculum Framework)

'शिक्षा बिना बोझ के' में पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 तैयार की गई जिसे केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारम्भ टैगोर के निबन्ध 'सभ्यता और प्रगति' से हुआ है। जिसमें 'उदार और सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है' बताया गया है। 2005 का अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर 'प्रोफेसर यशपाल' की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई, विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा।

NCF के सिद्धान्त (Principles of NCF 2005)

(i) ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना
(ii) शिक्षा को रटन्त प्रणाली से मुक्त करना
(iii) पाठ्यचर्या को इस तरह बनाना कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाए।
(iv) परीक्षा को लचीला बनाना
(v) एक ऐसी पहचान का पहचान का विकास जिसमें प्रजातान्त्रिय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिन्ताएं समाहित हो।

NCF 2005 को पाँच अंगों में बाँटा गया है-

(i) परिप्रेक्ष्य (ii) सीखने का ज्ञान (iii) पाठ्यचर्या के प्रति स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन (iv) विद्यालय व कक्षा का वातावरण (v) व्यवस्थागत सुधार

Scanned with CamScanner

NCF 2005 के उद्देश्य (9-)

(i) विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना।
(ii) विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना।
(iii) प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना
(iv) भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास
(v) अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति
(vi) शिक्षण संस्थानों में समन्वय स्थापित करना।
(vii) स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग।
(viii) अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास
(ix) शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना।

NCF-2005 की आवश्यकता / महत्व (Need and Importance)

(i) छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना
(ii) बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को दूर करना।
(iii) परीक्षाओं के डर को दूर करना
(iv) मीडिया और शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक होता है परन्तु शिक्षा अध्यापक शिक्षा केन्द्रित हो रही है उसे दूर करना।
(v) विविधताओं पर ध्यान देना।
(vi) स्कूल पद्धति को लचीला बनाना।
(vii) बच्चों की अपने अन्दर की सर्जनात्मकता प्रवृत्ति को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को समझना चाहिए।

Scanned by CamScanner

NCF 2005 (National Curriculum Framework)

'शिक्षा बिना बोझ के' में पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 तैयार की गई जिसे केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारम्भ टैगोर के निबन्ध 'सभ्यता और प्रगति' से हुआ है। जिसमें 'उदार और सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है' बताया गया है। 2005 का अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नया राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर 'प्रोफेसर यशपाल' की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा।

NCF के सिद्धान्त (Principles of NCF 2005)

(i) ज्ञान को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना
(ii) शिक्षा को रटन्त प्रणाली से मुक्त करना
(iii) पाठ्यचर्या को इस तरह बनाना कि वह पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाए।
(iv) परीक्षा को लचीला बनाना
(v) एक ऐसी पहचान का पहचान का विकास जिसमें प्रजातान्त्रिय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिन्ताएं समाहित हो।

NCF 2005 को पाँच अंगों में बाँटा गया है-
(i) परिप्रेक्ष्य (ii) सीखने का ज्ञान (iii) पाठ्यचर्या के प्रति स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन (iv) विद्यालय व कक्षा का वातावरण (v) व्यवस्थागत सुधार

Scanned by CamScanner

NCF 2005 के उद्देश्य (4)

(i) विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना।
(ii) विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना।
(iii) प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना
(iv) भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं विकास एवं राष्ट्रीय एकता का विकास
(v) अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति
(vi) शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना।
(vii) स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग।
(viii) अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास
(ix) शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना।

NCF-2005 की आवश्यकता / Need (Need and Importance)

(i) छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण करना।
(ii) बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को दूर करना।
(iii) परीक्षाओं के डर को दूर करना
(iv) मीडिया और ऑप्टिक तकनीकी का ज्ञान आवश्यक होता है परन्तु शिक्षा अध्यापक शिक्षा केन्द्रित हो रही है उसे दूर करना।
(v) विविधताओं पर ध्यान देना।
(vi) स्कूल पद्धति को लचीला बनाना।
(vii) बच्चों को अपने अन्दर की सर्जनात्मकता प्रवृत्ति को पहचानने की आवश्यकता है और अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को समझना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(i) भाषा शिक्षण :- NCF 2005 के अनुसार बच्चों के पास अपनी स्वयं की भाषिक क्षमताएं होती हैं। इन्हीं क्षमताओं से परिवार तथा आसपास के लोगों से अन्त: क्रियाओं का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण को केवल भाषा की कक्षा तक सीमित न रखा जाए बल्कि यह प्रयास किया जाए कि विज्ञान व गणित की कक्षाएं भी भाषा की कक्षाएं बन जाएं

(ii) गणित :- NCF 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे गणित से डरें नहीं बल्कि उसका आनन्द उठाएं गणित में सूत्र व यान्त्रिक क्रियाओं से आगे जाकर महत्वपूर्ण गणित सीखें।

(iii) सामाजिक विज्ञान :- सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, राजनीति - विज्ञान तथा मानव विज्ञान जैसे विषयों कि विषयवस्तु शामिल होती है। NCF 2005 में उस बात पर बल दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का लक्ष्य विद्यार्थियों में जानी-पहचानी सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जाँच की दक्षता विकसित करना तथा वे उन सत्य के बारे में प्रश्न कर सकें।

NCF 2005 के मुख्य बिन्दु

(i) शिक्षा बाल केन्द्रित हो
(ii) विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए।
(iii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए अपनाया गया।
(iv) NCF 2005 का निर्माण NCERT ने किया
(v) NCF 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा में होगी।

Scanned by CamScanner

(iv) NCF 2005 के निदेशक प्रो० कृष्ण कुमार हैं।

(v) शिक्षा सूत्र ज्ञान से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा।

(vi) तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर बच्चों को पढ़ाया जाए

Conclusion :- NCF 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा की एक नई दिशा दी है। इसमें बच्चो को बिना बोझ के शिक्षा देने की बात कही है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात कही है।

Scanned by CamScanner

RTE - 2009 (Right to education)
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

Introduction:-

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, 86वें (2002) संवैधानिक संशोधन के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार को सुनिश्चित किया। इस अधिनियम के धारा 21(A) जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य की। संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख (4.6%) बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। जिसमें से 25 हजार करोड़ रुपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।

main objective उद्देश्य

- 6-14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मिले
- कोई भी स्कूल अगर बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से इनकार कर रहा है तो अभिभावक स्कूलों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दे सकते हैं।
- बच्चों को दण्ड देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही की जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना।
- बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि जाग्रित करना
- लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।
- ग्रामिण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना।
- इन क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करना और शिक्षा पहुँचाना

Scanned by CamScanner

जहाँ आज भी तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है।

→ बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, वर्दी, और स्कॉलरशिप प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना।

* Provision of Right to Education Act 2009 RTE 2009 प्रावधान

→ प्रत्येक बच्चे की उसके घर से एक (Km) के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन कि०मी० के अन्दर माध्यमिक स्कूल होने चाहिए

अगर इस दूरी में स्कूल नहीं Provide उपलब्ध होते हैं तो उनके लिए हॉस्टल या आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए।

→ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात, कक्षाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय पीने के पानी की सुविधा, स्कूल कार्य दिवस की संख्या, शिक्षकों के कार्य के घंटे आदि से संबंधित मानक निर्धारित करना। प्रत्येक माध्यमिक + प्राथमिक स्कूल को इन नियमों का पालन करना होगा।

→ कोई भी स्कूल बच्चे की दाखिला देते समय माता-पिता से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं मांगेगा, साथ में किसी भी माता-पिता का interview नहीं लिया जाएगा।

→ किसी भी बच्चे को किसी Document की वजह से दाखिला देने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा।

→ स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों की संख्या पर्याप्त रहेगी।

→ विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

→ किसी भी बच्चे को 8वीं० कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा

→ कोई भी शिक्षक/शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधियां (ट्यूशन)

Scanned by CamScanner

नहीं चलाएगा।

→ RTE 2009 में सभी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म पर भेदभाव, बच्चों के प्रतिग्रहण शुल्क, निजी शिक्षा केन्द्रों और अमान्य स्कूलों के कार्यकरण की स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक लगाई गई।

→ स्कूलों में छात्र के उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरूआत की।

→ विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।

Scanned by CamScanner

को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केन्द्र सरकार
जिम्मेदारी होगी।

Scanned by CamScanner

नहीं चलाएगा।

→ RTE 2009 में सभी प्रकार के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म पर भेदभाव, बच्चों के प्रतिग्रहण शुल्क, निजी शिक्षण केन्द्रों और अमान्य स्कूलों के कार्यकरण की स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक लगाई गई।

→ स्कूलों में पढ़ाई के उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की शुरूआत की।

→ विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है।

→ बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना राज्य और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होगी।

→

22 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा

(RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN, RMSA AND NCF, 2005)

"माध्यमिक शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये हैं, जिनमें RMSA व SSA प्रमुख हैं।"

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का परिचय (Introduction to Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने की घोषणा की गई थी। कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था परन्तु इस दिशा में सही कदम नहीं उठाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने इस संरचना पर अपनी मोहर ठोक दी, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 20 वर्ष बाद भी सरकार इस शिक्षा संरचना के दर्शन को ही नहीं समझ सकी, और यदि समझ सकी थी तो उसको अनदेखा करती रही। इस शिक्षा संरचना के पीछे प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को समान, अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का दर्शन सरकार को 2007 में समझ में आया।

15 अगस्त, 2007 को देश के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने अपने लाल किले पर दिए गए भाषण में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization) की घोषणा की। इसके तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 2009 में प्राथमिक स्तर के सर्व शिक्षा अभियान की तरह माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) शुरू किया। इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में राज्य स्तर पर राज्य माध्यमिक अभियान समिति का गठन किया जा रहा है और जिला स्तर पर जिला माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति का गठन किया जा रहा है। जिला माध्यमिक शिक्षा अभियान समितियाँ जिले स्तर पर योजना तैयार कर राजय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति के पास भेज रही है और राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान समितियाँ उन्हें वरीयता क्रम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति के पास भेज नहीं हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति उन्हें वरीयता क्रम में अनुदान दे रही हैं। यह योजना कई राज्यों में लागू कर दी गई है।

वित्त व्यवस्था

यह योजना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली साझा योजना है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में प्रारम्भ की गई थीं। इस योजना के दौरान केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकार 75 : 25 के अनुपात में व्यय वहन कर रही थी। विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के राज्यों के लिए यह अनुपात 90 : 10 था। 12वीं योजना (2012-17) में केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारें 50 : 50 के अनुपात में व्यय वहन कर रही हैं। विशेष श्रेणी (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के राज्यों के लिए यह अनुपात 90 : 10 ही रहेगा। केन्द्र शाषित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर प्रान्त में सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य

इस अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं—

(1) 2015 तक 15-16 वर्ष आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 एवं कक्षा 10) सुलभ करना। और

Scanned by CamScanner

(2) 2020 तक शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने हेतु रोके रखना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अभियोजनाएँ

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अभियोजनाएँ (Stratagies) बनाई गई हैं—

(1) ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों, जिनके अपने भवन हैं और जिनमें विस्तार के लिए खाली भूमि है, उनमें चार अतिरिक्त पढ़ाई कक्ष एवं आवश्यक प्रयोगशालाओं का निर्माण कराकर और उनमें आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करके, उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में समुन्नत किया जाएगा।

(2) ऐसे माध्यमिक विद्यालयों, जिनके अपने भवन हैं और जिनमें विस्तार के लिए खाली भूमि है, उनमें अतिरिक्त पढ़ाई कक्ष व प्रयोगशालाओं का निर्माण कराकर और आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करके, उनकी प्रवेश क्षमता बढ़ाई जाएगी।

(3) जहाँ 5 किमी० की पहुँच के अन्दर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएँगे और जहाँ 7 किमी की पहुँच के अन्दर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाएँगे। साथ ही प्रत्येक ब्लाक में कम-से-कम एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय (मॉडल स्कूल) खोला जाएगा।

(4) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) एवं अल्पसंख्यकों (Minorities) के बच्चों एवं लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएँगे।

(5) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ उसमें गुणात्मक उन्नयन किया जाएगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे कार्य (Steps Being Taken by Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है—15 से 16 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना, उनका विद्यालयों में नामांकन कराना, उन्हें विद्यालयों में रोके रखना और उन्हें कक्षा 10 उत्तीर्ण कराना। इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन कर रहा है—

1. शत प्रतिशत सुविधा (Cent Percent Opportunity or Universal Access)—इस हेतु जहाँ 5 किमी० की दूरी के अन्दर कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है वहाँ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है और जहाँ 7 किमी० की दूरी के अन्दर कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं हे वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों को भौतिक संसाधन; जैसे—अतिरिक्त कक्षाकक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आर्ट एण्ड क्राफ्ट कक्ष, शौचालय, पीने का पानी की सुविधा, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SCs), अनुसूचित जनजाति (STs) और अल्पसंख्यक (Minorities) वाले क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. शत प्रतिशत नामांकन (Cent Percent Enrolment or Universal Enrolment)—नामांकन बढ़ाने के लिए अधिकार और कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

3. शत प्रतिशत धारण (Cent Percent Retention or Universal Retention)—बच्चों को विद्यालयों में रोके रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें बीच में विद्यालय छोड़कर न जाने देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए—

(i) नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात 1 : 30 हो सके।

(ii) विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(iii) शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(iv) विज्ञान प्रायोगशाला का निर्माण किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

23 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना

(OPERATION BLACK BOARD, DPEP, SSA, AND MDM)

"प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ नौकरशाही के जाल में फँसकर विशुद्ध हो रही है।"

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
(Operation Black Board)

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 'ऑपरेशन' शब्द इस कार्यकम के महत्त्व तथा आवश्यकता को दर्शाता है कि इस आपरेशन को पूरी शक्ति के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड शब्द सूचक है जिसका—

1. स्कूल में भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना तथा
2. स्कूल में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना।

भौतिकी सुविधाएँ—वर्ष 1986 की शिक्षा नीति के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिक स्कूलों मे निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी—

1. कम-से-कम दो कमरे (प्रत्येक लगभग 24 वर्ग मीटर आकार का) होने चाहिए जिनके साथ आँगन जुड़ा हुआ हो।
2. लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग स्नानगृह तथा शौचालय।
3. स्कूल के चारों ओर सीमा दीवार का प्रावधान।
4. अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्रों के लिए प्रकाश का प्रवन्ध।
5. बच्चों के बैठने के लिए उचित प्रवन्ध हो। इसके लिए प्रत्येक कक्षा के लिए दस दरियों का प्रबन्ध करना चाहिए।
6. प्रत्येक कक्षा के लिए एक श्यामपट्ट।
7. चॉक उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा
8. प्रत्येक स्कूल के लिए घण्टी होनी चाहिए।

अधिगम उपकरण- राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक स्कूल मे कम-से-कम निम्नलिखित अधिगम सामग्री रखने का प्रस्ताव रखती है।

1. पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें तथा शिक्षक निर्देशिकाएँ।
2. भारत, राज्य तथा जिला, प्रत्येक का नक्शा।
3. आवश्यक चार्ट, खिलौने था प्लास्टिक का एक ग्लोब।
4. कैंची, हथौड़ी तथा प्लास इत्यादि औजार।
5. रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर।
6. पुस्तकालय जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें हों तथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम-से-कम दो पुस्तकें उपलब्ध हों।

Scanned by CamScanner

7. दो पत्रिकाएँ जिनमें से एक विद्यार्थियों से सम्बन्धित हो तथा दूसरी अध्यापकों से सम्बन्धित उपलब्ध हो।
8. विज्ञान की किट तथा अन्य अधिगम सामग्री।

नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम-से-कम दो अध्यापक होने चाहिए जिनमे से एक महिला अध्यापक हो, जितना शीघ्र सम्भव हो प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक का प्रबन्धन किया गया जाएगा।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्त्व
(Need and Importance of the Programme of Operation Black Board)

इस ऑपरेशन की निम्नलिखित आवश्यकताएँ तथा महत्त्व हैं—

1. शैक्षिक वातावरण तैयार करने हेतु शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया सुचारु रूप से तथा प्रभावी ढंग से चले, इसके लिए स्कूलों में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है।

यदि स्कूल में इमारतों का अभाव हो तो विद्यार्थियों को सब ऋतुओं में बाहर बैठना पड़ेगा। यदि विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाइयाँ न हों, तो न तो अध्यापक अपना कर्त्तव्य उचित ढंग से निभा पाएँगे, न ही विद्यार्थी उचित रूप से अध्यापन कर पाएँगे। इसलिए ऑपरेशन का महत्त्व इस दृष्टि से है कि भौतिक सुविधाएँ प्रदान कर यह अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करने का प्रयत्न करता है।

2. शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु—शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूल में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या हो तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में अधिगम सामग्री उपलब्ध हो, श्यामपट्ट, चॉक, मानचित्र इत्यादि अधिगम सामग्री की अनुपस्थिति में उत्तम शिक्षण नहीं हो सकता था उत्तम शिक्षण के बिना शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं हो सकता। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि यह ये सब सुविधाएँ प्रदान कर शैक्षिक स्तरों में सुधार में सहायता करता है।

3. अपव्यय तथा अवरोध की समस्या के समाधान हेतु—शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोध की समस्या ने प्रत्येक शिक्षाविद् का ध्यान आकर्षित किया है। इस समस्या के कारणों में से मुख्य कारण स्कूलों में इमारतों, अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। इन सुविधाओं का अभाव स्कूलों में विद्यार्थियों के बने रहने में रुकावट डालता है। इस समस्या के समाधान पाने के बिना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। स्कूलों में सामग्री तथा अन्य शैक्षिक साधन उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरम्भ किया गया है। इस प्राकर शिक्षा के इस स्तर पर यह अपव्यय तथा अवरोध की समस्या को नियन्त्रित करने में अवश्य सहायता करेगा।

4. शिक्षा की सार्वभौमिक बनाने हेतु—भारत के संविधान के अनुसार हमारा लक्ष्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का है ताकि इसे सार्वभौमिक बनाया जा सके। परन्तु सुविधाओं के अभाव में स्कूल बच्चों तथा उनके माता-पिता को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय किसी कार्य में लगाना अधिक उपयुक्त मानते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalisation) के लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य स्कूलों में सामग्री, शैक्षिक सुविधाओं तथा पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध कराना है। यह शिक्षा को सार्वभौमिक (Universal) बनाने में अवश्य सहायता करेगा।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसा ऑपरेशन है इसे लागू करना अत्यावश्यक है। यदि हम सम्पूर्ण निष्ठा से इस ऑपरेशन को सफल बनाए तो इस बात में काई सन्देह नहीं है कि हमारी शैक्षिक संस्थाएँ, 'आदर्श शैक्षिक संस्थाएँ' बन जाएँगी तथा ये शिक्षा के अन्य स्तरों पर भी गुणात्मक सुधार लाने में सहायक होंगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
(DPEP)

केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली में फिर से नवजीवन देना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा करना था।

Scanned by CamScanner

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाने (शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करने), बच्चों को स्कलों में बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ-साथ काम करना है, इससे जिले को योजना की इकाई मानते हुए 'क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण' अपनाया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य समुदाय की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और प्रासंगिकता बनाए रखना हे। यह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में योजना, प्रबन्धन एवं व्यावसायिक सहायता हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं राज्य संस्थानों तथा संगठनों की क्षमता में वृद्धि में भी सहायता करता है।

यह कार्यक्रम 'अतिरिक्त व्यवस्था' के सिद्धान्त पर आधारित है और इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों को और सहायाता देकर विद्यमान कमी को दूर करना है। इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों को कम-से-कम वास्तविक अर्थ में उतना व्यय तो करना ही पड़ता है, जो आधार-वर्ष में हुआ हो।

इस कार्यक्रम के घटकों को नए स्कूल और कक्षाओं का निर्माण, अनौपचारिक/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, नए अध्यापको की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, राज्यस्तरीय शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्रों और प्रशिक्षण परिषदों (एस०सी०ई०आर०टी०) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी०आई० ई० टी०) का सशक्तिकरण, प्रखण्ड (ब्लॉक) संसाधन केन्द्र/समूह संसाधन केन्द्र, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण/अध्यापन सामग्री का विकास, अनुसन्धान आधारित पहल, वंचित समूहों, बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि हेतु पहल एवं अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर (दूरस्थ) शिक्षा को भी डी० पी० ई० पी० योजना में शामिल किया गया है।

इस कार्यक्रम मे मानदण्डों के अनुसार, 5-7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति जिला निवेश सीमा 40 करोड़ है। इसमें निर्माण कार्यों पर 33.3% और प्रबन्धन मद में व्यय सीमा 06 प्रतिशत है। शेष शिक्षण आधार कार्यक्रमों के लिए है।

डी० पी० ई० पी० बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। परियोजना व्यय का 85% केन्द्र सरकार द्वारा एवं शेष 15% सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार का हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है। वर्तमान में विदेशी सहायता लगभग 6938 करोड़ है, जिसमें से 5137 करोड़ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई० डी० ए०) से ऋण के रूप में तथा शेष 1801 करोड़ अनुदान के रूप में हैं।

वर्तमान में डी० पी० ई० पी० नौ राज्यों के 123 जिलों में चल रहा है। अपने सर्वोच्च स्तर पर डी० पी० ई० पी० किसी समय 18 राज्यों के 273 जिलों में चल रहा था। धीरे-धीरे इसमें कमी आने के साथ ही अब यह मात्र 123 जिलों में ही प्रचलित है।

इस कार्यक्रम का सर्वेक्षण वह नियन्त्रण 'आवधिक निगरानी मिशनों'; जैसे—संयुक्त समीक्षा मिशनों, परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (पी० एम० आई० एस०), शैक्षणिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (ई० एम० आई० एस०), कार्यक्रम प्रभाव अध्ययन इत्यादि के माध्यम से की जाती है। इस कार्यक्रम की समीक्षा और विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों से यह बात समाने आयी है कि कार्यक्रम से स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में भारी वृद्धि, शिक्षण स्तर में सुधार, अनुत्तीर्ण होने वाले या बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी के साथ ही सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि एवं पढ़ाई के तरीके में सुधार हुआ है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उपलब्धियाँ (DPEP)

1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले हैं, जिसमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केन्द्र (ए० एस०) हैं। इन वैकल्पिक शिक्षण केन्द्रों में 35 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि अन्य दो लाख बच्चे विभिन्न प्रकार के सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किया गया विद्यालीय ढाँचा उल्लेखनीय है। 52,758 स्कूली भवनों, 58,604 अतिरिक्त कक्षाओं, 16,619 संसाधन केन्द्रों, 29,307 मरम्मत कार्यों, 64, 592 शौचालयों और 24,909 पेयजल सुविधाओं के निर्माण का कार्य तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान चरण—I के राज्यों में सकल नामांकन अनुपात (जी० ई० आर०) 93 से 95% रहा है। वैकल्पिक स्कूलों/शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में दाखिले का समायोजन करने के बाद वर्ष 2008-09 में जी० ई० आर० 100% से भी

Scanned by CamScanner

अधिक आता है, जो जिले डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत आते हैं और जहाँ डी० पी० ई० पी० अलग-अलग चरणों में लागू है, वहाँ वैकल्पिक स्कूलों/शिक्षा गारण्टी स्कूलों (ए० एस०/ई० जी० एस०) सहित सकल नामांकन अनुपात 90 % से अधिक है।

4. बालिकाओं के नामांकन की तुलना में विशेष सुधार हुआ है। डी० पी० ई० पी० चरण—I के जिलों में हुए कुल नामांकन की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में 48 से 49% की वृद्धि हुई है, जबकि डी० पी० ई० पी० जिलों में विभिन्न चरणों में यह वृद्धि 46 से 47% है।

5. वर्तमान में नामांकन किए हुए कुल विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 4,20,203 है, जो डी० पी० ई० पी० राज्यों में विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 5,53,844 का लगभग 76% है।

6. सभी परियोजना गाँवों/रिहायशी इलाकों/स्कूलों में ग्राम शिक्षा समितियों/विद्यालय प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान
(SSA)

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की योजना वर्ष 2001 में शुरू की गयी थी। एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के वर्ग वाले बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य इस प्रकार हैं—

1. वर्ष 2005 सभी स्कूलों, शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्रों/ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे इस अभियान में शामिल किये गये हैं।

2. प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा वर्ष 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव समाप्त करना।

3. वर्ष 2010 तक के लिए शिक्षा। जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सन्तोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल देना।

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 85 : 15 के अनुपात में सहभागिता प्रबन्ध के आधार पर सहायता दी गयी। 10वीं योजना के दौरान सहभागिता प्रबन्ध 75 : 25 तथा इसके बाद यह 50 : 50 के आधार पर दी जायेगी। इसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं जिन्हें 15 % सहायता राशि दो वर्षों यथा (2005-06 और 2006-07) के लिए डीओएनईआर मन्त्रालय उपलब्ध करायेगा।

यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू किया जायेगा तथ्ज्ञा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा कठिन परिस्थितियों मे रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं हैं, वहाँ नये स्कूल खोलना तथा अतिरिक्त कक्षाओं हेतु नये कमरे, शौचालय, पेयजल, रख-रखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नये स्कूल खोलना और पुष्ट करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ से दिसम्बर, 2009 तक लगभग 1.90 लाख नये विद्यालय खोले जा चुके हैं। 1,49,683 लाख नई विद्यालय इमारतें तथा 6,50,442 लाख अतिरिक्त कतरे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं और 31 मार्च, 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 78.47 लाख नये शिक्षक नियुक्ति किये जा चुके हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए ग्याहरवीं योजना में 576.45 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये थे।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। वर्ष 2001-02 में स्कूल छोड़ने वाले 3.20 करोड़ बच्चों के मुकाबले मार्च, 2009 में यह संख्या लगभग 68 लाख रही। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में 19.2 % की तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 19% की बढ़ोत्तरी हुई। वर्तमान में 74 लाख बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो छोटे और दूर-दराज की रिहायशों में खोले गये हैं और कामकाजी बच्चों, परिवारों के साथ दूर-दराज की जगहों से आये बच्चे और शहरी वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों

Scanned by CamScanner

की व्यवस्था सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के अन्तर को समाप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme of Education for Girls at Elementary Level)

सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान योजना के अधीन एनपीईजीईएल (NPEGEL) प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित/पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकास खण्डों में चलाया जा रहा है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकास खण्डों में भी चलाया जा रहा है जहाँ कम-से-कम 5% जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति की है और जाति अनुसूचित जाति/जनजाति महिला साक्षरता की दर वर्ष 2001 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 9% कम है।

क्रियान्वयन

यह संस्था अपने कार्यक्रम अग्रलिखित प्रकार चलाती है—

1. बालिकाओं व महिलाओं के लिए जागरुकता कार्यक्रम-संगोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।
2. बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय खोलकर।
3. 'मीनामंच' का कार्यक्रम चलाकर।
4. उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता व प्रोत्साहन देकर।
5. कम पढ़ी-लिखी महिलाओं हेतु स्थानीय दस्तकारी, सिलाई-कढ़ाई, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना।
6. शिक्षा से वंचित महिलाओं के अतिरिक्त व विशेष संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षित करना।
7. महिलाओं के प्रति भेदभाव व लैंगिक असमानता को समाप्त करने का प्रयास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित करना।

आच्छादन—भारत का जनगणना 2001 के आधार पर जहाँ महिलाओं की राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, उन जिलों व विकास खण्डों में एन० पी०ई०जी०ई०एल की योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

जिस जिले या विकास या खण्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी है जो राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर से कम है।

कार्यक्रम के सहयोगी/आनुषंगिक/संचालक संस्थाएँ

एन०पी०ई०जी०ई०एल० योजना एक संयुक्त विकासकारी कार्यक्रम है, जो अनेक संस्थाओं, विभागों एजेन्सियों के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किये जाते हैं-जो इस प्रकार हैं—

1. सर्व शिक्षा अभियाान-उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्
2. महिला समाख्या
3. महिला कल्याण आयोग, उ०प्र०
4. यूनीसेफ
5. अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग
6. राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ०प्र०
7. राज्य शिक्षा विभाग (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा)
8. स्वायत्तशासी संस्थाएँ (एन०जी०ओ०)
9. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

Scanned by CamScanner

मध्याह्न भोजन योजना
(Mid-day Meal Scheme)

प्राथमिक शिक्षा के लिए नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाने रखने और उंपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया। वर्ष 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और संस्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों तक किया गया, बल्कि ईजीएस और एआईई केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस योजना के अन्तर्गत—प्रत्येक स्कूल दिवस में प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने-ले-जाने के लिए प्रति कुन्तल 50 रुपये की अनुदान सहायता शामिल हैं।

Scanned by CamScanner

सितम्बर, 2004, में इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएस/एआईई केन्द्रों में पढ़ाई कर रहे कक्षा में एक से पाँच तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्यान्ह भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। नि:शुल्क अनाज देने के अतिरिक्त इस संशोधित योजना के तहत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है—

1. प्रति स्कूल दिन प्रति बालक एक रूपया भोजन पकाने की लागत।

2. विशेष वर्गीकृत राज्यों के लिए परिवहन अनुदान पहले के 50 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति कुन्तल तक किया गया।

3. अनाज, परिवार अनुदान और रसोई सहायता को दो % की दर से प्रबन्धन, निगरानी और मूल्यांकन लागत सहायता।

4. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान जुलाई, 2006 में रसोई लागत में सहायता देने के लिए फिर योजना में संशोधन किया गया, जो इस प्रकार है-

5. (i) उत्तर पूर्व क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रति बालक स्कूल दिवस की दर से एनईआर का योगदान 0.20 प्रति बालक/स्कूल दिवस और (ii) अन्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 1.50 रुपये प्रति बालक/स्कूल दिवस तथा बाकी 0.50 रुपये प्रति बालक स्कूल दिवस। ये राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश उलब्ध करायेंगे।

उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और ईजीएस तथा एआईई केन्द्र में कक्षा एक से पाँचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

2. सुविधाहीन वर्ग के गरीब बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3. गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।

संशोधित योजना की विशेषताएँ

1. नजदीकी एफसीआई गोदाम से प्रति स्कूल प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ, चावल) को निःशुल्क आपूर्ति करना।

2. एफसी आई गोदाम से स्कूल तक खाद्यान्न ले जाने के लिए हुए वास्तविक परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति जो अधिकतम इस प्रकार है-

(i) 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के 100 रुपये प्रति कुन्तल। ये राज्य हैं—अरुणाचल प्रदेश, असोम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड।

(ii) अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 रुपये प्रति कुन्तल।

3. रसोई लागत के लिए निम्नलिखित दर से सहायता का प्रावधान—

(i) उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए प्रति स्कूल प्रति बालक 1.80 रुपये की दर से राज्य की सहायता 20 पैसे प्रति बालक।

(ii) अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रति बालक प्रति स्कूल 1.50 रुपये की सहायता, राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों का योगदन 50 पैसे प्रति बालक।

उपरोक्त बढ़ी हुई केन्द्रीय सहायता पात्रता के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रशासनों को न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।

4. राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान।

5. चरणबद्ध तरीके से रसोई-सह-भण्डार निर्माण के लिए प्रति इकाई रुपये 60000 तक सहायता का प्रावधान। हालाँकि अगले 2-3 वर्ष में सभी स्कूलों के लिए रसोई-सह-भण्डार के निर्माण के लिए एमडीएमएस के अन्तर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं लगता। अतः इस उद्देश्य के लिए अन्य विकास कार्यों के साथ राज्य सरकारों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

Scanned by CamScanner

6. 5000 रुपये प्रति स्कूल की सामान्य लागत पर भोजन सामग्री तथा रसोई उपकरण बदलने के लिए चरबद्ध तरीके से सहायता का प्रावधान। स्कूलों की वास्तविक आवश्यकताओं (राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के लिए कुल सामान्य सहायता प्रति स्कूल रुपये 5000 ही रहेगी) के आधार पर नीचे दी गयी वस्तुओं पर खर्च में लचीलापन राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश रख सकते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना मे परिवर्तन लागत में वृद्धि

प्रदेश के शासकीय, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे संचालित मध्याह्न भोजन योजना में निम्नलिखित परिवर्तित व्यवस्था की गयी है-

1. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत हेतु क्रमशः रुपये 2.50 प्रति छात्र व रुपये 3.75 प्रति छात्र प्रतिदिन का प्रावधान जो दाल, सब्जी, तेल व वसा, नमक एवं मसाले और ईंधन पर ही व्यय की जायेगी।

2. रसोइया-कम-हेल्पर का मानदेय अब परिवर्तन लागत से घटाया नहीं जायेगा। इस हेतु अलग से रुपये 1,000 का मानदेय प्रति रसोइया प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान।

3. परिवर्तन लागत में दिनांक 01-04-2010 तथा दिनांक 01-04-2011 को 7.5 % की क्रमशः वृद्धि का प्रावधान।

4. निम्नानुसार मध्याह्न भोजन के नवीन मानकों का निर्धारण—

क्रम सं०	सामग्री	प्रति छात्र प्रतिदिन प्राथमिक स्तर	प्रयुक्त होने वाली मात्रा उच्च प्राथमिक स्तर
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियाँ (पत्तेदार सहित)	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल एवं वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक एवं मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

मध्याह्न योजना साप्ताहिक आहार तालिका

दिन	व्यंजनों के नाम	व्यंजन के प्रकार	100 बच्चों हेतु वांछित सामग्री
सोमवार	रोटी-सब्जी, सोयावीन अथवा दाल की बड़ी मिश्रित, अथवा पूड़ी-सब्जी सोयाबीन।	100 ग्राम गेहूँ की रोटी अथवा पूड़ी एवं दाल, दाल में मौसमी सब्जी का स्वाद अनुसार मिश्रण अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।	आटा 10 किलोग्राम सोयाबीन एवं सब्जी अथवा दाल 6 किलो तेल/घी 2 किलो।

Scanned by CamScanner

मंगलवार	चावल दाल अथवा चावल साम्भर।	100 ग्राम चावल एवं मौसमी सब्जी मिश्रित दाल, अरहर की दाल, साम्भर समाला एवं मौसमी सब्जी।	चावल 10 किलो, दाल 2.5 किलो, सब्जी 3 किलो।
बुधवार	कढ़ी-चावल अथवा मीठा चावल/खीर।	100 ग्राम चावल बेसन, मट्ठा/दही मिश्रित कढ़ी मानक के अनुसार दूध, मेवा मिश्रण।	चावल 10 किलो, दही अथवा दूध 10 लीटर, चीनी 3 किलो, बेसन 2.5 किलो।
बृहस्पतिवार	रोटी-दाल अथवा पूड़ी सब्जी, सोयाबीन।	100 ग्राम गेहूँ की रोटी अथवा पूड़ी एवं दाल अथवा मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन।	आटा 10 किलोग्राम सोयाबीन एवं सब्जी अथवा दाल 6 किलो तेल/घी 2 किलो।
शुक्रवार	ताहरी।	100 ग्राम चावल एवं सब्जी, आलू, सोयाबीन एवं समय-समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जी।	चावल 10 किलोग्राम सब्जी सोयाबीन की बड़ी युक्त 6 किलो।
शनिवार	सब्जी-चावल, सोयाबीन अथवा मीठा चावल/खीर।	100 ग्राम चावल एवं सोयाबीन तथा मसालें एवं ताजी सब्जी अथवा दूध चीनी मेवा।	चावल 10 किलोग्राम सोयाबीन सब्जी 6 किलो अथवा दूध 10 लीटर एवं चीनी 3 किलो।

Scanned by CamScanner

9

वैश्वीकरण और शिक्षा
(GLOBALISATION AND EDUCATION)

"वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अपेक्षाकृत सामाजिक सम्बन्ध दूरी सहित तथा सीमारहित गुण ग्रहण करते हैं।"
—वेर्यालस तथा स्मिथ

वैश्वीकरण का अर्थ
(Meaning of Globalisation)

"वैश्वीकरण" यह अंग्रेजी शब्द ग्लोबेलाइजेशन का हिन्दी-अनुवाद है, यह एक व्यापक अर्थ वाला सम्प्रत्यय नहीं है। इसमें वसुधैवकुटुम्बकम् में निहित प्रेम, सम्मान एवं विश्व-कल्याण की भावना नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में **'सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणिपश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्'** का भाव नहीं है। इसका सबके सुखी होने, किसी के दुःखी न रहने, सबके समान होने जैसे उच्चतर सोच से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रयोग एक आर्थिक-प्रक्रिया तक सीमित है। वैश्वीकरण वस्तुतः उत्पादन एवं उपभोग पूँजी-प्रवाह, सेवाओं तथा कानूनों एवं राजनीति के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की आर्थिक प्रक्रिया है। यह एक ध्रुवी संसार के अन्तर्गत हो रही प्रक्रिया है, इसके सक्रिय होने के परिणामस्वरूप 'राज्य' नामक संस्था विश्वव्यापी रूप से पीछे हटती जा रही है। इसके द्रुत प्रसार का आधार स्तम्भ जैव-तकनीकी तथा सूचना-संप्रेषण तकनीकी में हुई क्रान्ति है।

वैश्वीकरण में अन्तर्राष्ट्रीयता का भाव भी नहीं है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का अतिक्रमण है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीयता के भाव में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सीमाओं, उनकी आकांक्षाओं की प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाता है तथा सभी राष्ट्रीयताओं में समानताओं को ढूँढकर सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया जाता है इसके ठीक विपरीत यह वैश्वीकरण राष्ट्रीय सीमाओं का अवमूल्यन करता है तथा सार्वभौमिकता को निर्बल करता है।

वैश्वीकरण का अर्थ है, राष्ट्रीय, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। इस संस्थिति में वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा माल, पूँजी, प्रौद्योगिकी, उत्पादन के साधनों आदि का बिना किस प्रतिबन्ध के स्वतन्त्र रूप से विश्व के देशों में प्रवाह होता है। परिमाणतः किसी भी औद्योगिक इकाई के लिये कोई भी संरक्षित घरेलू बाजार नहीं रह पाता बल्कि उसे बाजार के लिये विश्व की औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ऐसे में वही बाजार में टिक पायेगा, अपने को चला पायेगा, जो तकनीकी, संसाधनों आदि की दृष्टि से ज्यादा समृद्ध होगा। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतियोगिता, कुशलता को बढ़ायेगी। प्रतियोगिता का क्षेत्र पूरा विश्व होगा—यह खुला प्रतियोगिता-क्षेत्र होगा। कोई भी देश विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के अपने देश में प्रवेश कर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकेगा। इसके दो पक्ष हैं, जिनमें प्रथम एवं महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रतियोगिता में अविकसित एवं विकासशील देशों के उद्योग पिछड़ जायेंगे। इन देशों के संसाधनों एवं बाजार पर विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार होता चला जायेगा। घरेलू उद्योग धन्धे नष्ट हो जायेंगे। बेकारी बढ़ेगी और ये देश सहज में सस्ती दर पर श्रम-शक्ति एवं प्राकृतिक भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले देश हो जायेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इनकी तकनीकी विवशता का लाभ उठाकर अपनी शर्तों पर श्रम-शक्ति एवं संसाधनों का क्रय करेंगी। इस तरह वैश्वीकरण समकालीन संस्थितियों में अप्रत्यक्ष रूप में पूँजीवाद की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है। यह वह आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें समृद्ध और अधिक समृद्ध होंगे तथा अमीर और गरीब विश्व की अमीरी एवं गरीबी की खाई और बढ़ेगी। तृतीय विश्व के देश इससे बहुत प्रभावित होंगे और इसमें जी-7 के देश बहुत लाभान्वित होंगे।

Scanned by CamScanner

वैश्वीकरण और भारत
(Globalisation and India)

वर्ष 1991 के प्रारम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व भयावह संकट आया। स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार के आर्थिक संकट की स्थिति पहली बार देखने को मिली। यह भी बहुत तीव्र तथा संचयी मुद्रा-स्फीति तथा बहुत अधिक मात्रा में राजकोषीय तथा चालू के घाटे की स्थिति। इस प्रकार की भयावह आर्थिक संकट की स्थिति से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये सरकार ने आर्थिक सुधारों की बात सोची। इस क्रम में 24 जुलाई, 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। जिससे आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। नयी औद्योगिक नीति में पाँच क्षेत्रों में परिवर्तन की स्पष्ट घोषणा की गई, ये क्षेत्र थे—

(1) औद्योगिक लाइसेंसीकरण, (2) विदेशी विनियोग, (3) सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति, (4) विदेशी प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति, (5) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यवहार अधिनियम में परिवर्तन।

औद्योगिक नीति के इन पाँचों आयामों में परिवर्तन के लिये राजकोषीय नीति, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, फेरा कानून में अनेक परिवर्तन किये गये। नई आर्थिक नीति के निम्नांकित चार स्तम्भ थे—

(1) वैश्वीकरण, (2) उदारीकरण, (3) निजीकरण, (4) बाजारीकरण।

वैश्वीकरण के प्रमाण
(Effects of Globalisation)

इस नई नीति का श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री **श्री नरसिंह राव** तथा वित्तमन्त्री **श्री मनमोहन सिंह** (वर्तमान में प्रधानमन्त्री) को जाता है। उपर्युक्त विषम आर्थिक परिस्थितियों में भारत भी वैश्वीकरण के अभियान में शामिल होने के लिये बाध्य हुआ। क्योंकि इन स्थितियों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बन्द एवं प्रतिबन्धित अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं रखा जा सकता था। अत: भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर मोड़ना एक अपरिहार्यता हो गई और भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित हो गया। परिणामत: भारत की विकसित देशों पर निर्भरता बढ़ गई, इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने को जोड़ लिया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का देश में प्रवेश हुआ, इनमें विनिवेश बढ़ा, उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन नहीं रहा। व्यापार, वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्रों पर निर्भरता बढ़ी। भारत में श्रम-शक्ति सस्ती होना और इसके पास बड़ा बाजार होना, ये दो ऐसे आकर्षण के बिन्दु थे जिनकी वजह से विकसित देश तेजी से भारत की ओर आकृष्ट हुए। इस वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हैं।

Scanned by CamScanner

1. सकारात्मक पक्ष–वैश्वीकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये राष्ट्रीय सीमाओं को खोला है। हमने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। इसने मानव-विकास की अपार सम्भावनायें प्रस्तुत की है, नये अवसर प्रदान किये हैं तथा तीसरी दुनिया के कुछ लोगों के जीवन की गुणात्मकता में वृद्धि की है। गुणात्मकता की दृष्टि से अच्छी वस्तुयें बाजार में आई हैं, एक क्षेत्र की वस्तुओं में विविधता भी आई है। जिनके पास खरीदने की क्षमता है, उनको ज्यादा आराम मिला है। द्रुततर सम्प्रेषण यात्रा तथा सूचना-प्रौद्योगिकी ने संसार को एक वैश्विक ग्राम का रूप दे दिया है। संसार में घटित हो रही घटनाओं, बढ़ रहे ज्ञान-क्षेत्रों की जानकारी, हम अपने कमरे में बैठकर प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न देशों के लोगों के बीच विचार-विनिमय, समानता एवं परम्पराओं के विनिमय को गति मिली है। हमारा व्यवहार एवं सोच व्यापक हुआ है। हमारी दृष्टि वैश्विक होती जा रही है। हम वैश्विक चिन्ता एवं चिन्तन के विषयों में सहयोगी हो रहे हैं। हमें चाहिये कि हम इसके इस सत्-पक्ष का अधिकाधिक उपयोग करते हुए परस्पर सहयोग एवं सौहार्द को बढ़ावा दें और विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ायें।

2. नकारात्मक पक्ष–वैश्वीकरण के सम्बन्ध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ इसका योगदान सकारात्मक मानते हैं तो दूसरा समूह इसके आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हैं। पूर्व में इसके सत-पक्ष का संक्षिप्त उल्लेख कर चुके हैं आइये, देखें इसके दुष्प्रभाव क्या हैं ?

(1) आर्थिक क्षेत्र में–विश्व बाजार एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा है। इसका कुछ देशों को बहुत लाभ मिला है, तो बहुत-से देश अपनी आत्मनिर्भरता खो चुके हैं और पराधीन हो गये हैं। जी-7 के देश, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF), विश्व बैंक व्यापार संगठन (WTO) इस प्रक्रिया से लाभान्वित हुए हैं। आज जी-7 देशों के हाथों में विश्व अर्थ व्यवस्था है। ये देश मुद्रा प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियन्त्रित करते हैं। इन देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन देशों की सरकारों की सहायता से पूरी प्रक्रिया को नियन्त्रित करती हैं। विदेशी ऋण प्रक्रिया नियन्त्रण का साधन है। ऋण दिये जाने सम्बन्धी शर्तें ऋण लेने वाले अल्पविकसित एवं विकासशील देशों पर थोपी जाती हैं, जिनके भारी बोझ से वे उभर नहीं पाते। विकासशील देशों का काम सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध कराने तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने तक सीमित रह गया है। यह श्रम-शक्ति एवं कच्चा माल भी ये देश विकसित देशों की शर्तों पर उपलब्ध कराने को विवश हैं। ये दरें बहुत सस्ती होती हैं। बहुराष्ट्रीय देशों की शर्तों पर उपलब्ध कराने को विविश हैं। ये दरें बहुत अधिक सस्ती होती हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की स्वच्छन्द बढ़ोतरी तथा विदेशी-व्यापार पर सर्वाधिक बल तीसरी दुनिया के देशों की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। यह उस विकास-प्रतिरूप की विरोधी है, जोकि इन देशों के लिये चाहिये। आज मुख्य उत्पादन को या तो निर्यात के लिये हो रहा है या समाज के समृद्ध वर्ग के लिये। वैश्विक स्वतन्त्र बाजार में इन दो का ही महत्व है, एक वे जिनके पास बेचने के लिये समान है, दूसरे वे जिनके पास खरीदने के लिये पैसा है। लघु उद्यमियों का जीना दूभर है, जो समृद्ध हैं जिनमें प्रतियोगिता में डटे रहने की क्षमता है, वे ही जीवित रह सकते हैं। इस तरह धनी एवं गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है। देशों के सम्बन्ध में इसे लें तो धनी एवं समृद्ध देश तथा अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में समृद्धि का अन्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक देश में धनी वर्ग एवं गरीब वर्ग के बीच की दूरियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। गरीबों की तेजी से बढ़ती संख्या, विश्व में एवं देशों में तेजी से बढ़ती असमानता गम्भीर चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है। स्थिति यह बताई जाती है कि ऊपर के 20 प्रतिशत लोग 82.7 प्रतिशत का उपभोग कर रहे हैं, जबकि नीचे के 20 प्रतिशत को 1.4 प्रतिशत पर जैसे-तैसे जीव निर्वाह करना पड़ता है। कितनी भयंकर असमानता की स्थिति है। वैश्वीकण धनी लोगों के हित के लिये काम करता है। मूल प्रक्रिया में गरीब तो पदार्थ रूप है, जिनका उपयोग सस्ती श्रम-शक्ति के रूप में किया जाता है। इस विश्लेषण से निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व बहुसंख्यक लोगों के हित में नहीं है। यह एक शोषक समाज को उभार रही है। जिसका परिणाम देर-सबेर में वर्ग-संघर्ष हो सकता है। इससे समाज विभाजित हो रहा है, विघटित हो रहा है। विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो रही है, वह आज बहिष्कृत एवं हाशिये पर है। इस तरह आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया पूँजीवाद प्रक्रिया है जोकि हिंसक शोषक प्रक्रिया है।

Scanned by CamScanner

10

निजीकरण और शिक्षा
(PRIVATISATION AND EDUCATION)

"निजीकरण एकाधिकार का प्रतीक होता है यद्यपि निजीकरण लाभकारी है, तथापि अन्तोगत्वा निजीकरण दुष्परिणाम ही देता है।"

निजीकरण का अर्थ तथा विशेषताएँ
(Meaning and Features of Privatisation)

निजीकरण का अर्थ है सरकार के नियन्त्रण से बाहर रहकर कार्य करने की विधि। यह व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है या संगठनात्मक, संस्थानात्मक या सामूहिक स्तर पर। **टी० थॉमस** के अनुसार— *"हमें अपने निजी क्षेत्र में अधिक विश्वास रखना चाहिए और इस पूरे विश्व में निजी जगत के साथ स्वतन्त्रता से सहयोग की अनुमति देनी चाहिए। हमें विश्व के लिए दरवाजे बन्द नहीं करने चाहिए, ऐसा न हो कि विश्व हमारे लिए दरवाजे बन्द कर दे। हमारे देश में व्यावसायिक, तकनीकी तथा प्रबन्धन योग्यताएँ अत्यधिक मात्रा में हैं कि हम स्वतन्त्रता से विश्वासपूर्वक निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ा सकते हैं।"* उदारवाद जिसे हम उदारीकरण के नाम से आज ज्यादा जानते-पहचानते हैं, एक विशेष आर्थिक वर्ग, उभरते हुए पूँजीवादी वर्ग का दर्शन रहा है। निजीकरण शिक्षा में व्यवसायों और कम्पनी के मामलों में हो सकता है।

हमारी सरकार का झुकाव निजीकरण की तरफ है। आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतन्त्रता की सिफारिश की, स्वतन्त्रता की सिफारिश की। स्वतन्त्र समझौते, व्यापार बताते हुए आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने में निजीकरण अच्छा विकल्प हो सकता है। साधारण बोलचाल की भाषा में निजीकरण से अभिप्राय निजी क्षेत्र के कार्य से है या उत्पादक क्रिया के किसी क्षेत्र में निजी उद्यम से है। इसने राज्य को एक आवश्य बुराई माना। साथ ही उसके कार्य-क्षेत्र को सीमित किया। उसका कार्यक्षेत्र नकारात्मक है- बाह्य आक्रमणों से व्यक्ति की सुरक्षा, आन्तरिक अव्यवस्था से व्यक्ति की सुरक्षा तथा कानून के अनुसार किये गये समझौतों का पालन करना चाहिए।

जब सरकार किसी संगठन, उद्योग, कम्पनी या शिक्षा जैसे किसी सेवा सेक्टर के नियन्त्रण को अपने हाथों में ले लेती है तो प्रतिबन्ध लागू किए जाते हैं और कार्य करने की स्वतन्त्रता सीमित कर दी जाती है। सामान्य शब्द उस प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है जो किसी देश में आर्थिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है। एफ० डर्कर के सर्वप्रथम दस वर्ष बाद **मारग्रेट थैचर** इंग्लैण्ड की प्रधानमन्त्री बनी और उन्होंने उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में इस विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

अत: यह विकास प्रक्रिया को मन्द कर देती है। लेकिन उच्च शिक्षा में निजीकरण के लिए भौतिक आवश्यक संरचनाएँ विकसित करने और आधारभूत शोध करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। **ए० एन० अग्रवाल** के अनुसार- *"निजीकरण का अर्थ है उद्यमों का स्वामित्व सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या व्यक्ति या निजी कम्पनियों में बदल जाना। इस स्वामित्व का हस्तान्तरण पूर्ण सार्वजनिक इकाइयों अथवा उसके एक भाग के लिए हो सकता है।"* स्वामित्व में परिवर्तन अर्थात् सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी व्यक्ति या कम्पनी या व्यवसीय या उद्यमी का स्वामित्व। प्राय: लागों में यह अवधारणा बन गई है कि निजीकरण में निष्पादन में अनिवार्य रूप से सुधार होता है।

भारत में निजीकरण
(Privatisation in India)

बड़े पैमाने पर असुधारात्मक सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में एक दशक से भी ज्यादा सुधार के कारण भारत का निजी क्षेत्र अधिक समृद्ध है। भारत में निजीकरण का प्रश्न व्यापार तथा उद्योगों में प्रवेश कर चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न आयोगों और समितियों ने सिफारिश की कि निजी एजेन्सियों को जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए महान् कार्य कर रही हैं, उदार अनुदान

Scanned by CamScanner

दिए जाने चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ दुनिया भर में बेरोकटोक व्यापार, उद्योग और कल-कारखानों का जाल बिछा रही हैं और सरकारों ने अपने तमाम बन्धनकारी नियमों को निस्त कर उन्हें कुछ भी करने की छूट दे रखी है।

भारत में राष्ट्रीय जीवन की नींव रखी। इस शताब्दी के प्रारम्भ में शिक्षा के गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों पहलुओं में सुधार हुआ और शिक्षा को विशाल रूप से कठिनायों का सामना करना पड़ा। लाइसेन्स-परमिट राज का अब कहीं कोई अता-पता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र सापेक्ष तथा छोटा है क्योंकि यह केवल 20 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, परन्तु आधारभूत सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल आदि) प्रदान करने में अयोग्यता तथा संरचनात्मक कार्यों में निवेश की कमी ने शेष अर्थव्यवस्था में बाधा डाल दी है। सरकारी और निजी एजेन्सियाँ निकट सहयोग में मिलकर काम कर ही हैं। निजी एजेन्सियों ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों और देश भर में प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक सभी चरणों में प्रभावी भूमिका निभाई है और माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रही है।

इन संस्थाओं में शिक्षक-प्रशिक्षक को 3 से 5 हजार से अधिक का वेतन वास्तव में नहीं मिल रहा है। इन संस्थाओं के पास अपने भवन भी नहीं हैं, वे किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं। खराब सड़कें, विश्वसनीय बिजली की कमी, गठीली बन्दरगाहें तथा जरा क्षीण एयरपोर्ट ने निजी क्षेत्र के विकास में बाधा डाली है। निजी एजेन्सियाँ पंजीकृत संगठन होती हैं और उनकी खुद की निर्वाचित या नियुक्त की गई प्रबन्धन समितियाँ होती हैं। अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य वे अपने खुद के संसाधनों से इमारतें और उपकरण प्रदान करती हैं। सौभाग्यवश जब से सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में निजी निवेश के लिए दरवाजे खोले हैं तब से इसके खर्चों में भी कमी आई तथा इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी सुधार आया है। एन०आर०आई० सीटों का बाजारीकरण हो गया है।

रामकृष्ण मिशन, मुस्लिम शैक्षिक, ट्रस्ट डी०ए०वी० प्रबन्धन समितियाँ, खालसा प्रबन्धन समितियाँ, हिन्दू सभा और जैन सभा प्रबन्धन समितियाँ इत्यादि। अधिक छोटी पंजीकृत संस्थाएँ भी हैं। सम्बन्धन के समय कुछ खिलाने-पिलाने की आवश्यकता जरूर होती है। पैसा फेंकिये और तमाश देखिये वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। जहाँ सरकार सुधार करने में असफल रहती है, जैसे शिक्षा, वहाँ कभी-कभी निजी क्षेत्र उस खाली स्थान को भरने में सफल होता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि भारतीय संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा का निजीकरण लागू नहीं होता है। देश में एक तरफ मिशनिरियाँ स्कूल चला रही हैं तो दूसरी ओर संघ-परिवार सरस्वती शिशु मन्दिर, केशव सरस्वती स्कूल, शिशु भारती या शिक्षा भारती के नाम से स्कूल खोल रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी विभिन्न नगरों में अपने स्कूल खुलवा रही है। केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मामले में ही निजीकरण पर विचार किया जा सकता है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक/सीनीयर माध्यमिक शिक्षा के लिए भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की कार्य-प्रणाली के लिए मजबूत आधार का निर्माण करने की दृष्टि से सरकार को भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

शिक्षा सुधार के कुछ सफल उदाहरण हैं; जैस—मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अपने स्कूलों में तथा अध्यापकों पर स्थानीय समुदायों को नियन्त्रण देकर गरीबों को सेवा के लिए केन्द्रीयकृत, सघ आधारित सार्वजनिक क्षेत्र स्कूल प्रणाली की असफलता को निजी क्षेत्र की सफलता में परिवर्तित कर दिया है। इसके अतिरिक्त सी०वी०एस०ई० तथा आई०सी०एस०सी० के सिलेबस पढ़ाने वाले स्कूल खुल रहे हैं और पैसे के बलबूते और इन्फ्रास्टर निर्मित कर वे सेण्ट्रल बोर्ड से सम्बन्ध भी प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा संचालित व सम्पोषित स्कूल आज किस्म-किस्म के स्कूलों से घिरते जा रहे हैं।

निजी क्षेत्र में संचालिक स्कूल में उनकी कोई स्पर्धा नजर नहीं आती है। वे अपनी तुलना में निम्न स्तर के देखने को मिलते हैं। अन्य क्षेत्रों में, सार्वजनिक स्कूलों में उत्तरदायित्व की कमी के कारण, लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। कुछ सर्वेक्षणों से यह ज्ञात होता है कि भारत की हृदय भूमि (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश) जहाँ अधिकतर बोलचाल में हिन्दी भाषा का प्रयोग होता है, के लगभग आधे स्कूल ही सुविधाओं की कमी के कारण वास्तव में कार्यरत हैं तथा अध्यापक या तो बहुत कम आते हैं निजी स्कूल अपनी छद्म योजनाओं से प्रवेश को कठिन बनाकर माँग एवं पूर्ति का खेल खेलती है। साथ ही मनोवैज्ञानिक तरकीबों से अपने विद्यालय में समाज की क्रीम छाँटने का प्रयास करते हैं। निजी संस्थाएँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा निदेशालय से मान्यता प्राप्त करती हैं।

Scanned by CamScanner

अध्यय-14

आधुनिकीकरण (Modernisation)

प्रत्येक समाज में अनवरत परिवर्तन होते रहते हैं, किसी समाज में परिवर्तनों की गति तीव्र होती है तो किसी में यह गति अपेक्षाकृत मन्द होती है। जिस समाज में शिक्षा, विज्ञान तकनीकी का विकास जितना अधिक होता है उस समाज में सामाजिक परिवर्तन उतने ही अधिक तीव्र होते हैं; जो समाज इन परिवर्तनों के अनुसार चलते हुए आधुनिकतम विकासों को ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि वह समाज आधुनिक है।

कोठारी आयोग के अनुसार "आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता आधुनिक तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के साथ अनुकूलन है।"[1] दूसरे शब्दों में विश्व के समाजों में हो रहे परिवर्तनों तथा वैज्ञानिक विकासों का लाभ उठाते हुए अपनी प्रगति को आधुनिकतम करता है तो यही आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक तकनीकी का प्रभाव अनेकानेक प्रकार से सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर पड़ता है। यदि कोई समाज अपने-अपने सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करता है और वैज्ञानिक तकनीकी के सिद्धान्तों के अनुसार अपनी सामाजिक संरचना, संगठन तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को बदलता रहता है तो हम इसी प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं।

सारांश रूप में, आधुनिकीकरण एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकियों का लाभ उठाते हुए परम्परागत अथवा अर्ध परम्परागत स्थिति से हटकर अपने संगठन संरचना, मूल्य, अभिप्रेरणा उद्देश्य तथा आकांक्षाओं में आवश्यक परिवर्तन कर लेता है। आधुनिकीकरण की स्थिति में समाज के आध्यात्मिक तथा भौतिक मूल्य, आकांक्षाओं का स्तर तथा उद्देश्य आदि सब कुछ गत्यात्मक रूप से बदलते हैं और इन परिवर्तनों पर न केवल समाज के द्वारा की गई वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का ही प्रभाव पड़ता है अपितु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में संलग्न समाज विश्व के दूसरे समाजों द्वारा की गई प्रगति तथा परिवर्तनों का लाभ उठाकर अपने में परिवर्तन कर लेता है। किन्तु यहाँ एक तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि कोई भी समाज अन्य समाजों द्वारा की गई प्रगति को बिना सोचे-विचारे तथा उनमें बिना आवश्यक संशोधन किये अपने में ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि कोई समाज अन्य समाजों का अन्धानुकरण करता है तो कालान्तर में अन्धानुकरण करने वाला समाज अपना अस्तित्व समाप्त कर सकता है। इसलिए जब कोई समाज आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अन्य समाजों से कुछ

1. "The most distinctine features of a modern society, in constrast with a traditional one, is its adoption of a science based technology."
—*Kothari Commission*

Scanned by CamScanner

बातें ग्रहण करता है तो वह ग्रहण करने से पूर्व उन बातों तथा विशेषताओं में आवश्यक संशोधन कर लेता है। कोई भी समाज आधुनिकीकरण की खातिर अपनी विशिष्टताओं को समाप्त नहीं कर सकता है। अत: आधुनिकीकरण करने वाला समाज नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति तथा अन्य समाजों के अनुभवों का उसी सीमा तक लाभ उठाता है जिस सीमा तक उनकी संस्कृति तथा अन्य विशेषतायें अप्रभावित रहें। वास्तव में समाज द्वारा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की बलि देकर अपना आधुनिकीकरण करना उचित नहीं माना जा सकता है। यह सम्भव है कि किसी समाज में अन्धविश्वास जैसी अनेक गलत तथा त्रुटिपूर्ण धारणायें तथा कुरीतियाँ हों, किन्तु वह समाज भी अपनी गलत धारणाओं तथा कुरीतियों का निराकरण करते समय अपनी मूल विशेषताओं को नहीं बदलेगा।

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक तथ्य और ध्यान में रखने योग्य है कि जब कोई समाज आधुनिकीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो इससे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यन्त ही उल्लेखनीय तथा विस्फोटक परिवर्तन आते हैं। इनसे समाज के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सन्तुलन बिगड़ जाता है क्योंकि परिवर्तनों के फलस्वरूप यह सम्भव है कि समाज के कुछ क्षेत्रों के अधिक उन्नति हो जाये और कुछ अन्य समाजों में उतना परिवर्तन न हो। इससे सामाजिक व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इससे समाज में विभिन्न प्रकार की विलम्बनायें[2] आ जाती हैं और ये विलम्बनायें अन्ततोगत्वा समाज के लिए घातक होती हैं। इसलिए समाज को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में संलग्न है, यह भी देखता चलती है कि उसके विभिन क्षेत्रों में सन्तुलन[3] तथा समन्वय[4] भी बना रहे। आधुनिकीकरण का तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तनों से समाज में आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विविध प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। यदि समाज इस प्रकार की समस्याओं का तुरन्त समाधान नहीं करता है तो समाज की उन्नति की गति केवल मन्द ही नहीं पड़ जाती वरन् कभी-कभी तो रुक तक जाती है।

आधुनिकीकरण का अर्थ
(The Meaning of Modernisation)

आधुनिकीकरण के अर्थ के विषय में विचारकों ने कई दृष्टियों से प्रकाश डाला है। सामान्यत: इसे व्यवहार की एक ऐसी व्यवस्था माना जाता है जो मुख्यत: शहरी, औद्योगिक, शिक्षित एवं सहभागी पश्चिमी-यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका या सोवियत संघ या जापान के समाजों के समकक्ष हैं। "आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इन समाजों के कार्य सम्पन्नता एवं उपलब्धियों के मानक कम विकसित समाजों द्वारा प्राप्त किये जा सकें।" आधुनिकीकरण में कुछ भिन्नतापूर्ण विशेषताओं के एक नये प्रकार के व्यवहार की प्रणाली जन्म लेती है। इस प्रणाली में मूल्य परिवर्तन होता है। परम्परागत मूल्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है। आधुनिकीकरण के लिए मूलभूत समझे जाने

Scanned by CamScanner

वाले संस्थागत प्रबन्ध के लिए भी मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है। इस प्रकार आधुनिकीकरण का अर्थ अधिक उन्नत देशों की कुछ अलग-अलग विशेषताओं एवं तत्वों को अपनाना मात्र ही नहीं है, वरन् इन विशेषताओं को तार्किक व्यवस्था एवं क्रम में अपनाना तथा एक सांस्कृतिक रूप में सजोना आवश्यक है। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों के इस विषय से सम्बन्धित अध्ययनों के आधार पर बनाई गई आधुनिकता के लक्षणों की इस सूची में अन्त: क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके लिए व्यक्तित्व खुला होना चाहिए। मूल्य एवं अभिप्रेरणाएँ परिवर्तित होने चाहिए तथा संस्थागत व्यवस्थाएँ भी तदनुसार ही संयोजित होनी चाहिए। इन सभी लक्षणों का स्वीकृत संयोजन ही आधुनिकीकरण को अभिप्रेरित करता है।

आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि यह समाज को किस दिशा में प्रेरित करता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार यह एक ऐसी विकासवादी प्रक्रिया है जो सभी समाजों को सांस्कृतिक एकरूपता के स्तर पर ले जाती है। इस तर्क से प्रभावित विचारक आधुनिकीकरण को पाश्चात्यीकरण का समानार्थक मानते हैं। पाश्चात्यीकरण में पहले ईसाई धर्म को महत्त्व दिया जाता है। **टॉलकाट पारसन्स** ने इस विषय में अधिक सन्तुलन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उनके मतानुसार आधुनिकीकरण में विभिन्नीकरण के माध्यम से समाजों के सार्वभौम विकास में कुछ संरचनात्मक विकासवादी चरण अपनाये जाते हैं।

जब एक समाज परम्पराओं के स्थान पर आधुनिकीकरण को अपनाता है तो उस समाज के लोगों का विश्व के प्रति दृष्टिकोण तथा जीने का तरीका मौलिक रूप में बदल जाता है। सरकार के कार्य तथा सत्ता के प्रति एक नया दृष्टिकोण उभरता है। आधुनिकीकरण समाज का सम्पूर्ण परिवर्तन है। यह स्वयं चयनित दिशा में गति है। प्रगति की सम्भावना में इसका विश्वास रहता है। यह समाज एवं व्यक्ति के सभी पहलुओं में उन्नति को सम्भव मानता है। इसका विश्वास है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को तथा समाज को बदलने की क्षमता रखता है। उन्नत देशों से तकनीकी को उधार लेना आधुनिकीकरण की इच्छा का प्रतीक माना जा सकता है किन्तु यह आधुनिकीकरण् का मूल तत्व नहीं है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके वरन् यह तो एक मानसिक दृष्टिकोण है।

आधुनिकीकरण की विशेषताएँ-

सार रूप में आधुनिकीकरण की स्थिति में निम्नांकित विशेषतायें देखने में मिलती हैं—

1. तीव्र सामाजिक परिवर्तन।
2. वैज्ञानिक तकनीकी से प्रभावित।
3. सामाजिक व्यवस्था में असन्तुलन।
4. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में समन्वय तथा सामंजस्य।

Scanned by CamScanner

आधुनिकीकरण एवं शिक्षा
(Modernization and Education)

कोई भी समाज बिना शिक्षा के अपना आधुनिकीकरण नहीं कर सकता है। शिक्षा आधुनिकीकरण के लिये निम्नांकित प्रकार से सहायता करती है—

1. शिक्षा से ही विज्ञान तथा तकनीकी विकास संभव है।
2. शिक्षा जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, सामाजिक परिवर्तनों का सशक्त साधन है।
3. शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तनों में उत्पन्न असन्तुलन की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है।
4. शिक्षा से ही विश्व के अन्य समाजों की प्रगति व विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
5. शिक्षा से समाज की ग्रहणशीलता बढ़ती है जिससे समाज नवीनतम बातों को सरलता के साथ ग्रहण कर सकता है।
6. शिक्षा से समाज में व्याप्त संकीर्णतायें, परम्परागतता तथा कुरीतियों को दूर किया जा सकता है।
7. शिक्षा से वैज्ञानिक चिन्तन तथा विश्लेषण शक्ति का विकास होता है जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।
8. शिक्षा से ही समाज की आकांक्षा स्तर बढ़ता है तथा मूल्यों में परिवर्तन होता है।

भारत में आधुनिकीकरण
(Modernization in India)

भारत में आधुनिकीकरण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के साथ प्रारम्भ हुआ जो कि बहुत कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम का परिणाम है। यहाँ आधुनिकीकरण पाश्चात्यीकरण से आया। पश्चिम ने भारत को न केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान किया वरन् इसने संविधानवाद तथा उदारवाद के विचार भी दिये जो कि भारत के संविधान में शामिल हैं। समकालीन भारत में पाश्चात्यीकरण और आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियाँ एक साथ देखी जा सकती हैं। बड़े नगरों में पाश्चात्य जीवन के बाहर लक्षण भोजन, वस्त्र एवं अन्य सामाजिक व्यवहारों में आसानी से अपना लिए जाते हैं। पश्चिमी संगीत, नृत्य और फिल्मों में नई पीढ़ी की पर्याप्त रुचि है। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण बढ़ रहा है। ऑफिस के कामों में नई तकनीकियाँ अपनाई जाती हैं। प्रबन्ध की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देहाती भारत भी आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है।

Scanned by CamScanner

भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गरीबी, जनसंख्या वृद्धि आदि अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट, सरकारी सत्ता की कमजोरी, समाज में हिंसा की वृद्धि और नैतिकता का निम्न स्तर, आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं। आधुनिकीकरण के लोभ में हमारी विकासशील योजनाएँ जनसाधारण का भला करने की अपेक्षा केवल उच्च वर्ग को ही लाभ पहुँचा रही हैं। इनके कारण गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर बन गये हैं। विकासशील योजनाओं का लाभ जिन लोगों को प्राप्त हुआ है उनका रहन-सहन आधुनिकीकृत हो गया है। मध्यम श्रेणी के लोग इस स्तर को पाने के लिए सचेष्ट रहते हैं। इस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थोड़े से लोगों को सुविधाएँ पहुँचाती है और अधिकांश को गरीबी के स्तर से नीचे रहने को मजबूर करती है।

आधुनिकीकरण की दृष्टि से ब्रिटिश काल में भूमिका संरचना के क्षेत्र में मुख्य परिवर्तन हुआ। पाश्चात्य तरीके की शिक्षा ने एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया। इसमें राष्ट्रवाद की परम्परा, प्रशासनिक सुरक्षा और आवश्यकताओं की जटिलता के कारण नौकरशाही तथा आधुनिक सेना का जन्म हुआ। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप उद्यमी वर्ग जन्मा। बढ़ती हुई तकनीकी और शिक्षा के कारण तकनीकी व्यवसायिक और बौद्धिक मध्यम वर्ग की स्थापना हुई। ये सभी संरचनाएँ भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से बहुत कुछ स्वतन्त्र थीं। अधिकांश नए मध्यम वर्ग, अभिजन वर्ग एवं नौकरशाह ऊँची जातियों से आये और इसलिए जाति व्यवस्था और वर्ग-व्यवस्था में एकता रही। इस विकास के परिणामस्वरूप भूमिका संरचना की दृष्टि से आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन स्तरीकरण की दृष्टि से इसने परम्परावादी समूह की शक्ति को बढ़ाया। ज्यों-ज्यों आधुनिकीकरण का विस्तार हुआ, इसने संस्कृति की स्वायतता को चुनौती देना प्रारम्भ किया इस स्तर पर महात्मा गाँधी का जन्म आधुनिकीकरण की चुनौती के प्रति एक प्रति-उत्तर था। महात्मा गाँधी ने स्तरीकरण, संस्कृति और राजनीति तीनों दृष्टियों से भारतीय परम्परा को टूटने से बचाया। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण शक्ति और सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच स्थित दूरी का कम करने का प्रयास किया। इसके लिए गाँधीजी ने एक ओर तो राजनीतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया तथा दूसरी ओर परम्परागत नैतिक आचार से प्राप्त कृषक मूल्यों को स्थापित किया।

भारत में आधुनिकीकरण का विकास संचार साधनों के साथ हुआ जो स्वयं पाश्चात्य सम्पर्क के परिणाम थे। भारत में छपाई की शुरूआत 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईसाई मिशनरियों की प्रेरणा से पुर्तगालियों द्वारा की गई। अंग्रेजों की प्रेरणा से प्रथम प्रेस बम्बई में 1674 में स्थापित हुआ। लिखित समाचार-पत्र जिन्हें अखबार कहा जाए, वे यद्यपि मुगल साम्राज्य के समय में प्रारम्भ हो चुके थे, किन्तु छपे हुए समाचार-पत्र पश्चिमी सम्पर्क के बाद ही आने लगे। अंग्रेजों ने तार, रेलवे और डाक व्यवस्था भी प्रारम्भ की। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती गयी। संचार साधनों, डाक सेवाओं, चलचित्रों, रेडियो और अन्य सूचना माध्यमों के रूप में संचार साधन बढ़ते

Scanned by CamScanner

3.5 त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula)

1. भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है?
(What preparation has been done for the languages and three languages in education system for secondary education?)

अथवा

भारत में भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या (फार्मूला) व्यवस्था दी गई है, वर्णन कीजिए।
(Explain the languages and three languages formula for secondary education in India.)

उत्तर–भारत विभिन्नताओं क' देश है, परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातियाँ, रहन-सहन, वेश-भूषा और बोलियों (भाषाओं) में विभिन्नता है। कई प्रदेशों, क्षेत्रों की अपनी भाषाएं और लिपियां हैं। परंतु पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। जिन प्रदेशों, क्षेत्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां हिन्दी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। जिन क्षेत्रों, प्रांतों की मातृभाषा हिन्दी है, उन क्षेत्रों और प्रांतों में हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आदि प्रांतों में हिन्दी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, बंगाल, केरल, मद्रास में हिन्दी-देवनागरी लिपि को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है।

Scanned by CamScanner

पशु-पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, जिसे वे बिना सिखाए ही अपने परिवेश में स्वयं ही सीख जाते हैं, उसी प्रकार जन्म के बाद बच्चे भी पारिवारिक परिवेश में अपनी मातृभाषा को बिना सिखाए धीरे-धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र व प्रदेश में मातृभाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाता है। हिन्दी भाषी प्रदेशों (राज्यों) में हिन्दी भाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों में मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन राज्यों में उनकी मातृभाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है।

भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है, इसलिए उन प्रदेशों (राज्यों) में हिन्दी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, इसलिए हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है।

हिन्दी प्रदेशों (राज्यों) में द्वितीय भाषा प्रदेश की इच्छानुसार सीखने की स्वतंत्रता है। जैसे—हरियाणा में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू आदि को दूसरी भाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है।

तीसरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, व्यवहार, पत्राचार, भ्रातृत्व और शान्ति स्थापना एवं राजनैतिक व्यवहार, विचार, व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक सूत्र में स्थान दिया गया है, क्योंकि भारत में 1947 से पूर्व अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था, इसलिए भारत में अंग्रेजी को तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्व में आज भी अंग्रेजी भाषा को व्यापार, व्यवहार और राजनीतिज्ञ दृष्टि से संसार में उच्च स्थान दिया गया है।

हिन्दी भाषा को हिन्दी भाषी राज्यों में प्रथम भाषा और देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है।

अहिन्दी राज्यों में हिन्दी राष्ट्रीय भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया है। हिन्दी भाषा पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य भाषा है। तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा नीति में तीन भाषायी सूत्र को अपनाया गया है, जिससे मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय तीनों भाषाओं का ज्ञान हो, ताकि जन्मभूमि से लेकर पूरे विश्व में कार्यकुशलता, योग्यता और क्षमतानुसार व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनैतिक विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त हों। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ने त्रिभाषी सूत्र और योग्यता से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है।

1. स्थानीय पारिवारिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका बिना अधिक प्रयास किए स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। इसके बोलने, लिखने और पढ़ने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। मातृभाषा का ज्ञान स्थानीय व क्षेत्रीय प्रवेश के लिए जानना आवश्यकता है।
2. पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है। पूरे देश में प्रचार और प्रसार व्यवहार और व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को सम्मिलित करना अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है। पूरे विश्व में अंग्रेजी के बाद हिन्दी दूसरी भाषा है जिसे पूरे विश्व बोला जाता है।
3. भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था, लार्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने पर बल दिया। अंग्रेजी को शिक्षा प्राप्ति का माध्यम बनाया गया।

स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्त्व देने वाले नागरिक हैं, जिन पर आज भी गुलामी का प्रभाव (छाप) है। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आज भी अंग्रेजी भाषा को महत्त्व दिया जा रहा है। इन राज्यों के नागरिक हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को महत्त्व एवं प्राथमिकता देते हैं बहुत दुख और चर्चा का विषय है कि आज इक्कसवीं सदी में भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को व्यवहार में लाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

विशेष कथन—यदि पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को, राष्ट्रीय व्यवहार और व्यापार, विचारों के आदान-प्रदान में सहर्ष स्वीकार कर लें तो आने वाले समय में, पूरे देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, बल्कि मातृभाषा हो सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के प्रति विशेष प्रेम भावना और श्रद्धा बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय एकता को भी अधिक बल मिलेगा। देश के विद्यार्थियों को एक भाषा अधिक सीखने से छुटकारा

Scanned by CamScanner

मुक्त विश्वविद्यालय की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं? उसके लक्ष्यों, लाभों तथा सीमाओं या कमियों की व्याख्या करें।
(What are the salient features of Open University? Explain its objectives, benefits and limitations.)

उत्तर–मुक्त विश्वविद्यालय (Open University)–भारत की नई शिक्षा नीति, 1986 की यह धारणा है कि देश के सभी व्यक्तियों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत इस बात का प्रावधान रखा गया है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। इस कार्य के दौरान समाज के गरीब तबके के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाना, उद्देश्य की पूर्ति मात्र औपचारिक शिक्षा से करना असंभव है और यदि हम विद्यालय स्तर पर शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं तो शिक्षा की निरन्तरता बनाए रखने के लिए निरौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा। क्योंकि देश में माध्यमिक स्तर पर औपचारिक शिक्षा के साधन इतने पर्याप्त तथा विकसित नहीं हैं कि प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है उसे माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। वर्तमान में जितने विद्यालय औपचारिक शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं उनमें मुश्किल से 30 से 35% विद्यार्थी ही दाखिला ले सकते हैं। इसलिए हमारे देश में मुक्त विद्यालयों की आवश्यकता दूसरे देशों से ज्यादा है।

वास्तव में आज देखा जाए तो हम पाएँगे कि मुक्त विश्वविद्यालय का विचार नया तथा आधुनिकतम है। इस मुक्त विद्यालय के विषय में सर्वप्रथम 1963 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन (Herold Wilson) ने सोचा था। उनके दिमाग में यह प्रश्न उठा कि क्यों नहीं उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने किन्हीं कारणावश विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण नहीं की, और जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होने के बावजूद विश्वविद्यालीय शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालीय शिक्षा प्रदान कर अपने विकास का अवसर दिया जाए। जिस समय उनके दिमाग में यह प्रश्न आया उस समय रूस में पत्राचार तथा ब्रिटेन में रेडियो प्रसारण कार्यक्रम सफलता प्राप्त कर चुके थे। इसलिए वो कुछ नया करना चाहते थे। नए की चाह में उन्होंने मुक्त हवाई विश्वविद्यालय (Open Air University) का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार पर कार्य करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने जनवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर जुलाई 1969 में ब्रिटेन रॉयल चॉर्टर (Britain Royal Charter) के अन्तर्गत एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर (Vice Chancellor) ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय एक शैक्षिक सहायता मिशन है जो उन युवकों को उच्च शिक्षा सुलभ करायेगा जो किसी भी कारण से इसे ग्रहण नहीं कर सके। इस भाषण का प्रभाव यह हुआ कि उस वर्ष ब्रिटेन में सामान्य विश्वविद्यालय की तुलना में मुक्त विश्वविद्यालय में पाँच गुने (Five times) पंजीकरण हुए। इससे ज्यादा खास बात तो यह रही कि पाँच गुणा ज्यादा पंजीकरण होने के बावजूद भी शिक्षा पर आने वाले खर्च को यदि देखा जाए तो मुक्त विद्यालय पर यह खर्च सामान्य विश्वविद्यालय से लगभग 1/3 रहा। इस प्रकार देखें तो कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय का प्रयास सफल रहा। ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की इस आशातीत सफलता को मद्देनजर रखते हुए 1971 ई. में अमेरिका ने मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद फ्रांस तथा जर्मनी में भी इस प्रकार के विद्यालय खोले गए।

भारत में इसकी पहल 1977 में मदुराई विश्वविद्यालय ने मुक्त विश्वविद्यालय विंग खोलकर की। इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय ने भी इसी प्रकार की विंग की स्थापना की। पूर्ण रूप से स्वतन्त्र खुले विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में सबसे पहले हैदराबाद में सन् 1982 में हुई। तत्पश्चात् महाराष्ट्र ने भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 1986 ई. में देहली में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना श्रीमती इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से की गई। तत्पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में यह घोषणा की गई कि भविष्य में मुक्त शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे।

Scanned by CamScanner

मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषताएँ (Characteristics of Open Universities)

(i) ये विश्वविद्यालय विश्वास प्रणाली का अनुसरण करते हैं।
(ii) ये विश्वविद्यालय आत्म-शासित होते हैं।
(iii) विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
(iv) ये विद्यार्थियों का निरन्तर मूल्यांकन करते रहते हैं।
(v) ये पत्राचार द्वारा दिए गए गृह-कार्य एवं संगठित व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम द्वारा पढ़ाते हैं।
(vi) ये अन्तिम बाह्य परीक्षा भी लेते हैं तथा उसके आधार पर विद्यार्थियों की डिग्री (degree) या सर्टिफिकेट (Certificate) प्रदान करते हैं।
(vii) इनमें उपकुलपति, विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी, शैक्षणिक विभाग, पत्राचार के निर्देशक, सहायक स्टॉफ एवं अध्ययन के निर्देशक होते हैं।
(viii) इनमें सभाएँ एवं उच्च परिषदों का विधान है।
(ix) ये विश्वविद्यालय से जुड़ने का अधिक लम्बा अवसर देते हैं।
(x) ये सामान्य एवं विशिष्ट विषयों में डिग्री देते हैं।

मुक्त विश्वविद्यालयों की कमियाँ (Drawbacks of Open Universities)

मुक्त विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित कमियाँ पाई जाती हैं–

(i) पत्राचार सामग्री तैयार करना एक जटिल समस्या है।
(ii) तैयार सामग्री को समय रहते विद्यार्थियों तक पहुँचाना।
(iii) रेडियो व दूरदर्शन के शैक्षिक प्रसारण के समयों तथा विद्यार्थियों के अवकाश के समयों में तालमेल बढ़ाना एक बड़ी समस्या है।
(iv) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करना एक बड़ी समस्या है।
(v) रेडियो तथा दूरदर्शन पर तैयार कार्यक्रम व्यक्तिगत कठिनाइयों के निवारण की व्यवस्था नहीं कर पाते।
(vi) मुक्त विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आधारभूत योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी एक प्रकार के कार्यक्रम देखकर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
(vii) भारत एक विशाल देश है। यहाँ भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। मुक्त विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जब कार्यक्रम बनाया जाता है तो वह केवल एक भाषा में होता है। इसलिए पत्राचार, आकाशवाणी प्रसारण व दूरदर्शन कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किए जाएँ, यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है।
(viii) कहने में आता है कि मुक्त विश्वविद्यालय में प्रति व्यक्ति खर्च परम्परागत विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से कम आता है परन्तु यदि गहराई से उसका आंकलन किया जाए तो हम पाएँगे कि रेडियो, पत्राचार, टेपरिकॉर्डर, वीडिओ, टेलीविजन और सम्पर्क कार्यक्रमों में आने-जाने के खर्च को जोड़कर देखा जाए तो हम पाएँगे कि मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्रति व्यक्ति व्यय अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा होता है।
(ix) मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा सम्पर्क कार्यक्रम स्थान-स्थान पर शिक्षा केन्द्र स्थापित करके दिए जाते हैं। इस व्यवस्था के चलते, मुक्त शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में कितना अन्तर रह जाता है। दूसरी ओर उन पर जो व्यवस्था की जाती है वह किसी भी दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं कही जा सकती है।

Scanned by CamScanner

4.1 संस्कृति तथा शिक्षा
(Culture and Education)

1. संस्कृति क्या है? शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
(What is culture? Describe the relationship between culture and education.)

उत्तर–संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति तो संस्कार से है। 'संस्कृति' में अनेक नए-नए तत्त्व आकार जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हों, उसके व्यवहार और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिनके कारण उसे सभी पसंद करते हैं और ऐसा व्यक्ति 'सुसंस्कृत' माना जाता है। अतः संस्कृति व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। इसका शाब्दिक अर्थ 'कल्चर' लैटिन भाषा के शब्द 'कल्ट्यूरा' (Culture) से निकला है। 'संस्कृति' शब्द को तीन अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है–(1) साहित्यिक अर्थ, (2) नैतिक अर्थ, (3) समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में 'संस्कृति' जीवन का प्रकाश और कोमलता है। इतिहासकारों ने देश या समाज के कलात्मक एवं बौद्धिक विकास को ही संस्कृति माना है। दूसरा, नैतिक अर्थ में 'संस्कृति' शब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। तीसरा अर्थ समाजशास्त्रीय रूप में, 'संस्कृति' मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है, जिसमें कि वह रहता है, सोचता-विचारता है, कार्य करता है, अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि को सीखता है, अर्थात् सम्पूर्ण सामाजिक विरासत ही संस्कृति है।

संस्कृति की परिभाषा (Definition of Culture)–संस्कृति' शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है–

1. **एलवुड का विचार** (Ellood's View)–**"संस्कृति में एक ओर मनुष्य की सम्पूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है और दूसरी ओर अभौतिक अथवा आध्यात्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम एवं सरकार शामिल होती है।"** ("Culture includes on the one hand the whole of mans material civilisation, tools, weapons, system of industry and on the other all the non-material or spiritual civilisation such as language, literature, art, religion, morality, law and government.") यह संस्कृति की व्यापक परिभाषा है।

2. **ई.बी. टायलर का विचार** (E.B. Tylor's view)–श्री टायलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रीमिटिव कल्चर' में लिखा है, **"संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्य के रूप में अर्जित कोई भी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है।"**

Scanned by CamScanner

भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ
(Salient Features of Indian Culture)

भारत की संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति का उदाहरण है। इसका निर्माण सदियों से होता आया है। जो भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अर्थात् संसार के एक बड़े क्षेत्र तक फैली है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर गौरवपूर्ण एवं समृद्ध है। इसका न केवल भारत के इतिहास के अध्ययन में बल्कि विश्व इतिहास के अध्ययन में व्यापक महत्त्व है। प्राचीन भारत का साहित्य अत्यधिक व्यापक और समृद्ध साहित्य था। इसकी संस्कृति शुरू से ही विश्व में सर्वाधिक समृद्ध, अत्यधिक वैभवशाली और सु-संस्कृत रही है। इतिहास हमें बताता है कि हमारे वैज्ञानिकों की खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान और शल्य-विज्ञान का अत्यन्त उन्नत ज्ञान प्राप्त था। इसके साथ-साथ यहाँ की शासन व्यवस्था और सहकारी जीवन-शैली बहुत उत्तम थी। यह कहा जाता है कि भारत में ऐसा समय भी था जब लोग अपनों घरों में ताला नहीं लगाते थे। हमारे देश में सुन्दर और बारीक वस्त्रों की सुदृढ़ परम्परा रही है। प्राचीन काल में भारतीय मखमल, सूती रेशमी और जरी के कपड़ों की विदेशी बाजारों में धूम मची थी। इन सब बातों की चर्चा का यह अर्थ है कि हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस सन्दर्भ में कुछ विद्वानों के विचार नीचे दिए गए हैं–

1. **विल ड्यूरैन्ट** (Will Duant)–ख्याति प्राप्त विचारक तथा लेखक ने लिखा है, **"भारत हमें सहनशीलता, मानव मन की कोमलता, समझ-बूझ प्रवृत्ति, मानव के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया है। भारत हमारी जाति की मातृभूमि है। संस्कृत यूरोपियन भाषाओं की जननी है। वह हमारे दर्शन तथा गणित की जननी है। भारत ईसाई धर्म के आदर्शों की जननी है।"**

2. **जेम्स** (James)–वे एक अंग्रेज विचारक थे उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है, **"जब हमारे इंग्लैंड के पूर्वज पशुओं तथा एक-दूसरे की हत्या करने के लिए सोचते थे, उस समय सम्भवतः भारत का दर्शन बहुत परिपक्व था–कला, कविता तथा साहित्य में भी–सम्भवतः हर क्षेत्र में।"**

3. **मार्कटवन** (Marktwain)–मार्क अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक थे, उनके विचार में, **"भारत मानव जाति का जन्म स्थल है, मानव के इतिहास में जो सबसे महत्त्वपूर्ण है, उसका खजाना भारत में ही है।"**

4. **पी जॉनस्टोन** (P. Johnstone)–ये भी एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने लिखा है–**"न्यूटन के जन्म से पूर्व भारतीयों को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त की जानकारी थी। साथ ही भारतीयों ने शताब्दियों पूर्व रक्त संचार प्रक्रिया के बारे में अन्वेषण किया था।"**

5. **लेनसीलॉट हॉगिन** (Lanccelot Hogen) ने अपनी पुस्तक 'Mathematics for the Millions' में लिखा है–"भारत के शून्य की खोज से बढ़कर किसी का कोई योगदान नहीं है।"

भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं–

Scanned by CamScanner

1. धर्म प्रधान (Secularism)–भारतीय संस्कृति की नीव धर्म पर रखी हुई है। इस संस्कृति के धर्म का अर्थ बड़े व्यापक रूप में लिया गया है। धर्म जो अंग्रेजी शब्द Religion शब्द का अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी में 'Religion' शब्द का प्रयोग बाहरी कर्मकाण्डों के लिए किया जाता है, किन्तु भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द को केवल बाह्य कर्मकाण्डों के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संगठन और आध्यात्मिकता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। धर्म भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। यह एक ऐसा तत्त्व है, जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। वास्तव में इसका अर्थ है धारण करना। इसलिए जनता को एक सूत्र में बांधने के कारण ही इसे धर्म का नाम दिया गया है।

2. ज्ञान का स्रोत (Source of Wisdom)–भारत के अतीत में हमारी रुचि केवल इसलिए नहीं है कि हम उसे जानना मात्र चाहते हैं, बल्कि यह अतीत, विशाल ज्ञान स्रोत समेटे हुए है। यहीं पर संसार की उत्पत्ति एवं उसके उत्थान व पतन के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। अनेकों सभ्यताओं का उद्‌गम स्थान भारत ही है। इन सभी चीजों की उद्‌गमता इसकी संस्कृति को सुदृढ़ बनाती है। अतः हमारा प्राचीन इतिहास जीवन के अनुभवों का एक अच्छा खजाना है और आज का समाज अतीत के अनुभवों से व्यापक लाभ उठा सकता है।

3. आध्यात्मिकता में विश्वास (Faith in Spiritualism)–भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष सभी धर्मों को समान समझने वाला एवं आध्यात्मिकता का देश है। इस आध्यात्मिक संपदा में ही भारत की विरासत छिपी हुई है। भारत भूमि पर ही महान् योद्धा, ऋषि, विचारक, बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य के समक्ष रहकर मानवता का पाठ पढ़ाया है। यहाँ के सत्यं, शिवं और सुन्दरं आधारित मूल्यों को दर्शाते हैं। ये तीनों चीजें आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करके मानव आत्मा और मानव को वास्तविक शक्ति प्रदान करती हैं। आध्यात्मिकता द्वारा देश में फैली अराजकता, शोषण, स्वार्थ, द्वेष, अव्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है।

4. भारत में एकता में भिन्नता तथा भावात्मक एकता (Unity in Diversity and Emotional Integration in India)–'विभिन्नता में एकता', भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसके उत्तर में विशाल हिमाच्छादित हिमालय पर्वत है। पश्चिम में बड़ा मरुस्थल है और पूर्व में खाड़ी क्षेत्र है। इसका मध्य भाग पहाड़ी एवं हरा-भरा मैदानी क्षेत्र है। इस विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति ने भारत की संस्कृति तथा इतिहास पर अपूर्व प्रभाव डाला है। हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति अलग-अलग होने से यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की वेश-भूषा, खान-पान एवं रहन-सहन भिन्न है, लेकिन इतना होते हुए भी भारतवर्ष की एकता सुदृढ़ है। अनेक प्रकार के लोगों का निवास होने पर भी उन सबमें एक प्रकार की एकानुभूति विद्यमान है, जिसका कारण उनके इतिहास और संस्कृति में एकता है।

5. समन्वयशीलता (Mutual Understanding)–भारतीय संस्कृति प्रारम्भ से ही समन्वय की समर्थक रही है। यह सभी प्रकार की विभिन्नताओं को अपने भीतर समा लेती है। भारतीय संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्यों के भारत में आने से पहले यहाँ बहुत-सी जनजातियाँ थीं। लेकिन आर्यों ने भारतीय संस्कृति को ऐसा लचीला रूप दिया, जिससे हर नई संस्कृति उसमें समा सके। नीग्रो से हूण तक इस देश में बहुत-सी प्रजातियाँ आईं और आकर इसमें समा गईं। हिन्दू संस्कृति ने बहुत-सी संस्कृतियों को अपने अन्दर मिलाकर अपनी शक्ति को बढ़ाया है। इस्लाम भी भारतीय संस्कृति की समन्वयता से अछूता नहीं रहा। उस पर भी हिन्दू संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा है।

6. कर्म के सिद्धान्त में विश्वास (Faith in theory of Karma)–बहुत से भारतीय दार्शनिक कर्म के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे; और आज भी रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्मों का फल संस्कारों के रूप में हमेशा साथ रहता है और हमारी जीवन दिशा को निर्देशित करता है। महात्मा बुध ने भी यहाँ सच्चाई एवं कर्म भी महत्त्वता बताते हुए कहा है, कि **"अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य एक समान नहीं है, क्योंकि कुछ चिरंजीवी होते हैं; कुछ अल्प आयु, कुछ धनी तथा कुछ निर्धन आदि। इसी कर्म के बंधन के कारण मानव आत्मा को विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। अतः मुक्ति मनुष्य को पुनर्जन्म के चल से मुक्त कर देती है। मुक्ति से अर्थ है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना।"**

Scanned by CamScanner

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध
(Close Relationship between Education and Culture)

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना शिक्षा का तथा शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसी ने संस्कृति को सुरक्षित रखा है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के दो प्रमुख कार्य हैं—पहला संस्कृति की रक्षा करना और दूसरा संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें प्रगति करना। इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ निहित है। सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है और शिक्षा स्वयं सामाजिक जीवन द्वारा अनुशासित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है, जो उसे एक निश्चित व्यवहार प्रतिमान प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। थियोडोर ब्रामेल्ड (Theodore Brameld) के कथनानुसार, "शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसके अस्तित्व का तार्किक आधार भी प्रदान करती है। ("It is from the stuff of culture that education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing at all.") संस्कृति के महत्त्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं, अतः इन दोनों (शिक्षा एवं संस्कृति) से समाज में संस्कार, सुसंस्कृति और नैतिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा ही संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। संक्षेप में, संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान निम्नलिखित है—

(1) प्राकृतिक परिवेश से समायोजन (Adjustment with Natural Environment)—मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश से समायोजन करने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश से समायोजन करने की प्रक्रिया में वे सभी नए आविष्कार हैं, जो संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न मानव समूहों में संस्कृति के अन्तर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग-अलग जनजातियां निवास करती हैं और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है।

(2) संस्कृति की निरन्तरता (Continuity of Culture)—शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरन्तरता को बनाये रखना है। वह सांस्कृतिक परम्पराओं, रीतियों तथा अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित करती है। सांस्कृतिक परम्पराओं से निरन्तरता किसी राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है।

(3) व्यक्तित्व का विकास (Development of personality)—व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार उसके अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव-शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न-भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौन्दर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

(4) संस्कृति का संरक्षण (Conservation of Culture)—शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इसके बिना सांस्कृतिक विरासत बच नहीं सकती। स्कूल विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गुणों का विकास करता है। परसी नन (Percy Nun) ने शिक्षा के इस संरक्षणात्मक कार्य पर बहुत बल दिया है। उनके विचारानुसार किसी भी राष्ट्र के स्कूल का विशिष्ट कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनना है, उसकी ऐतिहासिक निरन्तरता को बनाए रखना है, उसकी भूतपूर्व उपलब्धियों को सुरक्षित रखना है तथा उसके भविष्य को सुनिश्चित बनाना है।

("The special function of a nation's school is to consolidate its spiritual strength to maintain its historic continuity, to secure its part achievements and to guarantee

Scanned by CamScanner

its function.")। **राधाकृष्णन रिपोर्ट** (Radhakrishnan Report) में भी शिक्षा के संरक्षणात्मक कार्य पर बल दिया गया है। **पं. नेहरू** (Pandit Nehru) के कथनानुसार, "शिक्षा को हमारी विरासत के शक्तिशाली तत्त्वों के संरक्षण में सहायता प्रदान करनी चाहिए।" ("Education must help in preserving the vital elements of our heritage.)। उनके अनुसार, **"भारतीय सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र है सुन्दरता और सत्य से प्रेम, सहनशीनता, अन्य संस्कृतियों का आत्मसात करने की योग्यता तथा नवसंश्लेषण का निर्माण।।"** ("The care of our cultural heritage is love of beauty and truth, spirit of tolerance capacity to absorb other cultures and work out new synthesis.")

(5) समाजीकरण (Socialism)–समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भिन्न-भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का अपना एथोस (Ethos) होता है, जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। राल्फ लिन्टन के अनुसार व्यक्ति तीन प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप में संस्कृति में भाग लेता है अर्थात् उन आदतों, विचारों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनाता है, जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे, व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को ग्रहण करता है, जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरे, व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को अपनाता है, जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्यों में, व्यक्तियों में अन्तर देखा जा सकता है। उपरोक्त कथन से राल्फ के अनुसार मनुष्य की तीन अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सुसंस्कृत बनाती हैं।

(6) संस्कृति का विकास (Promotion of Culture)–शिक्षा संस्कृति के सुधार एवं विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह बेहतर और सुखी समाज की स्थापना में सहायता देती है। **डी.जे.ओ. कोनन** (D.J.O. Cannon) के विचारानुसार, **"यदि प्रत्येक पीढ़ी को वही सीखना पड़े तो उसके पूर्वजों ने सीखा है तो किसी प्रकार का बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा और वर्तमान समाज की स्थिति तथा पत्थर युग के समाज की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं होगा।"** ("If each generation has to learn for itself what has been learned by its predecessors; no sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the stone old age.") अतः शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के निरन्तर विकास का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

(7) नये सांस्कृतिक प्रतिमान (New Cultural Patterns)–शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती, बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है।

संस्कृति शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है–

(1) शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)–शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों, मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। अनेक देशों में शिक्षा के उद्देश्य अपने-अपने तरीकों पर आधारित हैं, जैसे–रूस की शिक्षा व्यवस्था का बल 'नए मनुष्यों के निर्माण' पर है जो अपने खून और आत्मा से कम्युनिस्ट हों। अमरीका में शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण और प्रजातंत्रीकरण स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसी किसी देश के समाज की संस्कृति होगी, वैसे ही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होंगे।

(2) पाठ्यक्रम (Curriculum)–शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम भी समाज की संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित होता है। अर्थात् दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि किसी समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम उसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है साथ ही मूल्यों की पहचान भी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को उस पाठ्यक्रम में जोड़ती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम में समय-समय पर बदलाव भी किया जाता है।

Scanned by CamScanner

(3) शिक्षण विधियाँ (Method's of Teaching)–शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में शिक्षा-प्रसार एवं शिक्षा को केन्द्र अध्यापक ही होता था, जो बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता था अर्थात् जबरदस्ती ठूँसना या रट्टा लगाना था। लेकिन समय के बदलाव के अनुसार, आज शिक्षा का केन्द्र विद्यार्थी है न कि अध्यापक। आज विद्यार्थियों के निर्धारित शैक्षिक अनुभवों, प्रोग्रामों, रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है और उनका समाधान भी सहज ढंग से किया जाता है। अंतः आज शिक्षा विद्यार्थियों को वर्तमान एवं भविष्य में प्रभावी रूप से रहने के लिए तैयार करने का माध्यम है।

(4) अनुशासन (Discipline)–संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। आज के युग में जीवन के लोकतंत्रीय मूल्यों को स्वीकार किया जा रहा है। इन मूल्यों का विश्व में सम्मान हो रहा है। अतः आज विश्व की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली अनुशासन की आवश्यकता है। इस संस्कृति द्वारा मानव एवं समाज को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। यह तभी सम्भव है जब समाज अनुशासन में रहे।

(5) पाठ्य-पुस्तकों पर प्रभाव (Influence on Text Books)–सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ्यक्रमों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी इन सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों तथा नैतिकता को पाठ्यक्रमों में शामिल करके विद्यार्थियों के मन की प्रवृत्ति विरोधी नहीं बनती। संस्कृति ही विद्यार्थियों के भविष्य का मार्गदर्शन करती है।

(6) स्कूलों के प्रतिमान (Models of School)–संस्कृति का प्रभाव स्कूलों के प्रतिमानों पर पड़ता है। किसी स्कूल की सभी सामूहिक गतिविधियाँ और प्रोग्राम समाज के उन सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों के अनुसार ही आयोजित होते हैं, जिनके अन्तर्गत स्कूल स्थापित किए जाते हैं। अतः स्कूल समाज के उन सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ाने, ढालने, सुधारने और विकास करने का केन्द्र है, जोकि उसने अपने कल्याण और श्रेय के लिए बनाए हैं।

(7) संस्कृति का अध्यापक पर प्रभाव (Influence of Culture on Teacher)–प्रत्येक अध्यापक का अपना निजी जीवन-दर्शन होता है। जिस समाज का वह अभिन्न अंग है उसके सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श होते हैं। अध्यापक के अच्छे व बुरे आदर्शों को विद्यार्थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। यह बिल्कुल सही है कि अध्यापक के आदर्श ही समाज और देश की संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक संस्कृति का संरक्षक, मध्यस्थ और निर्माता होता है।

विद्यालय की सांस्कृतिक धरोहर सम्बन्धी भूमिका

Scanned by CamScanner

◆◆◆

2. प्रजातंत्र को परिभाषित करें तथा शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रजातंत्र के प्रभाव का वर्णन कीजिये।

अथवा

शिक्षा की प्रजातांत्रिक धारणा से आप क्या समझते हैं? अपनी शिक्षा को प्रजातान्त्रिक बनाने के लिये विद्यालयों को क्या कदम उठाने चाहिये? *अथवा*

प्रजातान्त्रिक शिक्षा क्या है? प्रजातान्त्रिक पद्धति में शिक्षा के योगदान या महत्त्व का वर्णन करें।

अथवा

प्रजातंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक शिक्षा का वर्णन करें। हमारे जैसे देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? विवेचना कीजिये।

उत्तर–प्रजातंत्रात्मक शिक्षा एवं उद्देश्य (Education for Democracy and its Aims)—आधुनिक युग जो कि प्रजातंत्र का युग है मानव के संघर्ष का अभूतपूर्व इतिहास है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में सभी अधिकार जनता के पास होते हैं जिनका उपयोग वह अपनी सुविधानुसार हर प्रकार से कर सकती है। Greek भाषा के शब्द डेमोक्रेसी (Democracy) शब्द का अर्थ है लोग (People) + शक्ति (Power) अर्थात् Demo का अर्थ है प्रजा या लोग, Kratia का अर्थ है शक्ति। अतः Democraicy का अर्थ हुआ लोगों का शासन।

अब्राहम-लिंकन के शब्दों में प्रजातंत्र का अर्थ है, **"लोगों का लोगों के लिए व लोगों के द्वारा शासन है।"** "(By the poeple, for the people and of the people)" गणतंत्र का मूल आधार प्रेम, सहयोग, न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता, भ्रातृत्व भावना, स्वतंत्रता आदि हैं। और इन्हीं आधार को ध्यान में रखकर ही समाज की कल्पना की गई है और उसी प्रकार की शिक्षा का आयोजन किया गया है।

Scanned by CamScanner

प्रजातंत्रात्मक पद्धति में शिक्षा का योगदान या महत्त्व
(Role of Education in Democratic System)

1. लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता (Need of Education for Democracy)–लोकतंत्र अपने कुछ नैतिक सिद्धान्तों और दर्शन के द्वारा ही अपना एक कार्यक्रम बनाता है। यह लोगों में कुछ इस प्रकार के गुण, कुशलताएँ, योग्यताएँ व ज्ञान भरना चाहता है, जो कि लोकतंत्र के कार्य को सुगमता से चलाने में सहयोग दे सके।

हेनरी वेन डाइक के शब्दों में, **"लोकतंत्र में शिक्षा का उचित आदर्श एक रचनात्मक आदर्श है। यह नवीन प्रकार से ऐसे मनुष्यों का निर्माण करने का प्रयत्न करता है, जो लोकतंत्र व मानव जाति के लिए अधिक से अधिक उपयोगी रहे।"**

("The Right ideal of education in a democracy is the creative ideal. It seeks to create new kinds of men, who shall be of ever increasing worth to the republic and to mankind." —**Henry Ven Dyke.**)

डॉ. एस. राधाकृष्णन् ने भी अपने विचार कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए हैं, **"लोकतंत्र का समर्थन करना मानव व्यक्तित्व का समर्थन करना है, मनुष्य की स्वतंत्र आत्मा तथा उसकी स्वाभाविक प्रेरणा और प्रयत्न का समर्थन करना है।"**

("The cause of democracy is the cause of human individual of the free spirit of man with its spontaneous inspiration and endeavour." —**Dr. S. Radhakrishnan.**)

ड्यूवी ने लोकतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता को इस प्रकार दर्शाया है, **"लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो, जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तनों का होना सम्भव हो।"**

("A democracy must have a type of education which gives individuals a personal interest in social relationship and control the habits of mind which secure social change without introducing disorder." —**John Dewey**)

लोकतंत्रात्मक शिक्षा के माध्यम में कुछ ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति उत्पन्न किए जाएँ जो लोकतंत्रात्मक समाज के हित में कार्य करना चाहते हों और एक शक्तिशाली समाज बनाने के योग्य हों।

डॉ. करीरो ने भी कितने सुन्दर शब्दों में कहा है, **"प्रजातंत्र का अर्थ है जाति-पांति, रंग भेद तथा ऊँच-नीच से दूर एक ऐसा राज्य जिसकी आत्मा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने आपको हर कार्य में लगाए रखती है।"**

भारत जैसे गणतंत्र राष्ट्र में जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे—समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी व सम्पत्ति, वोट देने का व संवैधानिक उपचार आदि अधिकार प्राप्त है। विश्वविद्यालय आयोग ने इस संबंध में कहा है, **"प्रजातंत्र जीवन का ढंग है और केवल मात्र राजनैतिक प्रबन्ध ही नहीं। यह धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय और आर्थिक स्तर को न मानते हुए सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्येक को प्रदान करती है।"**

("Democracy is the way of life and not a more political arrangement. It is based on the principle of equal freedom, equal rights for all its members, regardless of race, religion, sex, occupation or economic status.")

लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य (Democracy and Aims of Education)–शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्रात्मक मूल्यों और लोकतंत्रात्मक जीवन को विकसित कर स्थाई, विवेकशील व सशक्त बनाना। शिक्षा का इस प्रकार से नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जिससे चारित्रिक व बुनियादी गुणों का विकास हो सके। **जॉन ड्यूवी** ने लिखा है, **"लोकतंत्र केवल सरकार का ही रूप न होकर उससे भी बढ़-चढ़कर और भी बहुत कुछ है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से दिए गए अनुभव की विधि है।"**

("A democracy is more than a form of Government, it is primarily a mode of associated living of conjoint communicated experience." —**John Dewey.**)

Scanned by CamScanner

अब प्रश्न सामने यह आता है कि लोकतंत्र के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए? इसका उत्तर हमें यहीं दिखाई देता है कि हमें छात्रों को अच्छा नागरिक, कुशल प्रशासक, देशभक्त, सहयोगी बनाना होगा, जिसके द्वारा वह अपने कार्य को सुचारु रूप से चला सकें। वह अपने कार्यों को कुछ इस प्रकार करें जिसके द्वारा औरों का भी भला हो। विश्व कल्याण ही उसका मुख्य उद्देश्य हो। इस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण लोकतंत्रीय शिक्षा में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के द्वारा ही किया जा सकता है।

लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्यों को सामान्यतः **निम्नलिखित दो भागों** में बाँटा गया है।

(क) सामान्य उद्देश्य (ख) अनिवार्य उद्देश्य।

(क) सामान्य उद्देश्य (General Aims)–

(i) लोकतंत्रात्मक शिक्षा में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाए जिसके द्वारा मस्तिष्क व बुद्धि का विकास हो।

(ii) व्यावसायिक कुशलता (Professional Efficiency) और व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) को विशेष स्थान प्राप्त हो।

(iii) लोकतंत्रात्मक शिक्षा द्वारा चरित्र के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिसकी सहायता से उसमें अनुशासन भी आए।

(iv) अवकाश काल के सदुपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के भ्रमणों, आदि का आयोजन किया जाए जिनके द्वारा वे अपना मनोरंजन तो करें ही साथ ही भ्रातृत्व की भावना भी अपने में जागृत करें।

(v) लोकतंत्रात्मक शिक्षा के माध्यम से प्रेम, सहयोग के द्वारा परिवार व समाज में योग्य सदस्यों का विकास किया जाए।

(vi) शारीरिक व मानसिक विकास व स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के योग्य नागरिक व प्रशासक बनाना असम्भव है।

(vii) शिशु को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन प्राप्त किया जाना चाहिए।

(viii) छात्र की प्रतिभा व बुद्धि का विशेष ध्यान रखकर शिक्षा पद्धति का नियोजन किया जाना चाहिए।

(ख) अनिवार्य उद्देश्य (Compulsory Aims)–(i) व्यक्ति विशेष की रुचियों का विकास (Development of The Interest of Individual)–लोकतंत्र की शिक्षा व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। उन्हें चहुँमुखी शिक्षा देना अनिवार्य है, जिससे वे हर क्षेत्र में अपना भरपूर विकास कर लें। हरवर्ट के अनुसार, **"बालक का बहुमुखी विकास होना चाहिए, जिससे वह श्रेष्ठ रुचियाँ अपने अन्दर समन्वित कर सके। वह जितनी अधिक व अच्छी रुचि अपने अन्दर लायेगा, वह शिक्षा काल और फिर उसके पश्चात् उतना ही सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत कर सकेगा।**

(ii) श्रेष्ठ नागरिकता का प्रशिक्षण (Training of Good Citizenship)–लोकतन्त्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है–श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना। इसके लिये उनमें स्पष्ट चिन्तन, नवीन विचारों का ज्ञान, सच्ची राष्ट्रीयता, सहनशीलता, समाज में रहने की कला, भाषण व लेखन की योग्यता व अन्तर्राष्ट्रीयता आदि की भावनायें होना नितान्त आवश्यक है। प्राचीनकाल में यूनान में व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने से पहले कुछ इसी प्रकार की शपथ लेनी पड़ती थी जिसका अर्थ था कि हम (नागरिक) देश के प्रति वफादार रहते हुए, सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर सबके सुखों व दुःखों को देखते हुए हर प्रकार के कानूनों का पालन करेंगे।

(iii) श्रेष्ठ आदतों का निर्माण (Formation of Good Habits)–लोकतांत्रिक समाज में नागरिक में श्रेष्ठ आदतों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बालक समाज में रहकर जिस प्रकार की आदतें सीखेगा बड़ा होकर वह उन्हीं का पालन करेगा। अतः भावी जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रारम्भ से ही उसमें अच्छी आदतें उत्पन्न करनी होंगी।

Scanned by CamScanner

(iv) व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)–आज के संघर्षपूर्ण समाज को देखते हुए जिसमें, लोकतन्त्र, समाज व मानव सभी विनाश के कगार पर खड़े हैं, ऐसे समय में विद्यार्थी में रचनात्मक शक्ति का विकास व उसकी रुचियों का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम की कला, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि विषयों से परिपूर्ण बनाना होगा। **हुमायूं कबीर** के अनुसार, **"शिक्षा को मानव-प्रकृति के सब पहलुओं के लिए कुछ ऐसी सामग्री इकट्ठी करनी होगी जिसमें मानव शास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी को एक-सा महत्त्व दिया जाए, जिससे कि वह सब क्षेत्रों में निष्पक्षता, कुशलता और उदारता के गुण प्राप्त कर सकें।"**

("Education should cater to all aspects of man's nature and give importance to the human science, the technology and other fields. So that it can fit a man to perform justly, skilfully, and magnanimously all the offices." **—Humayan Kabir.**)

(v) नेतृत्व के गुण (Habits of Leadership)–विद्यार्थी में प्रारम्भ से नेतृत्व ही के गुण विकसित करने चाहिएँ, जिससे वह सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने उत्तरदायित्व को सम्भाल सके।

(vi) आर्थिक सम्पन्नता (Economical Sufficiency)–जब तक लोग सही अर्थों में आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं होंगे तब तक योग्य व कुशल नेताओं का चुनाव नहीं हो पायेगा। क्योंकि सम्पन्न व्यक्ति गरीब व्यक्ति को धन का लालच देकर अपनी वोट उनकी तरफ पक्की कर निश्चित हो जायेंगे। दूसरी तरफ अगर वह आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे तो बिना धन के लालच के राष्ट्र को एक सम्पन्न व कुशल व्यक्ति प्रशासक के रूप में प्रदान करेंगे।

(vii) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति व समाज का निर्माण (To achieving the new aims Construction of Person and Society)–लोकतन्त्र में शिक्षा प्रत्येक नागरिक के आदर्शों, आदतों, रुचियों, भावनाओं व शक्तियों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए, जिससे वह तो समाज में अपना उचित स्थान बनाए ही साथ ही उसका प्रयोग अपने व राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी कर सके।

(viii) सामाजिक दृष्टिकोण (Social Outlook)–लोकतंत्र में शिक्षा का एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण। उसके सोचने-समझने का ढंग सामाजिक हो, वह अपने आपको समाज का एक प्राणी समझकर ही प्रत्येक कार्य करे। इस प्रकार वह अपने आपको सामाजिक भावना और सामाजिक क्षमताओं से परिपूर्ण जानेगा।

(ix) योग्यता (Qualities)–लोकतंत्र में कुशलता अथवा योग्यता को शिक्षा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इलियट के शब्दों में, **"कुशलता से मेरा अभिप्राय है–स्वस्थ और क्रियात्मक जीवन में कार्य व सेवा की भावना और शक्ति। इसी शक्ति को ध्यान में रखकर व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।"**

("By efficiency I mean effective power for work and service during a healthy and active life. To the training and development of this power the education of each and every person should be directed." **—Iliot**)

2. जनतन्त्र और बालक (Democracy and Child)–हमारी जनतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का इस प्रकार विकास करना है कि वह कुशल और राज्य के उपयोगी नागरिक बन सकें। इसलिए जनतंत्रात्मक शिक्षा की व्यवस्था में बच्चे को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। बालक को उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। जनतन्त्र में हमें बालक का व्यक्तिगत अध्ययन करके उनकी रुचि, स्वभाव, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि शिक्षा की व्यवस्था बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए होगी, तभी वह जनतंत्र के विकास के लिए अपना योगदान दे सकेगा। हमारी शिक्षा बालक प्रधान (Child centred) होनी चाहिए।

3. लोकतंत्र और पाठ्यक्रम (Democracy and Curriculum)–इन उद्देश्यों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए, उसकी योग्यताओं को देखते हुए उसके बहुमुखी विकास की ओर ध्यान देकर बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक

Scanned by CamScanner

लचीला, विविध और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो बच्चों की रुचियों, आवश्यर्कताओं और समाज की बदलती हुई धाराओं को पूरा करता हो।

इनकी पूर्ति के लिए सेकेंडरी पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा जाना चाहिए–

1. केन्द्रीय पाठ्यक्रम (Core Curriculum)।
2. विविध पाठ्यक्रम (Diversified Curriculum)।

केन्द्रीय पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी में आवश्यक ज्ञान देने की व्यवस्था होनी चाहिए और विविध पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को बालकों की विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, बुद्धि, योग्यताओं, शक्तियों तथा आवश्यकताओं को आधार बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम में कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, गणित, विज्ञान, शिल्प, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि विषयों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए ताकि बालक में करके सीखने (Learning by Doing) की भावना का विकास हो सके।

4. लोकतंत्र और शिक्षक (Democracy and Teacher)–जनतंत्रात्मक भावनाओं के प्रसार के लिए शिक्षक सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्रीय समाज के विद्यालयों में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक, समाज सुधारक तथा नेता के रूप में होता है। जनतंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक को जनतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास करने वाला और जनतंत्रात्मक व्यवहार करने वाला होना आवश्यक है। इस प्रकार का शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करके उन्हें सही मार्ग दर्शन प्रदान कर सकता है। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण वाला अध्यापक पक्षपात रहित होकर बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को समान रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है।

5. लोकतंत्र और शिक्षण पद्धतियाँ (Democracy and Methods of Teaching)–प्रजातंत्र की भावना का विकास शिक्षण पद्धतियों पर आधारित है। अतः जनतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा जनतंत्रीय भावना के विकास के लिए क्रियाशील विधियों को अपनाना बहुत लाभकारी है। जनतंत्रात्मक दृष्टिकोण वाला अध्यापक स्वयं क्रियाशील रहता है और बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा देने का प्रयास करता है। बच्चों को तर्क करने, स्वतंत्र चिन्तन करने, जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के समान अवसर देकर वह स्वतंत्रता की प्रकृति को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार की लोकतान्त्रिक शिक्षा देने के लिए अध्यापक क्रियात्मक विधियों - प्रदर्शनविधि, योजना पद्धति, अभिव्यक्ति विधि, खोज विधि, मांटेसरी प्रणाली, डाल्टन पद्धति आदि पद्धतियों का शिक्षण में सफल उपयोग करता है।

6. लोकतंत्र एवं अनुशासन (Democracy and Discipline)–प्रजातंत्रात्मक शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन की समस्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें किसी भी बात को बालकों की इच्छा के विरुद्ध नहीं लादा जाता। बच्चों को भी इतनी अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती कि बच्चा अनुशासन की समस्या पैदा कर दे। प्रजातंत्र में स्वानुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जनतंत्र में दमनात्मक अनुशासन के लिए कोई स्थान नहीं है। स्कूल को समाज का लघु रूप मानकर सभी बच्चों को विकास का समुचित अवसर देने और समाज हित से कार्य करना सिखाना ही जनतंत्रात्मक शिक्षा का लक्ष्य है। स्कूल की क्रियाओं द्वारा बालकों में अपने कर्तव्य को समझने की इच्छा पैदा होती है और विद्यालय रूपी लोकतंत्रीय वातावरण द्वारा उनको अनुशासित किया जाता है।

7. लोकतंत्र और स्कूल व्यवस्था (Democracy and School Organisation)–प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में अध्यापकों तथा संगठनों को इकट्ठे होकर स्कूल की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होती है। अध्यापक प्रबन्धक वर्ग के साथ मिलकर स्कूल की अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर सकता है। इस व्यवस्था में छात्रों का सहयोग भी अपने अध्यापकों के साथ रहता है। प्रबन्धक और निरीक्षक ऐसी अवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। इस प्रकार से स्कूलों के लिए बनाई गई प्रबन्धक समितियाँ वास्तव में बच्चों में जनतांत्रिक भावना भरने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। छात्र भी इस प्रकार की व्यवस्था से संतुष्ट होकर रचनात्मक कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

Scanned by CamScanner

◆◆◆

3. प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा की असमानता का वर्णन कीजिए।

अथवा

प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के आपसी सम्बन्धों की आज के युग से तुलना कीजिये। इस परिवर्तन के कारणों पर भी प्रकाश डालिये।

अथवा

प्राचीन भारत में अध्यापक तथा छात्र के आपसी सम्बन्धों, शैक्षिक संस्थाओं तथा स्त्री-शिक्षा का उल्लेख कीजिये।

अथवा

गुरु और शिष्य के सम्बन्ध प्राचीन भारत में किस प्रकार के थे? आज के युग से उनकी तुलना कीजिए। इस परिवर्तन के क्या कारण हैं?

उत्तर–प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। गुरु और शिष्य दोनों एक-दूसरे से स्नेह करते थे। गुरु की आज्ञा मानना शिष्य अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और गुरु भी अपने शिष्यों को पुत्र के समान प्रेम करते थे। संक्षेप में, गुरु और शिष्यों के बीच सम्बन्ध वही थे जो पिता और पुत्र के बीच में होने चाहिए।

गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य (Duties of Students towards teachers)–तन-मन-धन से गुरु की सेवा करना शिष्य अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। अध्ययन के अतिरिक्त उनका शेष समय गुरु-सेवा में ही व्यतीत होता था। गुरु के लिए भिक्षा माँगकर लाना, वन में जाकर लकड़ी काटकर लाना, पशु चराना, नदी या झरनों से पानी भर कर लाना विद्यार्थियों का नित्य-प्रति का कर्म था। गुरु-सेवा में तनिक-सी भूल होने पर शिष्य अपने मन में पश्चात्ताप का अनुभव करते थे, ताकि भविष्य में पुनः भूल न हो जाए, अतः वे गुरु का प्रत्येक कार्य अत्यन्त सावधानी और लगन के साथ करते थे। गुरु का दुःख उनका दुःख होता था तथा गुरु का सुख उनका सुख होता था।

गुरु-आज्ञा का पालन करना प्रत्येक छात्र अपना पावन कर्तव्य समझता था। ऐसा करने में उसे चाहे कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना एक भीषण अपराध माना जाता था। ऐसा करने वाले छात्रों को आश्रम से निष्कासित कर दिया जाता था और समाज उन्हें अत्यन्त हीन दृष्टि से देखता था।

Scanned by CamScanner

गुरु-आश्रम में विभिन्न वर्णों तथा विभिन्न सामाजिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। सभी शिष्य बिना किसी भेद-भाव के गुरु-सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। राजपुत्रों तक को गुरु के लिए वन में लकड़ी काटने जाना पड़ता था।

गुरु-सेवा के अतिरिक्त छात्रों का अन्य मुख्य कार्य गुरु-गृह की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना था। आश्रम में नित्य यज्ञ होते थे, अतः यज्ञ की अग्नि सदा जलाये रखना प्रत्येक छात्र अपना धर्म मानता था। यह अग्नि ज्ञान का प्रतीक थी।

अध्ययन के समाप्त होने पर भी छात्र गुरु के दिये हुए आदेशों को भावी जीवन में पालन करने का प्रयत्न करते थे। उनके हृदय में गुरु के प्रति वही श्रद्धा, वही आदर का भाव जीवन के अन्त तक बना रहता था जो कि अध्ययन काल में था।

अध्यापक या गुरु के कर्तव्य (Duties or Functions of Teacher)—शिष्यों के कर्तव्यों के साथ-साथ गुरु के कर्तव्य का भी उल्लेख आया है। गुरु केवल मौखिक रूप में ही शिष्य के प्रति प्रेम-भाव नहीं रखते थे, वरन् व्यावहारिक रूप में भी अपने शिष्यों के प्रति उनका आचरण पिता-तुल्य होता था। छात्रों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने के लिए स्थान आदि का प्रबंध गुरु ही करता था। छात्रों के रुग्ण होने पर वह उनकी सेवा शुश्रूषा अत्यन्त स्नेह के साथ करता था। छात्रों के दुःख को अपना दुःख मानकर उनकी प्रत्येक समस्या को हल करना वह अपना कर्तव्य समझता था। गुरु के स्नेहमय तथा वात्सल्यपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर छात्र कभी-कभी अपना गृह-त्यागकर गुरु-गृह में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते थे। ऐसे छात्रों को "अन्तेवासिन" कहा जाता था।

प्राचीन भारत में गुरु को अत्यन्त उच्च पद प्रदान किया गया है। उसे ईश्वर के समकक्ष माना जाता है। अन्धकार में पड़े हुए छात्रों को प्रकाश दिखाना गुरु का ही कार्य है। अतः गुरु से आशा की जाती थी कि वह मानसिक योग्यता के एक आदर्श तक ले जाये। गुरु का कर्तव्य था कि वह सदा अपने को ज्ञान की खोज में लीन रखे। शिष्य अपने गुरु का प्रतिबिम्ब होता है, इस कारण गुरु का आचरण तथा चरित्र अत्यन्त उच्च कोटि का होता था। वे सदा अपने कार्यों के प्रति सजग रहते थे जिससे कि उनके कार्यों का छात्रों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। उस काल में जितनी भी विद्याएँ थीं, उन सबका ज्ञान होना एक आदर्श गुरु के लिए परम आवश्यक था।

अध्ययन और ज्ञान-वृद्धि के अतिरिक्त गुरु का प्रमुख कार्य ज्ञान-राशि के संचित कोष को छात्रों के समक्ष रखना था। प्रत्येक गुरु अपने शिष्यों की जिज्ञासा शान्त करने का प्रयत्न करता था। शिष्यों द्वारा पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना गुरु अपना कर्तव्य समझता था।

गुरु-शिष्य सम्बन्धों की वर्तमान दशा (Present situation or condition of pupil-teacher relations)—प्राचीन काल में शिक्षकों को जो सम्मान प्राप्त था, वह अब धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। वर्तमान समाज उन्हें उतने आदर के साथ नहीं देखता जितना कि प्राचीन समय में देखता था। आज छात्र भी उन्हें अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। परिणामस्वरूप अध्यापकों के मन में अपने कर्तव्यों के प्रति उत्साह नहीं है। छात्र समझते हैं कि हम स्कूलों को शुल्क देते हैं, अतः अध्यापकों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है।

वास्तव में छात्रों में फैली अनुशासनहीनता देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। छात्रों पर ही देश का भविष्य निर्भर है। इसके लिए सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनके कारण देश में अनुशासनहीनता फैली हुई है।

अध्यापकों को समाज में ऊँचा स्तर प्रदान करना परम आवश्यक है। उनके वेतन में वृद्धि की जाए जिससे वे मन लगाकर छात्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें। इस दिशा में कुछ ठोस पग उठाये भी जा रहे हैं।

अध्यापकों को भी ज्ञान-वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल धन के ऊपर अपने महान् उद्देश्यों को भुला देना ठीक नहीं है। प्रत्येक अध्यापक को अध्यापन-कार्य में रुचि लेनी चाहिए। यदि अध्यापक, अध्यापक-कार्य में रुचि प्रकट करेंगे तो शिक्षण का स्तर तो उठेगा ही, पर साथ ही छात्र उनका सम्मान भी

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

करने लगेंगे। अध्यापक को अध्यापन-कार्य प्राचीन गुरुओं के समान पवित्र तथा आदर्श भावनाओं से प्रेरित होकर करना चाहिए।

वर्तमान युग के छात्र के अन्दर चारित्रिक दोषों का बाहुल्य है, अतः अध्यापक को अपने चरित्र की दृढ़ता का पूर्ण ध्यान रखना है। चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में अध्यापक का अध्यापन-कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। सच्चरित्र अध्यापक का अभाव विद्यालय के समस्त छात्रों पर स्थायी रूप में पड़ता है। वास्तव में अध्यापक अनुकरणीय होता है। जैसा अध्यापक होगा वैसा ही छात्रों का चरित्र होगा। एक अध्यापक जो स्वयं सिगरेट पीता है तथा सिनेमा देखता है, वह किस मुख से अपने छात्रों को सिगरेट पीने तथा सिनेमा देखने से मना कर सकता है।

प्राचीन काल में शिक्षा-संस्थाएँ
(Educational Institutions in Ancient Time)

इस युग में अध्यापन का कार्य प्रमुख रूप से गुरु-गृह में होता था। नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर छात्र गुरु-आश्रम या गुरुकुल में शिक्षा (अध्ययन) हेतु जाते थे। परन्तु गुरुकुल तथा गुरु-आश्रम के अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य अन्य संस्थाएँ भी करती थीं। नीचे हम उन संस्थाओं का उल्लेख करेंगे जो इस काल में प्रचलित थीं–

(1) **चरण**–चरण एक प्रकार के वैदिक विद्यापीठ थे, जहाँ छात्र अनेक ब्रह्मचारियों के साथ विद्याध्ययन करते थे। कुछ धर्म-सूत्रों का निर्माण इन चरणों में ही हुआ। गुरु और शिष्य मिलकर वेदों का मनन करते थे तथा अपने-अपने विचार प्रकट करते थे। वैदिक ज्ञान के प्रसार में इन चरणों ने बड़ा योगदान दिया।

(2) **परिषद्**–वृहदारण्यक उपनिषद् में हमें परिषदों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के अनुसार, परिषदों में प्रौढ़ विद्वान् एकत्र होकर दार्शनिक समस्याओं पर विचार करते थे। इन परिषदों में मुख्य रूप से आध्यात्मिक प्रश्नों पर ही विचार होता था।

(3) **सम्मेलन**–सम्मेलनों का आयोजन राजा-महाराजाओं द्वारा होता था। इन सम्मेलनों में योग्य तथा प्रतिभावान् अध्यापकों को आमन्त्रित किया जाता था। वे प्रवचनों द्वारा अपने विचारों को छात्रों के सामने प्रकट करते थे। योग्य विद्वानों को पुरस्कार प्रदान किये जाते थे।

आधुनिक युग में शिक्षण संस्थाएँ प्राचीन काल की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है। अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गई हैं।

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा (Women education in Ancient India)–प्राचीन भारत में स्त्रियों को शिक्षा पर्याप्त रूप में प्रदान की जाती थी। पुरुषों के समान स्त्रियों को स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार था। वे बिना रोक-टोक चाहे जहाँ घूम सकती थीं। वे अपने स्वामियों के साथ यज्ञों में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में नारी को अत्यधिक सम्मान प्रदान किया गया था। छात्रों के समान छात्राएँ भी वेदाध्ययन करती थीं। विश्ववारा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आदि विदुषी महिलाएँ थीं।

परन्तु उत्तर वैदिक-काल में, स्त्रियों का सम्मान वैदिक-काल की अपेक्षा बहुत कम हो गया था। उन्हें अब समाज उतने आदर के साथ नहीं देखता था, जितना कि वैदिक काल में। उन्हें अब आपत्ति को जोड़ने वाली कहा जाने लगा। अब वे सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकती थीं। स्त्रियों पर इस प्रकार के बन्धन लगाने का सबसे बड़ा दोष यह हुआ कि उनका मानसिक विकास रुक गया। इस पर भी उपनिषद् काल में अनेक विदुषी तथा योग्य महिलाओं का उल्लेख मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का मिथिलाधिपति राजा जनक की सभा में किया गया शास्त्रार्थ हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं पर स्त्री-शिक्षकों का भी वर्णन मिलता है। शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियाँ 'उपाध्याया' या 'आचार्य' के नाम से पुकारी जाती थीं।

छात्रों की भाँति छात्राएँ भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती थीं। उनका भी छात्रों के समान उपनयन संस्कार होता था। परंतु यह सत्य है कि वैदिक-काल के पश्चात् स्त्रियों पर बन्धन कसे जाने लगे और उन्हें पहले जैसी अध्ययन-अध्यापन की सुविधा नहीं रही।

6. मध्यकालीन प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं अथवा गुणों तथा कमियों एवं दोषों का उल्लेख कीजिये।

अथवा

मध्यकालीन प्रारम्भिक शिक्षा के गुणों तथा अवगुणों की संक्षिप्त विवेचना कीजिये।

अथवा

मध्यकालीन प्रारम्भिक शिक्षा के गुणों या विशेषताओं तथा कमियों या दोषों को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर—मध्यकालीन प्रारम्भिक शिक्षा के गुण या विशेषतायें **(Merits or Characteristics of Education in Medieval Period)–**

(1) इस युग में भी गुरु और शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। दोनों अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे।

(2) शिक्षा के अन्दर धार्मिकता तथा भौतिकता का समावेश अत्यन्त सफलता के साथ किया गया था, जिसका वैदिक-कालीन शिक्षा में पूर्णतया अभाव था।

(3) शिक्षा में धर्म की प्रमुखता होने के कारण छात्रों के चरित्र-निर्माण पर अधिक बल दिया जाता था।

(4) मुस्लिम शिक्षा में यद्यपि धर्म को स्थान दिया गया था, परन्तु साथ ही छात्रों को भौतिक जगत् के प्रति उदासीन नहीं रखा जाता था। शिक्षा इस ढंग से दी जाती थी जिससे कि छात्र जीवन की व्यावहारिकता को समझकर संसार में सफलता प्राप्त कर सकें।

(5) मुस्लिम शिक्षा में पाठ्यक्रम अत्यन्त विस्तृत रखा गया था।

(6) वैदिक तथा ब्राह्मण युग में इतिहास लेखन की ओर विद्वानों का ध्यान बिल्कुल नहीं था। परिणामस्वरूप प्राचीन इतिहास में प्रामाणिक तथ्य अत्यन्त कठिनता से मिलते थे। परन्तु मुस्लिम काल में इतिहास-लेखन का शौक सम्राटों तक ही था, वे अपने दरबारों में प्रसिद्ध इतिहासकारों को आश्रय देते थे। वास्तव में इतिहास-लेखन इस युग की महान् देन है। कहानी और काव्य के क्षेत्र में भी इस युग में पर्याप्त विकास हुआ।

(7) मकतब तथा मदरसों—दोनों में शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी।

(8) छात्रों को पुरस्कार प्रदान करके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता था।

मध्यकालीन प्रारम्भिक शिक्षा की कमियाँ या दोष
(Limitations of Education in Medieval India)

(1) मुस्लिम शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा संगठन इस प्रकार का था कि जिसे मुख्यतया मुसलमान ही अपना सकते थे। वास्तव में उसमें सार्वजनिकता का पूर्ण अभाव था। मुसलमान छात्र ही उससे अधिक लाभ उठा सकते थे।

(2) स्त्री-शिक्षा की इस काल में पूर्ण उपेक्षा की गई। पर्दा-प्रथा के कारण वे स्वतन्त्रतापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थीं। केवल उच्च घराने की स्त्रियाँ ही घर पर शिक्षा का प्रबन्ध कर सकती थीं।

(3) इस युग की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह था कि जन-भाषाओं की अवहेलना करके अरबी-फारसी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। इससे सबसे बड़ी हानि यह हुई है कि प्रान्तीय भाषाओं का विकास समुचित ढंग से नहीं हो सका।

(4) शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक कट्टरता के कारण हिन्दू छात्रों को असुविधा होती थी।

(5) शिक्षा में आध्यात्मिकता का अभाव था, केवल सांसारिक पक्ष पर ही बल दिया जाता था।

(6) मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा भारतीय विषयों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई थी।

Scanned by CamScanner

(7) दण्ड-प्रणाली कठोर होने के कारण विद्यालयों में आतंक छाया रहता था। कुछ छात्र तो भय के कारण पढ़ना तक छोड़ देते थे।

(8) शिक्षण-प्रणाली में केवल रटने पर बल दिया जाता था। छात्रों की तार्किक शक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था।

(9) इस शिक्षा-प्रणाली में लिखना, पढ़ना अलग-अलग सिखाये जाते थे। परिणामस्वरूप छात्रों का दोहरा समय नष्ट होता था।

(10) मुस्लिम-शिक्षा, छात्रों की विलास और आराम की प्रवृत्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालती थी। अतः छात्र विलासप्रिय हो गये थे।

(11) यह शिक्षा-प्रणाली अत्यधिक कठोर एवं अनुत्पादक थी। फलतः जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यह शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण में असफल रही।

निष्कर्ष (Couclusion)—मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालते हुए डॉ० **यूसुफ हुसैन** लिखते हैं—**''आलोचनात्मक रूप से कहा जाए तो मध्यकालीन भारत में प्रचलित शिक्षण-प्रणाली में मानसिक विस्तार की कमी थी और वह अत्यधिक कठोर एवं अनुत्पादक हो गयी थी। इस समय जो परिवर्तन एवं सुधार हुए थे, वे उस समय की चुनौती का सामना करने के लिए उतने पर्याप्त न थे, जिसका उसे सामना करना पड़ा था।.....यह कहना ऐतिहासिक रूप से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली विशेषतया बाद के मुगलकाल में, नेतृत्व के गुणों के संचार करने में और इस प्रकार के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करने में असफल रही।''**

◆◆◆

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आधुनिक शिक्षा
(Modern Education)

आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है—"आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान व शिल्प विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। आधुनिक शिक्षा लोगों को पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है, उनके दृष्टिकोण को बदलती है, बदलते मूल्यों की जानकारी देती है तथा कार्य करने के नवीन वैज्ञानिक विधियों की जानकारी देती है।

इस संदर्भ में **एस. के. मूर्ति** का यह कथन उल्लेखनीय है—"आधुनिक **शिक्षा वह चाबी है जो राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी तथा सामाजिक आदि क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का द्वार खोलती है।**"

इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा है कि—"आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक विकास की गति से है। तेजी से आधुनिक बनने का ढंग शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षित एवं कुशल नागरिक उत्पन्न करना तथा एक उपयुक्त एवं प्रबुद्ध बौद्धिक वर्ग को प्रशिक्षित करना है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु आधुनिक शिक्षा इसका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन सिद्ध हुई है। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हुए इसका एक उद्देश्य देश का आधुनिकीकरण करना भी बताया।

भारतीय समाज वर्षों तक विदेशी सत्ता का गुलाम रहा। यहाँ की जनता प्राचीन रूढ़ियों व अन्धविश्वासों से चिपकी रही। अनेक सामाजिक बुराइयाँ यहाँ के समाज को खोखला बनाती रहीं। वैज्ञानिक ज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में हम सदैव पिछड़े रहे। ऐसे में आधुनिक शिक्षा ही लोगों में राजनैतिक जागरूकता, सामाजिक चेतना, नवीन दृष्टिकोण एवं जीवन मूल्यों का विकास कर सकती है, जिससे कि हमारे समाज को आधुनिक बनाने में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, शिक्षा को उन बुराइयों को भी दूर करना होगा जो आधुनिकता के नाम पर हमारे समाज में जन्म ले रही हैं। उदाहरण के तौर पर आज युवकों में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। आधुनिक शिक्षा को इन सब पर अंकुश लगाकर आधुनिकीकरण को सही रूप देना होगा।

आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Modern Education)

भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, "भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है। विज्ञान और तकनीक पर आधारित इस युग में शिक्षा ही लोगों में समृद्धि, सुरक्षा तथा कल्याण के स्तर का निर्धारण करती है।" (The destiny of India is now being shaped in her classrooms. In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity welfare and security of the people.")

आयोग का यह कथन आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल उचित है कि भारतीय समाज एक परंपरावादी समाज है, जहाँ लोग अपनी पुरानी परंपराओं, रीति-रिवाजों, जीवन-शैली, विश्वासों तथा कार्य के पुराने तरीकों को छोड़ना नहीं चाहते। विज्ञान के इस आधुनिक युग में इन्हें छोड़े बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। भारत में बेरोजगारी, निरक्षरता व अज्ञानता की समस्यायें बढ़ती जा रही हैं, जबकि आधुनिकीकरण की आवश्यक शर्त है कि इसके लिए केवल निरक्षता का उन्मूलन ही आवश्यक नहीं है बल्कि ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता है जो लोगों की सोच को आधुनिक बनाए।

इस दृष्टि से 'आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। समाज को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखने में इस उद्देश्य की आवश्यकता व महत्त्व भी स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा का योगदान आधुनिकीकरण में इस प्रकार है—

1. प्रशिक्षित तथा कुशल नागरिक तैयार करना (To prepare trained and skilled citizens)—आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में कार्य-कुशल तथा दक्ष नागरिक हों। आधुनिक शिक्षा ही इस प्रकार के योग्य व कुशल नागरिकों को तैयार करने का कार्य करती है।

2. रूढ़ियों व अन्धविश्वासों को दूर करना (To eradicate obsolete traditions and superstitions)—शिक्षा व्यक्ति को पुरानी रूढ़ियों तथा अन्धविश्वासों के दायरे से निकालती है। उन्हें गली सड़ी पुरानी परम्पराओं को छोड़ कर नवीन विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज में आधुनिकीकरण में सहायता मिलती है।

3. संस्कृति की सुरक्षा, विकास व शोधन (Safeguarding development and cleanliness of culture)—आधुनिकता का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह छोड़ दें। प्राचीन संस्कृति हमारे समाज की आत्मा है। उसकी सुरक्षा व विकास बहुत आवश्यक है। परन्तु आधुनिकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि प्राचीन संस्कृति की अनुपयोगी बातों को छोड़कर उसमें कुछ नवीन जोड़कर उसका शोधन कर लें। आधुनिक शिक्षा ही यह कार्य कर सकती है।

4. तार्किक चिन्तन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास (Development of rational thinking and Scientific attitude)—आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में तर्कपूर्ण ढंग से चिन्तन करने की योग्यता हो तथा उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। आधुनिक शिक्षा ही व्यक्ति में इन योग्यताओं का विकास करती है, जिससे वह तर्क के आधार पर उचित व अनुचित में विवेक कर सके तथा प्राचीन तथा व्यर्थ मान्यताओं का खण्डन करके नवीन विचारों को अपना सके।

5. नवीनतम जानकारी प्रदान करना (To provide latest information)—आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नया हो रहा है उन सबकी जानकारी प्रदान करती है, जिससे समाज को आधुनिक बनाने में सहायता मिलती है।

6. प्रजातान्त्रिक एवं धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास (Development of Democratic and secular attitude)—शिक्षा व्यक्ति में प्रजातान्त्रिक मूल्यों व धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करती है। उसमें धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न होती है।

7. अच्छे मूल्यों का विकास करना (to develop good values)—आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को प्राचीन एवं नवीन दोनों प्रकार के मूल्यों की जानकारी प्रदान कर इन दोनों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह उसे बताती है कि अत्यधिक भौतिकता से मूल्यों में गिरावट आती है। अतः हमें तकनीकी ज्ञान व नैतिक मूल्यों के बीच समन्वय बनाए रखना होगा।

8. शिक्षा दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है (Education Broadens the Outlook)—आधुनिक शिक्षा व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, जिससे वे प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा पूर्वाग्रहों को छोड़कर नवीन एवं उपयोगी विचारों व मूल्यों को सीख सकें।

9. शिक्षा आधुनिकीकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करती है (Education Removes the Obstacles Coming in way of Modernisation)—भारतीय समाज में अनेक ऐसी बाधाएँ हैं जैसे जातीयता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, निरक्षरता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा गरीबी आदि। भारतीय लोग पुराने तरीकों को छोड़कर नये तरीकों को अपनाने में डरते हैं व संकुचित होने के कारण राष्ट्र हित की बात सोच नहीं पाते। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से गरीबी व अज्ञानता को दूर किया जा सकता है।

10. परंपराओं के विकल्प प्रस्तुत करती है (Presents Alternatives of Tradition)—व्यक्ति अपनी प्राचीन परंपराओं को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उनका कोई विकल्प उसके पास नहीं होता। आधुनिक शिक्षा उसके समक्ष परंपरा के नये विकल्प प्रस्तुत करती है तथा उसे इन विकल्पों को अपनाने के लाभों से भी अवगत कराती है, जिससे आधुनिकीकरण में मदद मिलती है।

11. आधुनिकीकरण के लिए आदर्श नेतृत्व तैयार करती है (It Prepares Ideal Leadership for Modernisation)—आधुनिकीकरण समाज में शिक्षित व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

करते हैं, जिससे वे अपनी परंपरागत सोच को छोड़कर आधुनिक बन सकें। शिक्षा चिकित्सा, उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसा प्रतिभाशाली नेतृत्व तैयार करती है जो आधुनिक युग में समाज का मार्गदर्शन कर सके।

12. विशेषज्ञों को तैयार करती है (It Prepares Specialists)–आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम को चलाने हेतु विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त सम्पन्न विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, योजनाओं व प्रबंधकों को तैयार करती है, जो अपनी कुशलता के अनुसार आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं।

13. शिक्षा सक्रिय बनाती है (Education makes active)–निष्क्रियता आधुनिकीकरण के मार्ग में रुकावट है। आधुनिक शिक्षा मानव की सक्रियता को बढ़ाती है और गतिशील मस्तिष्क का निर्माण करती है।

14. प्राचीनतम व आधुनिकता में समन्वय स्थापित करती है (It Establishes Balance Between Tradition and Modernity)–जो पुराना है, सब बुरा है व जो नया है, सब अच्छा है, यह सोचना गलत है, बल्कि परंपरा व आधुनिकता दोनों में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा। आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक माना जाता है कि दोनों में समन्वय हो।

15. नेतृत्व के गुणों का विकास करना (To Develop Qualities of Leadership)–आधुनिकीकरण की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे में उसकी क्षमताओं के अनुसार बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन व्यक्ति इन क्षमताओं को नहीं पहचानता। लेकिन कुशल नेतृत्व मिलने पर उसे इसका बोध होता है। इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास अध्यापक द्वारा अपने बच्चों में पैदा करना चाहिए।

16. ज्ञान में वृद्धि करना (To Increase Knowledge)–आज विश्व में लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आज शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसके आधार पर वह पुरानी सोच को छोड़कर नवीन दिशा में अग्रसर हो सके।

17. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना (To Develop National and International Understanding)–आधुनिकता में जातीयता, प्रांतीयता, साम्प्रदायिकता तथा संकुचित राष्ट्रीयता बाधक है। आपसी सहयोग, भाईचारा व सद्भावना से युक्त समाज में ही लोग अपनी क्षमताओं, कुशलताओं का उपयोग, नया सोचने व करने में कर सकते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होना चाहिए।

18. सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना (To Encourage Social Changes)–प्राचीन परंपराओं व रूढ़ियों से युक्त बंद समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मन्द गति से चलती है, क्योंकि ऐसे समाज में लोग नये परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। पृथकता की भावना व नवीनता से भय उन्हें रूढ़ियों में बांधे रखता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य लोगों के मन से भय को इस प्रकार निकालना तथा उन्हें परिवर्तनों की जानकारी देकर उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होना चाहिए, ताकि वे आधुनिक समाज के निर्माण में सहायता कर सकें।

Scanned by CamScanner

4.4 नए आर्थिक सुधार तथा शिक्षा पर इनका प्रभाव
(New Economic Reforms and their Impact on education)

1. नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by New Economic reforms? Describe their impact on education.)

उत्तर–आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रत्येक देश विकास के लिए अग्रसर है। सन् 1991 से भारत सरकार ने देश की गति तेज करने के लिए अनेक आर्थिक सुधार आरंभ किए। इन सुधारों को तीन नीतियों के रूप में देखा जा सकता है–

1. उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग (Licensing-L) के स्थान पर उदारीकरण (Liberation-L) नीति लागू करना।
2. उद्योगपतियों के लिए 'कोटा' (Quota-Q) प्रणाली के स्थान पर (Privatisation-P) की नीति लागू करना।
3. आयात-निर्यात के लिए 'परमिट' (Permit-P) के स्थान पर वैश्वीकरण (Globalization) की नीति लागू करना।

इन सुधारों को प्रायः नई आर्थिक नीति का नाम दिया जाता है।

Scanned by CamScanner

नई आर्थिक नीति के तत्त्व
(Elements of New Economic Policy)

नई आर्थिक नीति के तीन मुख्य तत्त्व हैं–

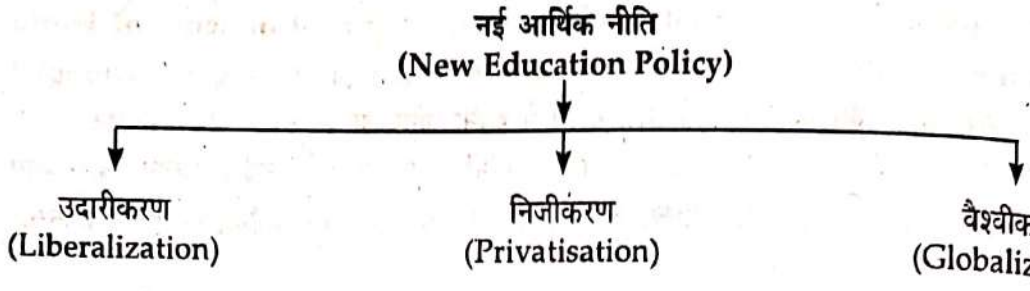

वैश्वीकरण (Globalization)–वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश विश्व विकास का एक तत्त्व बन सके। वैश्वीकरण का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों का आर्थिक विकास करता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीति संबंधी रणनीतियां (Policy Strategies Promoting Globalization of the Indian Economy)–भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाली महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी रणनीतियां निम्नलिखित हैं–

1. विदेशी निवेश की साम्या सीमा में वृद्धि करना (To Increase in Equity Limit to Foreign Investment)–वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की साम्या सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51-100 प्रतिशत करने दिया गया है। नई आर्थिक नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले 47 उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना किसी प्रतिबंध तथा लाल फीताशाही के 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। निर्यात व्यापार ग्रहों को भी 100 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विदेशी विनिमय प्रवंध अधिनियम (FEMA) लागू किया गया है। अतिरिक्त पूर्जों, कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान के आयात के मामले में पूंजी निवेश वाली इकाइयों पर सामान्य नियम लागू किए गए है।

2. दीर्घकालीन व्यापार नीति (Long Term Trade Policy)–वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया है। विदेशी व्यापार नीति एक उदार नीति है जिसके अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत कुछ विशिष्ट वस्तुओं के अलावा सभी अन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जा सकता है।

3. आंशिक परिवर्तनीयता (Partial Convertibility)–आंशिक परिवर्तनीयता से अभिप्राय है डॉलर अथवा पौंड स्टर्लिंग जैसी विदेशी करेंसी को विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदना तथा बेचना। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई है। यह रियायत आर्थिक सुधारों के अनुरूप है।

आर्थिक परिवर्तनीयता निम्नलिखित सौदों के लिए वैध है–

1. वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात व निर्यात करना।

Scanned by CamScanner

2. निवेश पर ब्याज या लाभांश का भुगतान करना।
3. परिवार के खर्चे के लिए भेजी गई धन राशि।

इसमें पूंजी संबंधी सौदें शामिल नहीं किए जाते हैं। इसलिए इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है। समय बदल रहा है और बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज का युग केवल मात्र विज्ञान और तकनीकी का युग नहीं रहा, बल्कि उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation) की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है। शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप तकनीकी, वैश्वीकरण और उदारीकरण के बीच सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं।

भारत में वैश्वीकरण और निजीकरण की यह प्रक्रिया 1991 ई. में आरम्भ हुई जब अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रित और उच्च केन्द्रित स्तर नीति के आधार पर भारतीय उद्योग में सुधार लेने हेतु भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार लेने का प्रयास आरम्भ हुआ। सूचना और संचार तकनीक में तीव्र गति से आए परिवर्तनों ने विश्व व्यापार और अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया है। आज के इस गत्यात्मक युग में घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तथा निर्यात में वृद्धि हो रही है। इसलिए वैश्वीकरण समय की मांग है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय वाज़ार में समन्वय स्थापित करने हेतु दीर्घकालीन तकनीकी विकास नीतियों का अधिक से अधिक विकास करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है जिसके आधारभूत पहलू हैं।

(1) वैश्वीकरण (Globalisation) (2) उदारीकरण (Liberalisation)
(3) निजीकरण (Privatisation) (4) अन्तर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation)

I. वैश्वीकरण (Globalisation)—वैश्वीकरण से अभिप्राय है भौगोलिक सीमाओं को पार करके सभी राष्ट्रों का एक दूसरे के निकट आना। यह वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में मानव व समाज और राष्ट्र की पहचान बनाने का नवीन ढंग है। यह राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए एक-दूसरे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रों में रुचि का विकास करता है।

II. उदारीकरण (Liberalisation)—उदारीकरण के महत्त्व को भी समझा जाने लगा है। ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतन्त्र उदारता और सहनशीलता के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इससे राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में लचक और परिवर्तन के आधार पर विभिन्नताओं के आधार पर समन्वय होता है।

III. निजीकरण (Privatisation)—निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार से बाहर होकर कार्य किया जाता है, चाहे यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर हो या समूह संगठन के स्तर पर। परन्तु सरकार से बाहर होने पर भी इससे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य किया जाए वह संविधानिक नियमों से बाहर न हो। निजीकरण उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा तथा कम्पनियों के क्षेत्र में हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने हेतु निजीकरण एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब सरकार का पूर्ण रूप से शिक्षा पर नियन्त्रण होता है तो कई प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाते हैं और उनके चलते शिक्षा तथा अन्य कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है।

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा और वैश्वीकरण (Education and Globalisation)—आज के युग में उच्च शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक हो गया है। उच्च शिक्षा केवल एक एश्वर्य नहीं, अपितु एक आवश्यकता बन गई है। उच्च शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उससे राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवसायीकरण में अपना योगदान देती है। उच्च शिक्षा व्यक्ति में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्रवृत्ति विकसित करती है। विश्व को भली-भाँति जानने की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उच्च शिक्षा से राष्ट्र की प्रगति होती है चाहे यह सामाजिक दिशा में हो या आर्थिक दिशा में। विश्व नागरिकता

Scanned by CamScanner

के प्रशिक्षण के लिए भी उच्च शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उच्च शिक्षा मानव संसाधनों का विकास करती है ताकि राष्ट्र आर्थिक प्रगति करे।

उच्च शिक्षा के लक्ष्य और विश्वीकरण (Objectives of Higher Education and Globalisation)—आज के युग में समाज में कई प्रकार के प्रति आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से सम्बन्धित उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं—

(1) **ज्ञान विस्फोट की जानकारी प्रदान करना (Providing information of knowledge explosion)**—आज के आधुनिकीकरण के युग में तकनीकी, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में विशेषीकरण के नये क्षेत्र चुनौती दे रहे हैं। इसलिए ज्ञान के पूर्ण रूप से नवीन क्षेत्रों से विद्यार्थियों को पूरी तरह से परिचित कराया जाए।

(2) **नयी तकनीकों का प्रयोग (Use of New techniques)**—उच्च शिक्षा, निम्न स्तर की शिक्षा से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा के प्रदान करने के लिए निर्देशन में नयी तकनीकों का प्रयोग करना।

(3) **विश्व नागरिकता का विकास करना (To develop world citizenship)**—उच्च शिक्षा एक ऐसा सार्थक, सशक्त और प्रगतिशील साधन है जिसके माध्यम से सहज और स्वाभाविक ढंग से विश्व नागरिकता का विकास किया जा सकता है।

(4) **उच्च शिक्षा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास (Development of international understanding through the medium of higher education)**

(5) **अनुशासन का निर्माण (Formation of character)**—शिक्षा प्राप्त करने में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों में नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उच्च शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

(6) **ज्ञान का आदान-प्रदान (Exchange of knowledge)**—सभी राष्ट्रों के विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित ज्ञान का विश्व स्तर पर आदान-प्रदान करना और एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होना।

(7) **मानव मूल्यों और संस्कृति का विकास करना (To Develop Human Values and Cultures)**

वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Globalisation and Curriculum of Higher Education)—आधुनिक युग में नये उभरते क्षेत्रों में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, जिसे पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन कोर्सों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप में भी प्रदान की जा सकती है। पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव निम्नलिखित हैं—

(1) स्वास्थ्य एवं औषधि **(Health and Medicines)**
(2) जीव विज्ञान पर आधारित तकनीकें **(Techniques based on life sciences)**
(3) वातावरण से सम्बन्धित सुदृढ़ तकनीक **(Strong techniques from environment point of view)**
(4) विस्तार और संचार प्रणाली **(Extension and communication system)**
(5) प्रबन्ध प्रणाली **(Management System)**
(6) अन्तरिक्ष तकनीकें **(Space Techniques)**
(7) सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन **(Social and Cultural Studies)**
(8) सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स **(Micro electronics and opto electronics)**
(9) क्रियाशील तकनीकें और उपकरण **(Workable Techniques and Equipment)**
(10) नई सामग्री और विशेष भावनाओं से सम्बंधित तकनीकें **(New Content and Techniques concerned with peculiar feelings)**

Scanned by CamScanner

इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए जिसमें अधिकता और विविधता का समावेश हो। इस प्रकार के विस्तृत पाठ्यक्रम से विकासशील तथा विकसित देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक वातावरण में स्वस्थ तथा सकारात्मक विकास होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल कोर्सों की संरचना करते हुए गहन अध्ययन, विस्तृत अनुभव, निपुणता तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम सम्बन्धित कोर्सों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करनी चाहिए।

शिक्षण-विधियाँ (Methods of Teaching)—उच्च शिक्षा और विश्वीकरण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं चाहे वे काल्पनिक (utopian) ही हों, उनको प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित शिक्षण-विधियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में परम्परागत शिक्षण विधियाँ हमारी सहायता नहीं कर सकतीं। आज का युग विश्वीकरण का युग है। विश्व स्तर पर जिन कोर्सों को पढ़ाना है उनकी शिक्षण विधियाँ भी विश्व स्तर के प्रयासों से खोजी हुई नवीनतम विधियाँ हों। नवीन विधियाँ शोधकार्यों तथा नये अनुसन्धानों पर आधारित हों। अधिक से अधिक प्रयोगात्मक, अवलोकन और निरीक्षण शक्तियों का उसमें प्रयोग हो।

अनुशासन (Discipline)—उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए अनुशासन का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु यहाँ पर अनुशासन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार का तालमेल हो, जिससे शिक्षक सहज रूप से विद्यार्थियों को जो नया ज्ञान देना चाहता है वह उसे देने में सफल हो और विद्यार्थी जो नया ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी आवश्यक है। यही अनुशासन से अभिप्राय है।

निरीक्षण (Observation)—लक्ष्यों के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं। किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली या किसी संगठन के कार्य करने की पद्धति का नियन्त्रण और उसका मूल्यांकन करने में निरीक्षण सहायक होता है। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई कमी दिखाई देती है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं ताकि वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

अध्यापक की भूमिका (Role of the Teacher)—आज के इस आधुनिकीकरण और विश्वीकरण के युग में अध्यापक का जागरूक तथा सचेत होना बड़ा आवश्यक है। एक अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए—

(1) वह सचेत और जागरूक हो,
(2) उसका स्वयं का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए तथा गहरा होना चाहिए।
(3) वह सदा अध्ययनशील हो तथा शिक्षा के नवीन क्षेत्रों की निरन्तर जानकारी प्राप्त करता रहे।
(4) अध्यापन उसका धर्म हो न कि व्यवसाय। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो।
(5) वह दकियानूसी न हो तथा परिवर्तन में विश्वास रखने वाला हो।
(6) उसका आधुनिकता में विश्वास हो।
(7) वह विभिन्न, संस्कृतियों के आदान-प्रदान में सहयोग देने वाला हो।
(8) विश्वीकरण तथा आधुनिकीकरण की सफलता के लिए एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से उदारवादी (Liberal) हो।
(9) वह शिक्षण की नई विधियों में रुचि रखता हो तथा घिसी-पिटी विधियों का दास न हो। विषय विशेष या कोर्स को पढ़ाने के लिए केवल सिद्धान्तों तक सीमित न करके प्रयोगात्मक, अवलोकन तथा निरीक्षण की नई विधियों को शिक्षण हेतु अपनाने में पूरी तरह से अभ्यस्त हो। वह इस योग्य हो कि विद्यार्थियों में विश्व नागरिकता का विकास कर सके।

◆◆◆

Scanned by CamScanner

4.5 तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा (Education for Technological Empowerment)

1. तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए।
(Discuss the role of education in technological development.)

अथवा

शिक्षा तकनीकी सशक्तीकरण में कैसे मदद कर सकती है?
(How can education help in technological empowerment?)

उत्तर–आज विज्ञान का युग है। नित नए आविष्कार हो रहे हैं और उनका प्रयोग कर हम किए जाने वाले कार्यों को कम समय में कम शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक दक्षता के साथ कर पा रहे हैं। इस प्रकार समाज धीरे-धीरे तकनीकी दृष्टि से सशक्त होता जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है।

इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व तकनीकी व शिक्षा शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है।

तकनीकी का अर्थ (Meaning of Technology)–इसे दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है–

(i) तकनीकी शब्द तकनीक से बना है। इसका अर्थ है तरीक़ा। काम करने के तरीके को तकनीकी कहा जा सकता है। अधिक व्यापक अर्थ में काम करने व सोचने का तरीका इसमें शामिल है। जब हम नई तकनीकी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है काम करने व सोचने के नवीन तरीकों का प्रयोग करना।

(ii) दूसरे अर्थ में तकनीकी विज्ञान का वास्तविक या व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने से सम्बन्ध रखता है। इस दृष्टि से तकनीकी विज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की कला है।

तकनीकी सशक्तीकरण का अर्थ (Meaning of Technological Empowerment)–इसका अभिप्राय है कि हम व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि विज्ञान का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करें, जिससे अपने प्रयासों के अधिकतम लाभ को प्राप्त कर वे स्वयं अपने समाज को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें।

यहीं नहीं; वे सोचने के नज़रिए को भी आधुनिक बनाएं, क्योंकि इसे बदले बिना विज्ञान का प्रयोग करना सम्भव ही नहीं हो पाता।

शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)–यूं तो शिक्षा की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई हैं, पर संक्षेप में इसका अभिप्राय है–

- ऐसी प्रक्रिया जो मानव की क्षमताओं का विकास करती हैं।
- उसके व्यवहार में संशोधन करती है।
- सामाजिक दक्षता का विकास करती है।

Scanned by CamScanner

तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका
(Role of education in Technological development)

1. शिक्षा बौद्धिक शक्तियों का विकास करती है (Education develops intellectual capacities)—तकनीकी विकास विज्ञान पर आधारित है। अतः व्यक्ति में चिन्तन, तर्क एवं विश्लेषण करने की क्षमताओं का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा उसमें इनका विकास करती है, जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने में व उसका जीवन में उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं।

2. सृजनात्मकता का विकास करती है (Develops creativity)—सृजनात्मक तकनीकी सशक्तीकरण की आवश्यक शर्त है। शिक्षा ही व्यक्ति में इन सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करती है।

3. व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करती है (Changes the thinking)—तकनीकी सशक्तीकरण तभी सम्भव है जब लोगों की सोच में बदलाव हो। वे कार्य करने व सोचने के नवीन तरीकों को अपनाएं। शिक्षा द्वारा ही उनकी सोच में परिवर्तन सम्भव होता है।

4. नवीनतम जानकारी प्रदान करती है (Provides latest information)—हम तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में तभी अग्रसर हो सकते हैं जब विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तकनीकी का प्रयोग करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त नवीनतम उपलब्धियों की हमें जानकारी हों। शिक्षा ही हमें यह जानकारी उपलब्ध कराती है कि शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग तथा संचार आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने क्या-क्या नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं।

5. नवीन तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करती है (Encourages to make use of new technology)—शिक्षा व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे नएपन से डरें नहीं। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। अतः वे जिस भी कार्य से जुड़े हैं, उसे करने के लिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करें।

6. शिक्षा शोध को बढ़ावा देती है (Education encourages research)—तकनीकी सशक्तीकरण तभी संभव हो पाता है जब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, तथा संचार आदि सभी क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान हों। शिक्षा शोध को बढ़ावा देकर तकनीकी सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।

7. शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है (Education prepares skilled manapower)—शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है जो अपने क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करने में सक्षम हो। इससे तकनीकी सशक्तीकरण में मदद मिलती है।

आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गृहणी से लेकर चिकित्सा, उद्योग, कृषि आदि सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आर्थिक विकास हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में असाध्य बीमारियों का इलाज सम्भव हो पाया है। उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। संचार व परिवहन सुविधाएं बेहतर हुई हैं। यह सब हमारे तकनीकी सशक्तीकरण का परिचायक है और इसमें शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। आजादी के बाद इन्जीनियरिंग कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की संख्या व गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं ने ऐसी सक्षम जनशक्ति प्रदान की है कि हम निरन्तर तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

तकनीकी सशक्तीकरण के लिए शिक्षा कैसी हो? (What type of education should be for technological empowerment)—इस विषय में स्वतन्त्रता के गठित विभिन्न आयोगों ने गम्भीरता से विचार किया और कुछ सुझाव दिए। उन्हें ध्यान में रखते हुए शिक्षा में निम्न बिन्दुओं पर बल देना होगा—

1. विभिन्न स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह बच्चे के आस-पास के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए।
   माध्यमिक स्तर पर यह सैद्धान्तिक न होकर 'Home Technology' पर आधारित हों। दूसरे शब्दों में यह विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वह छोटे घरेलू उपकरणों को स्वयं ठीक कर लें। किचन गार्डनिंग शुरू करें और जो भी विज्ञान के अन्तर्गत पढ़ रहे हैं उसे प्रयोग में भी लाएं।

Scanned by CamScanner

उच्च स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता पाने के इच्छुक विद्यार्थी ही इस विषय का चयन करते हैं। अतः उनके द्वारा चुने गए वैज्ञानिक विषयों की सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए। उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

2. तथ्यों की जानकारी देने की अपेक्षा शिक्षा द्वारा उनमें वैज्ञानिक ढंग से खोजबीन करने व आलोचनात्मक चिन्तन करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।
3. विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकें एवं अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिकाएं विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जानी चाहिए।
4. उच्च स्तर पर विज्ञान को कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए।
5. विज्ञान विषय में ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएँ जो विज्ञान व शिक्षण दोनों में रुचि रखते हों। जटिलतम प्रत्ययों को सहज व सरलतम तरीके से स्पष्ट करने में सक्षम हों और तकनीकी सशक्तीकरण में विज्ञान के महत्त्व से अवगत हों।
6. शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। अच्छी साधन-सम्पन्न प्रयोगशाला का होना बहुत आवश्यक हैं।
7. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'तकनीकी सशक्तीकरण' को शिक्षा के उद्देश्यों में मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए, तभी इसकी प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक शैक्षिक कदम उठाए जा सकते हैं।
8. विभिन्न विषयों के अध्यापक अपने विषयों को जीवन व तकनीकी के साथ जोड़कर पढ़ाएं। वे उनमें यह भावना विकसित करें कि क्षेत्र विशेष में हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं उसका मुख्य कारण है विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का जीवन में प्रयोग। इससे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)—अन्त में यह कहा जा सकता है कि तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बशर्ते इसके लिए कुछ सुविचारित प्रयास किए जाएं।

◆◆◆

4.6 सर्वव्यापी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in the context of Universal Education)

1. एक आदर्श अध्यापक या शिक्षक के गुणों या योग्यताओं की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये।

अथवा

सर्वव्यापी या वैश्विक शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है?

उत्तर–अध्यापक (Teacher)—यद्यपि विद्यालय का केन्द्र बिन्दु मुख्याध्यापक है। परन्तु उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नीचे काम करने वाले अध्यापक उसकी किस स्तर तक सहायता करते हैं। यानी मुख्याध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर काफी हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्याध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों न हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता।

मानवीय साधनों में मुख्याध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियाँ हैं, जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियाँ ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने-अपने कार्य संभालें। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि

Scanned by CamScanner

मुख्याध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति होती है जो विद्यार्थियों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। अध्यापक वास्तव में देश का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो इतिहास रचयिता भी होता है। इस विषय में **एच.जी. वैलज (H.G. Wells)** का कथन है, **"इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है।"**

("The sole maker of the history is the teacher. Manu observes a teacher as the image of Brahma.")

शिक्षा विद्यालय को गति देती है। यह बात सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, पाठ्य-पुस्तकें आदि सभी वस्तुएँ शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का स्तर तथा चरित्र उच्च नहीं होगा तो वह विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। निःसन्देह वह अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वह दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में देखता है तो पूरे संसार को भाई चारे का पाठ पढ़ाता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है। अध्यापक की स्थिति तथा उसके कार्य को समझने के लिए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं–

1. **हुमायूँ कबीर** ने अध्यापक के विषय में कहा है **"अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है।"**

("Without good teacher, even the best of system is bound to fail. With good teachers, even the defects of a system can be largely overcome.")

अध्यापक का स्थान तो समाज में भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरु की प्रशंसा में रहीमदास, कबीरदास जैसे महान् कवियों ने अनेकों दोहे तथा छन्द लिखे हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा तथा पद को भगवान से भी बड़ा माना है। **कबीरदास** जी लिखते हैं–

"गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागे पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय।।"
"सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बनराय।
सात समुद्र की मसि करू, गुरु गुण लिखा न जाय।"

हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जिनमें श्रेष्ठ गुण हों। उनका काम मात्र सूचनाएँ एकत्रित करना, उन्हें बाँटना ही नहीं है, उसे तो एक समाज-सुधारक का काम करना है तथा नैतिकता का प्रचार भी करना है।

अध्यापक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुदालियर शिक्षा आयोग (Mudaliar education Commission) ने कहा है कि, **"हम इस बात से पूर्णरूप से सहमत हैं कि शिक्षा महत्त्वपूर्ण तत्त्व अध्यापक है–उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान। विद्यालय की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें कार्यरत अध्यापकों पर आधारित होता है।"**

("We are however, convinced that the most important factor in the complete educational reconstruction is the teacher – his personal qualities his educational qualities, his professional training and the place he occupies in the school as well as in the community. The reputation of a school and the influence on the life of community invariably depends upon the kind of teacher working in it.")

इसी संदर्भ में **कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) (Kothari Education Commission 1964-66)** ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि, **"शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्त्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्त्व निःसन्देह सर्वोपरि है।"**

Scanned by CamScanner

4.7 समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण (Reservation as an Egalitarion policy)

1. समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण का वर्णन कीजिए।

अथवा

शिक्षा के समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा के समानता लाने में आरक्षण किस तरह मदद करता है?

उत्तर–शिक्षा में समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान की धारा (अनुच्छेद 340) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़े वर्गों की दशा की जांच-पड़ताल के पश्चात् उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करता है। इस प्रकार के दो आयोगों का गठन किया गया है।

1. केलकर आयोग (1953-1955) : इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
2. मण्डल आयोग (1979-1980) : इसका विवरण इस प्रकार है–

मण्डल आयोग की सिफारिशें तथा सरकार का निर्णय–मण्डल कमीशन के अध्यक्ष बी. पी. मण्डल थे। इस कारण यह मण्डल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का गठन 1979 में हुआ तथा इसने अपनी संस्तुतियाँ 1980 में दीं। इस कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं–

1. पिछड़े वर्गों (जातियों) को सरकारी नौकरियाँ 27% आरक्षण दिया जाए।
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 24 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएँ।
3. पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाए।

मण्डल आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय–मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर देश में कुछ समूहों में जो आरक्षण के विरुद्ध थे, उन्होंने देशव्यापी हड़तालें कीं तथा जुलूस निकाले। भारत सरकार ने 7 अगस्त, 1990 को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण करने की घोषणा की। बाद में कुछ संशोधन किया गया, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत पदों को ऐसे निर्धन लोगों के लिए रखा जाएगा जो आरक्षण की वर्तमान किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

Scanned by CamScanner

धारा 29(2) के अनुसार, "राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधारों पर अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।"

धारा 30(1) के अनुसार, "सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसन्द की शिक्षा संस्था स्थापित करने एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा।"

राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय, इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है। चाहे उसका आधार धर्म हो अथवा भाषा हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश—उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1992 को निर्णय दिया। मुख्य रूप से इसमें निम्न बातें कही गई हैं—

1. जो अधिसूचना नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में जारी की गई थी, वह सही है।
2. जो 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था, वह ठीक नहीं है।
3. पिछड़े वर्गों में जो आर्थिक रूप से सम्पन्न (Creamy Layer) हैं, उन्हें आरक्षण की सूची से निकाल दिया जाए।

शिक्षा में समानता का अर्थ (Meaning of Equality in Education)—सामान्य व्यक्ति के लिये समानता का अर्थ बराबरी से है अर्थात् सभी नागरिको के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाये। साधारण व्यक्तियों के अनुसार 'सभी समान हैं' परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों में शारीरिक संरचना एवं मानसिक योग्यताओं की दृष्टि से भिन्नता पायी जाती है। जब हम समानता को शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा अभिप्राय शिक्षा में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। वास्तव में समानता अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध उठती एक आवाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को तब तक समान समझा जाये जब तक वैसा न करने के उचित न्यायसंगत कारण न हों। समान अवसर प्रदान करने की बात इतनी आसान नहीं है जितनी कि दिखाई देती है। इसका तात्पर्य समाज के मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सभी वर्गों के लिये समान अवसर प्रदान करना है। उदाहरण के लिये, भारतीय संविधान द्वारा सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है किन्तु समाज के पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा स्त्रियों आदि के लिये कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं। ऐसा करना समानता के अधिकार का हनन नहीं है। क्योंकि ऐसा करने का न्यायोचित कारण है और वह है वर्षों से उपेक्षित इन वर्ग के लोगों को समाज के अन्य उच्च वर्गों के बराबर की स्थिति पर लाना। प्रजातंत्र इस बात पर बल देता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने चाहिये। **डॉ. सी. शेषाद्रि के अनुसार, "शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नामक वस्तु के वितरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।"**

("The principle of equality asserts that no distinction shall be made in the distribution of the commodity of education."—**Dr. C. Seshadri**)

जवाहरलाल नेहरू ने समानता के बारे में कहा है, **"हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिले। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाये।"**

शिक्षा में समानता के प्रत्यय को अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में महत्त्व दिया जाने लगा। इसके लिये समाजशास्त्रियों ने भी ध्यान दिया। उनके अनुसार यदि सामाजिक वातावरण में सुधार नहीं होगा तो शिक्षा के पूर्व निर्माण के सभी प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे, क्योंकि समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होनी भी जरूरी है, जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। संक्षेप में शिक्षा में समानता को प्राप्त करने के लिये **निम्नलिखित तत्त्वों** का होना आवश्यक है—

1. किसी एक विशेष स्तर पर समान पाठ्यक्रम के अनुसार निःशुल्क, आवश्यक एवं सर्वमान्य शिक्षा प्रदान करना। ताकि सभी बच्चे शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश ले सकें।

Scanned by CamScanner

शिक्षा में समानता की आवश्यकता
(Need for Equality in Education)

यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज अति विषम, वंशानुगत तथा असमातनाओं से घिरा हुआ है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिये जहाँ एक और शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर जाति एवं वंश भेद आदि की विषमताओं को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा के समानता की आवश्यकता **निम्न कारणों** से हैं–

Scanned by CamScanner

1. प्रजातंत्र की सफलता के लिये (For the Success of Democracy)–प्रजातंत्र का महत्त्वपूर्ण मूल्य है–समानता। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र की आधारशिला शिक्षा है। अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है वहाँ प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता। अतः प्रजातांत्रिक भारत कभी भी उन्नति नहीं कर सकता यदि शिक्षा की व्यवस्था का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त नहीं होता। अतः प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता की आवश्यकता है।

2. शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार होने के कारण (Education being a Fundamental Human Right)–संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए कहा था कि क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं इसलिए उनके अधिकार भी समान हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को एक मूलभूत मानव अधिकार माना गया है। अतः शिक्षा मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है जिनका उपयोग वह तभी कर सकता है जबकि समाज में सबको समान शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायें। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के आधार पर इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।

3. सार्वलौकिक विद्यालय प्रणाली के लिए (Common School System)–सरकारी एवं पब्लिक स्कूल की दूरी समाप्त करने के लिए सार्वलौकिक विद्यालयों की आवश्यकता है। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम उन्नत एवं साथ ही निम्न मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश लेने का अधिकार होना चाहिए।

4. आर्थिक विकास के लिए (For Economic Development)–किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं निष्पक्षता का होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण का महत्त्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा ही देश का आर्थिक विकास संभव है। परंतु यह तभी संभव है, यदि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों।

5. शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए–शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता भी दिखायी देती है। यद्यपि यह क्षेत्रीय असमानता लगभग विश्व के सभी विकासशील देशों में देखने को मिलती है किन्तु भारत में यह सबसे अधिक है। इस प्रकार की असमानता प्रायः आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं में भी दिखायी देती है। यह हमें कई प्रकार से दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न राज्यों में, राज्यों के विभिन्न भागों में असमानता, एक जिले के विभिन्न बच्चों में असमानता आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 60 वर्षों के पश्चात् भी हम इसे समाप्त करने में असफल रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते समय राज्य सरकारों को देश में राज्य अथवा किसी भी जिले की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

6. सामाजिक स्तर में विकास के लिए–भारतीय सामाजिक स्तर में उन्नति के लिए शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता का होना अति आवश्यक है। समाज की बुराइयों को दूर करने तथा नागरिकों में जागृति लाने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े एवं गरीब वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि उनके सामाजिक स्तर में सुधार हो सके।

7. कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए (To Establish a Welfare Society)–भारतीय समाज को कल्याणकारी बनाने हेतु शिक्षा में अवसरों की समानता उपलब्ध होनी चाहिये। 1977, 1967 व 1966 में हुये अनुसंधानों के निष्कर्ष के अनुसार औपचारिक शिक्षा ही गरीबों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता का कारण रही है। भारतीय शिक्षा आयोग के शब्दों में, "शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करता है, जिससे पिछड़े व सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यही एकमात्र उपाय है।"

8. ग्रामीण एवं नगरीय असमानता दूर करने के लिए–ग्रामीण तथा नगरीय असमानता भी शिक्षा के क्षेत्र में दिखायी देती है। इस प्रकार की असमानता का प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के

Scanned by CamScanner

कारण ग्रामीण लोगों को शिक्षा की वह सभी सुविधाएँ नहीं मिल पातीं, जोकि नगरों में नागरिकों को प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली का निर्माण ग्रामीण एवं नगरों के विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखकर रखा जाता है। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता की दर भिन्न रहती है। बड़े-बड़े महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आदि केवल नगरों में ही स्थापित किये जाते हैं। इसलिये इस प्रकार की असमानता को दूर करके शिक्षा में समानता लाना अति आवश्यक है।

9. राष्ट्रीय प्रगति एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए (For National Development and Improving the Standard of Life)–शिक्षा ही आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करती है। आज विश्व के वही राष्ट्र विकसित हैं जो सर्वाधिक शिक्षित हैं। 1963 में हुई तेहरान कान्फ्रेंस में यह कहा गया कि शिक्षा स्वयं में साध्य न होकर एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, नागरिक भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। शिक्षा द्वारा ही बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। यह तभी संभव है जबकि समाज में सबको समान शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जायें।

शिक्षा में न्याय एवं समानता प्राप्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समानता के लिए इस प्रकार सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके जिससे योग्यता की विभिन्नता को जीवित रखते हुए बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो सके। सभी व्यक्तियों को संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सहयोग मिलना चाहिए। हमें संख्या के गुण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि शिक्षा में समता व न्याय प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान द्वारा यहाँ धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं जब सक विभिन्न क्षेत्रों में समानता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता आरंभ से ही अनुभव की जा रही है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है पर 1986 की नई शिक्षा नीति में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए तथा असमानताओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए 'शैक्षिक अवसरों की समानता' से हमारा क्या अभिप्राय है यह जानना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner